मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

शुक्रवार, दिनाँक 13 मार्च 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में भू-राजस्व तथा लगान निर्धारण

1. (क्र. 94) श्री अरूण भीमावद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा भू-राजस्व लगान निर्धारण हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश के समस्त जिलों में इस नीति का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा जिले में भू-राजस्व लगान का निर्धारण शासन नीति के अंतर्गत किया जा रहा है? (ग) क्या शाजापुर जिले में लगान निर्धारण शासन नीति के अंतर्गत अधिक किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन समान लगान भू-राजस्व निर्धारण हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 75, 77, 78, 79, 80 एवं 81 में विहित प्रावधान अनुसार भू-राजस्व लगान का निर्धारण किया जाता है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अज्ञात मृतिका के रहस्य को उजागर करना

2. (क्र. 122) श्री मोती कश्यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या थाना उमरियापान के अंतर्गत मार्च 2013 के किसी दिनाँक को कुदवारी ग्राम के कुएं में पायी गई किशोरी की लाश को किन आधार पर किनके द्वारा शिनाख्त कर किसी स्थान पर अन्त्येष्टि संपन्न करायी गई है? (ख) क्या किसी लेबोरेटरी में डी.एन.ए. रिपोर्ट में लाश और अन्त्येष्टिकर्ता परिवार के संबंध में अपना कोई अभिमत दिया है? विस्तृत विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) कुएं में लाश पाये जाने पर हत्या और आत्महत्या पर तात्कालिक जाँच में क्या पाया गया है और क्या किसी से पुन: कोई जाँच प्रारंभ कराई गई है तथा कब तक पूरी कर ली जावेगी? (घ) क्या किन्हीं अन्य सदस्यों के डी.एन.ए. टेस्ट कराकर जाँच हेतु कोई नये सूत्र खोजे जावेंगे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) कुदवारी ग्राम के कुएं में अज्ञात किशोरी की लाश मिलने पर ग्राम देवरीपाठक के निवासी श्रीमती जोगेश्वरी काछी पति शिवचरण काछी उम्र 35 साल एवं पंचमलाल काछी पिता आशाराम काछी उम्र 35 साल के द्वारा मृतिका को कुमारी कल्पना काछी पिता शिवचरण

काछी उम्र करीब 16 वर्ष निवासी देवरीपाठक के रूप में उसकी कद, काठी एवं पैर के आधार पर शिनाख्त की थी तथा शव परीक्षण उपरांत कार्यपालिक दण्डाधिकारी उमरियापान एवं साक्षियों की उपस्थिति में शासकीय अस्पताल उमरियापान के पास बनें तालाब के किनारे गड्डा खोदकर दफन किया गया था। (ख) अज्ञात मृतिका की पहचान हेतु ग्राम देवरीपाठक निवासी शिवचरण काछी एवं उसकी पत्नी जागेश्वरी काछी के रक्त नमुना लिये जाकर डी.एन.ए. टेस्ट संचालक विधि विज्ञान प्रयोगशाला डी.एन.ए. शाखा से कराया गया है किंतु परीक्षण रिपोर्ट में डॉ. वीना बेन त्रिवेदी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सहायक रासायनिक परीक्षण म.प्र.शासन डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग यूनिट राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर के द्वारा श्रीमती जागेश्वरी बाई को अज्ञात कंकाल अवशेष की जैविक माता नहीं होना तथा शिवचरण को अज्ञात शव कंकाल का जैविक पिता नहीं होना लेख किया गया है। (ग) अज्ञात मृतिका की कुएं में लाश पाये जाने पर थाना उमरियापान में मर्ग क्रमांक 5/2013 धारा 174 द.प्र.सं. का पंजीकृत कर जाँच में लिया गया तत्कालिक जाँच में मृतिका की मृत्यु पानी में डूबने से होना पायी गई है, अज्ञात मृतिका के माता-पिता/बारसानों का अभी तक पता नहीं चल सका है, घटना दिनाँक से निरंतर जाँच की जा रही है, अज्ञात मृतिका के वारसानों की तलाश हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। (घ) यदि अज्ञात मृतिका के माता-पिता के विषय में कोई साक्ष्य मिलता है अथवा इस संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी संतान होने का दावा किया जावेगा, तद् नुसार पहचान स्थापित करने के लिये अन्य व्यक्तियों के डी.एन.ए. टेस्ट कराये जा सकते हैं।

मछुआ-क्रेडिट कार्ड धारकों को लाभान्वित न किया जाना

3. (क्र. 131) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा वर्ष 2011 से 2014 में जबलपुर संभाग के कितने जिलों में कितनी संख्या में कितनी श्रेणी के लोगों को मछुआ क्रेडिट कार्ड प्रदान कराये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में किन जिलों में कितने लोगों को किन सहकारी बैंकों व अन्य के द्वारा कितनी राशि प्रदान करायी गयी है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनाँक 20-08-2014 द्वारा किन्हीं दस्तावेजों सहित सहायक संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर के किसी पत्र को जिला सहकारी बैंक जबलपुर को कोई लेख किये जाने पर कितने काडर्धारियों को लाभांवित कराया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) (ख) (ग) पर जिला जबलपुर एवं कटनी के किन मछुआ क्रेडिट कार्डधारकों को कब कितनी राशि प्रदान करायी गयी है? (ड.) क्या प्रश्नांश (क) से (घ) मछुआ क्रेडिट कार्डधारकों के प्रति वित्तीय संस्थाओं द्वारा बरती जा रही उपेक्षा पर विभाग द्वारा किस स्तर पर कब क्या कार्यवाही की गई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभाग द्वारा वर्ष 2011 से 2014 तक जबलपुर संभाग के आठ जिलों में-कुल 6240 मछुआ क्रेडिट कार्ड तीन श्रेणीयों में प्रदान कराये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश 'क' अवधि में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको के माध्यम से राशि रूपये 310.958 लाख प्रदान कराई गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है।** (ग) प्रश्न कर्ता के पत्र दिनाँक 20.08.2014 के परिपालन में सहायक संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1034 दिनाँक 23.08.2014 से महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जबलपुर को ग्राम काकर खेडा के 14 हितग्राहियों के मछुआ क्रेडिट कार्ड स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये किन्तु बैंक द्वारा मछुआ क्रेडिट कार्ड की राशि स्वीकृत नहीं की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।** (घ) प्रश्नांश अनुसार जिला जबलपुर

एवं कटनी के क्रेडिट कार्ड धारकों को वर्षवार प्रदाय राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है।** (ड.) क्रेडिट कार्ड स्वीकृति हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की संभागीय बैठकों एवं जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से बैकों को निर्देश दिये गये है।

<u>असंगठित मछुओं को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना</u>

4. (क्र. 134) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कि भूमिहीन मछुआ जाति के लोग नदियों, जलाशयों, तालाबों के तटवर्ती ग्रामों में निवास कर किन्हीं प्रकार से आजीविका अर्जित करते हैं? (ख) क्या नदियों में बाँधों के निर्माण से हुये व्यवस्था परिवर्तन, व पुलों के निर्माण से वंशानुगत मछुओं की आजीविका छिनने से उनमें गरीबी व भुखमरी व्याप्त हुई है? (ग) राज्य में मछुआ नौका सहकारी समितियों, समूहों व असंगठित मछुओं की किन जिलों में क्या जनसंख्या पायी गई है? (घ) विभाग ने प्रश्नांश (ख) के किन्हीं श्रेणी के लोगों को क्या किसी विभाग की 1 रू. किलो चावल-गेहूँ प्रदान किये जाने की योजना से लाभान्वित कराया है? (ड.) क्या विभाग प्रश्नांश (ख) (ग) के असंगठित मछुओं को प्रश्नांश (घ) योजना का लाभ प्रदान करने हेतु कोई प्रक्रिया अपनायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। तत्संबंधित जानकारी विभाग संधारित नहीं करता है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश की जानकारी विभाग में संधारित नहीं। (घ) जी हाँ। एक किलो चावल-गेहूं प्रदाय योजना से 1409 हितग्राहियों को लाभांवित कराया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ड.) योजना निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

<u>परिशिष्ट - "एक"</u>

<u>सिंघाड़ा बोर्ड का गठन व उत्पादन का प्रसंस्करण</u>

5. (क्र. 135) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राज्य के किन्हीं जिलों में किन्हीं नस्लों के सिंघाडों की कृषि होती है और विगत 3 वर्षों में जिलेवार कितना उत्पादन हुआ है और उसकी खपत किन जिलों में प्रतिवर्ष कितनी होती है? (ख) प्रश्नांश-क उत्पादन और उसके प्रसंस्करण का उपयोग किस रूप में होता है और उसमें कौन से गुण पाये जाते हैं? (ग) क्या मा. मुख्यमंत्री जी ने किसी दिनाँक को जबलपुर में आयोजित मछुआ पंचायत में सिंघाड़ा बोर्ड के गठन का आश्वासन दिया है? (घ) क्या विभाग ने कभी किसी रूप में बोर्ड का गठन किया है और उन्नत नस्ल के बीजों का अनुसंधान करवाया है तथा क्या अधिकाधिक बीज वितरण कराकर उत्पादकों का जीवन उन्नत बनाने की दिशा में प्रयत्न किया हैं? (ड.) क्या प्रश्नांश-क को प्रसंस्करित करने की दिशा में कोई योजनायें बनायी गई हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मध्यप्रदेश में करिया, हरीरा, हरीराग, पाचा एवं लाल गुलरा सिंघाडा किस्में पैदा कि जाती है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जानकारी संकलित कर संधारित नहीं की जाती है। (ख) हरे कच्चे सिंघाडे को उबालकर खाया जाता है और सूखे सिंघाडे का आटा बनाकर सिंघाडे के खाद्य पदार्थ बनाये जाते है। सिंघाडे में प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, सर्करा आदि पौष्टिक तत्व होते है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में मछली पालन विभाग द्वारा दिनाँक 21 मई 2012 को मछुवा कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) जी नहीं शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। (ड.) कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में सिंघाडा गोटी के

भंडारण के लिए एक परियोजना संचालित है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन में प्रसंस्करण उद्योगो को सहायता देने की व्यवस्था है।

परिशिष्ट – "दो"

मैकेनिकल खण्ड कार्यालय की स्वीकृति की जानकारी

6. (क्र. 194) श्री राम लल्लु वैश्य : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सिंगरौली जिले के अंतर्गत मैकेनिकल खण्ड कार्यालय स्वीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो सिंगरौली जिले के अंतर्गत बैढ़न में इस कार्यालय की स्वीकृति कब तक की जायेगी? समय-सीमा बतायें? (ख) ग्रामीण नल-जल योजना के लिए क्या कोई नियम परिवर्तित किये गये हैं? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। प्रस्तावित नहीं हैं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**।

परिशिष्ट – "तीन"

पुलिस चौकी सुनेरा का पुलिस थाना में उन्नयन

7. (क्र. 308) श्री अरूण भीमावद : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन स्तर पर अति संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित पुलिस चौकी का उन्न्यन पुलिस थाना में करने की कार्य योजना है? (ख) यदि हाँ, तो शाजापुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित अति संवेदनशील क्षेत्र सुनेरा की पुलिस चौकी का उन्नयन पुलिस थाना में करने की योजना शासन स्तर पर लंबित है? (ग) यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृति कब तक होगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

नागौद विधानसभा क्षेत्र में हैण्ड पम्पों में डलने वाले पाइपों की कमी

8. (क्र. 319) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नागौद विधानसभा क्षेत्र में जल स्तर नीचे हो जाने के कारण स्थापित हैण्ड पम्प, अधिकांशत: पाइपों की कमी के कारण बन्द पड़े हैं? (ख) क्या शासन उक्त हैण्ड पम्पों हेतु पाइप उपलब्ध करायेगा? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या नागौद विधानसभा व जिले में एक भी पाइप नहीं है? (घ) क्या शासन तुरन्त पाइपों की उपलब्धता करायेगा, जिससे बन्द पड़े हैण्ड पम्पों में पाइप डाला जा सके और हैण्ड पम्प चालू हो सके?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश-''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश-''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दोषी भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाना

9. (क्र. 374) श्री आरिफ अकील : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में किन-किन भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन द्वारा कार्यवाही करने की अनुशंसा उपरांत ऐसे कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/अन्य है जिनके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने की अनुमति विभाग द्वारा प्रदान नहीं की जा रही है? भोपाल, इन्दौर,

उज्जैन, ग्वालियर, होशंगाबाद, और जबलपुर संभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त जाँच में दोषी पाये गये भ्रष्टचारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2010 से आज दिनाँक तक इस विभाग में ऐसी कोई नस्ती लंबित नहीं है जिसमें अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

<u>नल जल योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्राम</u>

10. (क्र. 399) श्री सचिन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन जिले में पिछले 03 वर्षों में जिलावार कितने गांवों की नलजल योजना को स्वीकृत किया गया और उक्त अवधि में योजना में शामिल कितने गांवों में नलजल योजना का निर्माण किया गया? इनमें से कितने नल जल योजना को निर्माण एजेंसी द्वारा पंचायतों को सौंप दिया गया है? इसमें कितने बजट का नियोजन हुआ? (ख) 2012 से जनवरी 2015 की स्थिति में नल जल योजना में शामिल जिलावार कितने गांवों में पेयजल की आपूर्ति हो रही है एवं कितने गांवों में आपूर्ति बंद है? (ग) पेयजल आपूर्ति बंद होने के लिए प्रत्येक मामलों में किस-किस को जिम्मेदार माना गया है? क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई, हाँ तो पद नाम सहित सूची दे, नहीं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 50 ग्राम, 35 में निर्माण पूर्ण। 35 नलजल योजनाएं हस्तांतरित। रूपये 567.41 लाख (ख) प्रश्नांकित अवधि में सम्मिलित 49 नलजल योजनाओं से पेयजल आपूर्ति हो रही है तथा 01 ग्राम में पेयजल आपूर्ति बंद है। (ग) उत्तरांश-'ख' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>ओलावृष्टि, पाला अतिवृष्टि का मुआवजा</u>

11. (क्र. 421) कुंवर सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक ओलावृष्टि, पाला, अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की सूची जनपद पंचायतवार विधान सभा वार उपलबध कराये? क्या इन प्रभावित लोगों को उनकी हुई क्षति के बराबर क्षतिपूर्ति राशि दी गई है, यदि हाँ, तो कब, किसको किस मान से किस माध्यम से? (ख) क्या वर्तमान में ओलावृष्टि, पाला, अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों के प्रकरण लंबित है, यदि हाँ, तो उनका निराकरण कब तक किया जायेगा और इनके लंबित रहने के क्या कारण है? (ग) क्या ओलावृष्टि, पाला, अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को कम क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने पर क्या शिकायत की गई? यदि हाँ, तो कब-कब, क्या-क्या, कौन-कौन सी शिकायत की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) यदि उक्त शिकायत सही पाये जाने पर लोगों को उनकी हानि के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दी गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें? भविष्य में ओलावृष्टि, पाला, अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के लिए शासन ने पूर्व से ही क्या तैयारी करके रखी है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आदिवासियों की भूमि पर नियम विरूद्ध कब्जा एवं हस्तांतरण

12. (क्र. 588) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के खण्ड (एक) के अनुसार उक्त प्रावधान के अंतर्गत आदिम जाति वर्ग की भूमि का विक्रय करने पर पूर्ण प्रतिबंध हैं? (ख) क्या प्रश्नकर्ता के परि.अतां. प्रश्न संख्या- 75 (क्रं. 1052) दिनाँक 10 दिसंबर 2014 के प्रश्नांश (क) एवं (ख) में राज्य शासन ने स्पष्ट स्वीकारा है कि कलेक्टर सतना द्वारा दिनाँक 23.01.2012 को उक्त भूमि का विक्रय अमान्य कर दिया था? उक्त अमान्य किये जाने के काफी बाद आयुक्त रीवा संभाग ने इसकी अपील, प्रकरण रिमाण्ड करने के पश्चात तत्कालीन कलेक्टर ने 25.11.13 को प्रश्नांगत भूमि के विक्रय की अनुमति दे दी? (ग) क्या प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग ने प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आदिवासी की भूमि को आयुक्त राजस्व संभाग रीवा एवं तत्कालीन कलेक्टर सतना के आदेशों को अवैध मानता है? अगर हाँ, तो उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही प्रश्न तिथि तक की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गुना एवं अशोकनगर जिले में बन्दोबस्त कार्य

13. (क्र. 632) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के अधिकतर जिलों में म.प्र. के निर्माण के बाद दो बार से अधिक बन्दोबस्त का कार्य हो गया है, किन्तु सम्वत 2013 के बाद गुना-अशोकनगर जिले में बन्दोबस्त का कार्य क्यों नहीं हुआ कब से चालू होगा बतायें? (ख) क्या विभाग एवं शासन की बन्दोबस्त कराने की कोई निर्धारित नीति है यदि हाँ, तो क्या है बताये? (ग) क्या गुना-अशोकनगर जिलो में बन्दोबस्त कराने की कोई कार्य योजना है यदि हाँ, तो बताये? (घ) गुना-अशोकनगर जिलो की सभी तहसीलों में बन्दोबस्त कब से करायेंगे? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब से?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं। प्रदेश के केवल 17 जिलों में राजस्व सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 10 जिलों में आंशिक रूप से कार्य किया गया है। नेशनल लैण्ड रिकॉड्र्स मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम (NLRMP) के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में आधुनिक तकनीक से सर्वे कर डिजिटल नक्शा एवं अभिलेख तैयार कराए जाने कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। गुना एवं अशोकनगर जिले में कन्ट्रोल प्वाइन्ट्स की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नेशनल रिमोट सेन्सिंग सेन्टर, हैदराबाद से सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इन जिलों की आंशिक सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त हो गई है। सम्पूर्ण इमेजरी प्राप्त होते ही डिजिटल नक्शा एवं अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। वर्ष 2015 के अंत तक इन जिलों में कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। (ख) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय-7 में राजस्व सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कराए जाने के संबंध में प्रावधान हैं। संहिता की धारा-67 में प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की संक्रियाएं प्रारम्भ करने की शक्ति शासन में वेष्ठित है। शासन द्वारा अधिसूचनाएं जारी कर किसी भी क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जा सकती है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में नेशनल लैण्ड रिकाड्र्स मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम (NLRMP) के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने से प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

विभाग की संचालित योजनाओं में अनियमितता

14. (क्र. 633) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले में ब्लॉकवार कितनी आंगनवाड़ियाँ स्वीकृत हैं, उनमें कितने पद स्वीकृत हैं कितने पद रिक्त हैं एवं कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको जाँच के बाद पद से हटा दिया, किन्तु उनके स्थान पर वहाँ नवीन पदस्थापना नहीं की गई? पदस्थापना कब तक करेंगे? (ख) गुना जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों में खाद्यान एवं अन्य सामग्री तथा बच्चों को दी जाने वाली दवा, भोजन का ब्लॉकवार कौन और किस नीति से वितरण करता है उसमें कौन सी अनियमितता हुई जानकारी दें? (ग) गुना एवं बमोरी ब्लॉक में विभाग की कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं उनका लक्ष्य और बजट अनुसार गत दो वर्षों में कितना खर्च किया? क्या उनका अंकेक्षण एवं सत्यापन कराया गया हैं? (घ) बमोरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं नवीन केन्द्र खोलने की क्या कार्ययोजना है? कितने प्रस्तावित हैं एवं रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) गुना जिले में 1125 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। ब्लॉकवार स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक '' अनुसार** है। 03 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जाँच उपरान्त पद से पृथक किया गया है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला स्तर से दिनाँक 14.11.2014 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिये गये है। वर्तमान में रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ख) गुना जिले में संचालित समस्त परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केन्द्रों में खाद्यान 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को (टेक होम राशन) एम.पी.एग्रो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को सांझा चूल्हा अन्तर्गत ताजा गरम भोजन का प्रदाय किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्री-स्कूल किट, मेडिसिन किट वज़न मशीन, बर्तन आदि का प्रदाय म.प्र. लघु उद्योग के माध्यम से क्रय कर प्रदाय किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अमले के माध्यम से दवाओं का वितरण किया जाता है। अनियमितता संबंधी जानकारी निरंक है। (ग) गुना एवं बमोरी ब्लॉक में विभाग की संचालित योजनाओं, लक्ष्य, बजट तथा गत दो वर्षों में किये गये व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो '' अनुसार** है। महालेखाकार ग्वालियर के अंकेक्षण दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 तक योजनाओं में व्यय का अंकेक्षण किया जा चुका है। (घ) बमोरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 329 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। बमोरी विधानसभा क्षेत्र की बाल विकास परियोजना बमोरी ग्रामीण परियोजना अन्तर्गत 22 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 52 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाल विकास परियोजना गुना ग्रामीण अन्तर्गत 63 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 65 मिनी आंगनवाड़ी खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है। नये आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होती है। वर्तमान में रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। रिक्त पदो की पूर्ति हेतु समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

पासपोर्ट हेतु पुलिस वेरीफिकेशन

15. (क्र. 664) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पासपोर्ट बनाने के लिये शासन नियमानुसार संबंधित पासपोर्ट आवेदन कर्ता का पुलिस वैरीफिकेशन किया जाना आवश्यक हैं? यदि हाँ, तो पुलिस वैरीफिकेशन कितने दिनों में किया जा कर उसकी रिपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय पहुँचाई जाना चाहिए? (ख) क्या पासपोर्ट के लिये किये गये पुलिस वैरीफिकेशन में कई अपराधियों के भी पासपोर्ट बन गए हैं? यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में इंदौर संभाग में कितने ऐसे मामले सामने आये है, और इस तरह के फर्जी वैरीफिकेशन को रोकने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। सामान्यत: 21 कार्यकारी दिवस की अवधि निर्धारित है। (ख) जी नहीं। पासपोर्ट के पुलिस वेरीफिकेशन हेतु पासपोर्ट कार्यालय द्वारा विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित पीव्हीआर/पीपी फार्म ऑनलाईन संबंधित जिले को अपलोड कर भेजे जाते है। जिनके आधार पर संबंधित थाने से आवेदक का पुलिस वेरीफिकेशन करवाया जाता है जिन आवेदकों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पाये जाते हैं उन्हें पासपोर्ट दिए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। आवेदकों को पासपोर्ट प्रदान करने का कार्य पासपोर्ट कार्यालय द्वारा किया जाता है। विगत 02 वर्षों में इंदौर संभाग में ऐसा कोई अपराधिक प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है जिसमें किसी आवेदक के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर भी पासपोर्ट दिये जाने की अनुशंसा की गई हो। यदि ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो आवेदक का पासपोर्ट निरस्त करने हेतु पासपोर्ट कार्यालय भोपाल से पत्राचार कर उसका पासपोर्ट निरस्त करवाया जा सकता है।

इंदौर जिले के क्षेत्रांतर्गत विभिन्न थानों में दर्ज अपराध

16. (क्र. 665) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले के क्षेत्रांतर्गत विभिन्न थानों में विगत पांच वर्षों में दर्ज अपराधों की संख्या स्पष्ट करें? (ख) क्या इन थाना क्षेत्रांतर्गत प्रति वर्ष अपराधों की संख्या में बढ़त हुई है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) पुलिस प्रशासन द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं, स्पष्ट करें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) बढ़ती हुई जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से अपराध वृद्धि हुई है। (ग) अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिबंधक कार्यवाही के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर सतत चेंकिग अभियान चलाया जा रहा है। बीट प्रक्रिया के अनुसार एवं पेट्रोलिंग कर अपराधों को रोकने हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है। ग्राम रक्षा समिति एवं नगर रक्षा समिति के सदस्यों के साथ सीधा संपर्क कर अपराध को रोकने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

परिशिष्ट - "चार"

सबलगढ़ तहसील को जिला घोषित किया जाना

17. (क्र. 741) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न क्र. 2121 दिनाँक 13.12.2012 में मान.राजस्व मंत्री द्वारा चर्चा के दौरान जवाब दिया गया था कि मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील को जिला बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसका निराकरण दो माह में कर दिया जावेगा? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रस्ताव का निराकरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो सबलगढ़ को जिला बनाने की अधिसूचना कब तक जारी कर दी जावेगी?

यदि नहीं, तो सबलगढ़ तहसील को जिला बनाए जाने की कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है, तथा कब तक सबलगढ़ तहसील को जिला घोषित कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में कुपोषण की स्थिति

18. (क्र. 742) श्री रामनिवास रावत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2013 एवं 2014 में प्रदेश में कुपोषण की स्थिति हेतु सर्वे किसके माध्यम से कराया गया? प्रदेश में 0-06 एवं 06-12 वर्ष के कितने बच्चे कुपोषित हैं? कुपोषित बच्चों का जिलेवार वर्षवार, श्रेणीवार (अतिकुपोषित, कम कुपोषित, सामान्य कुपोषित) विवरण दें? कुपोषण के मामले में देश की तुलना में प्रदेश की क्या स्थिति है? (ख) प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए? कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की गई हैं? इनमें कितना बजट प्रावधान किया गया है? कितनी राशि व्यय की गई है? इन योजनाओं के क्या सार्थक परिणाम रहे? (ग) जिला श्योपुर में कुपोषण दूर करने के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्रों का संचालन कहाँ-कहाँ किस-किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? प्रश्नांश (क) की अवधि में उक्त केन्द्रों में कितने बच्चे भर्ती कर कुपोषण दूर किया गया? बच्चों का नाम, उम्र, अभिभावक का नाम व पता सहित बतावें? कितनी राशि अभी तक इन पुनर्वास केन्द्रों को प्रदाय की गई है तथा कितनी-कितनी राशि किस कार्य हेतु व्यय की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) वर्णित अवधि में कुपोषण की स्थिति हेतु विभाग द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं। विभाग द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए गए वजन के आधार पर वर्षवार, जिलेवार पोषण स्तर का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। कुपोषण के मामले में देश की तुलना में प्रदेश की स्थिति ज्ञात करने हेतु वर्तमान में कोई सर्वे नहीं हुआ है, अतः देश की तुलना में प्रदेश की स्थिति बताना संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का सर्वे वर्ष 2004-2005 में हुआ था, उसमें प्रदेश में सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत, 60 पाया गया, जबकि देश का औसत 43 प्रतिशत था। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा किये गये सर्वे में प्रदेश में 51.9 प्रतिशत बच्चों का पोषण स्तर सामान्य से कम पाया गया। (ख) बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु आई.सी.डी.एस. योजना, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा आई.सी.डी.एस. योजना अंतर्गत चिन्हित ग्रामों में स्नेह शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अतिकम वजन वाले बच्चों में से चिन्हित बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रो में संदर्भित किया जाता है। विभाग द्वारा किए गए बजट प्रावधान तथा व्यय का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। पोषण स्तर में सुधार हेतु किए गए प्रयासों के परिणाम शनैः-शनैः प्राप्त होते हैं। अतः इनकी सार्थकता का तत्काल आंकलन नहीं किया जा सकता। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा किये गये सर्वे में प्रदेश में 51.9 प्रतिशत बच्चों का पोषण स्तर सामान्य से कम पाया गया, अतः यह कहा जा सकता है कि सुधार हेतु किये गये प्रयासों के सार्थक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। (ग) श्योपुर जिले में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कराहल एवं विजयपुर में पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं। जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केन्द्र का संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। कराहल में मानव फाउण्डेशन तथा विजयपुर में शकुन्तला परमार समिति, शिवपुरी द्वारा पोषण पुनर्वास केन्द्र का संचालन किया

जा रहा है। प्रश्नाधीन अवधि में उक्त पोषण पुनर्वास केन्द्रों में 1,783 बच्चों को भर्ती किया गया। भर्ती किए गए बच्चों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।। व्यय राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-४ अनुसार** है।

नेशनल हाईवे क्र. 3 (14 एच.3) के भू अर्जन का मुआवजा

19. (क्र. 890) श्रीमती ममता मीना : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत डायवर्टेड भूमि एवं कृषि भूमि के भू-अर्जन के मुआवजा राशि की दर क्या है, किस मान से दिया जावेगा? (ख) क्या गुना जिले में (एन.एच. 3) के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा पुराने भू अर्जन अधिनियम से दिया जायेगा या नवीन भू अर्जन अधिनियम से दिया जायेगा कारण सहित उत्तर दें? (ग) क्या (एन.एच. 3) के लिए ली गई भूमि के अधिग्रहण का मुआवजा डायवर्टेड भूमि के अर्जन का, अनडायवर्टेड भूमि के मुआवजा के समान ही देने का प्रावधान है? यदि नहीं तो डायवर्टेड भूमि अधिग्रहण का मुआवजा गुना जिले के चांचौड़ा वि.सभा में क्यों नहीं दिया? कारण बतायें? (घ) (एन.एच. 3) के लिए अधिग्रहीत डायवर्टेड एवं मुक्त भूमि का जिला गुना में मुआवजा नये भू-अर्जन अधिनियम के तहत कब और किस रीति से दिया जावेगा कारण सहित उत्तर दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उद्यानिकी मिशन एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में आवंटन

20. (क्र. 956) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन संभाग में केन्द्र शासन की उद्यानिकी मिशन, केन्द्र प्रवर्तित अन्य योजनाओं, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन व अन्य योजनाओं हेतु म.प्र. को वर्ष 2011, 2012, 2013 एवं 2014 में अब तक कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई एवं कितनी-कितनी राशि कहाँ-कहाँ व्यय की गई? (ख) फलोद्यान, रोपण एवं अन्य फलोद्योगों में कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विशेषकर रतलाम जिले की आलोट तहसील में उक्त योजनाओं पर कितना व्यय किया गया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार** है।

आलोट विधानसभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा की व्यवस्था

21. (क्र. 957) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिले में आलोट, ताल बडावदा, हाटपिपल्या में पशु चिकित्सा हेतु वर्तमान स्टाफ, दवाइयों, एक्सपर्ट की नियुक्ति का ब्यौरा क्या है? (ख) क्या क्षेत्र के पशुपालन के मान से आलोट, ताल, बड़ावदा में पर्याप्त डॉक्टर्स व स्टाफ एवं औषधि है? यदि नहीं तो पूर्ण व्यवस्था डिमाण्ड अनुसार क्यों नहीं है? (ग) आधुनिक उपकरणों, संसाधनों, दवाईयों व एक्सपर्ट की कमी तथा भवनों को व्यवस्थित करने का कार्य कब तक पूर्ण किया जा सकेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार।** (ख) आलोट, ताल, बड़ावदा, में पर्याप्त डॉक्टर्स व स्टाफ हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। समयानुसार एवं मांग अनुसार औषधी प्रदाय की जा रही है। (ग) आवश्यकतानुसार

उपकरण एवं औषधी उपलब्ध है। ताल, तालोद, खारवाकलां, के भवन निर्माणाधीन है। शेष पशु चिकित्सा संस्थाएं व्यवस्थित है।

परिशिष्ट - "पांच"

पिपलौदा ब्लॉक में पायलर प्रोजेक्ट के बारे में

22. (क्र. 1142) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 122), दिनाँक 9 जुलाई, 2014 के प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बताया कि 5.11.2012 की स्वीकृति 1, 86, 35, 000 की योजना में क्या-क्या प्रारंभिक कार्य पिपलौदा ब्लॉक में हो गया है, तथा किन-किन गांवों में समितियां बन गई हैं व किन-किन गांवों में समितियां नहीं बनी व कब तक बन जावेगी, गांवों के नाम दें? (ख) जब दिनाँक 30.11.2014 तक योजना पूर्ण होना लक्षित था, तो भू:जल व स्थानीय जल वृद्धि जलसंरक्षण संरचनाएं यथा स्टाप डेम परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शाफ्ट, तालाब निर्माण पुराने तालाबों के गहरीकरण के कार्य किस-किस गांव में हुए हैं या करने की योजना है, गावों के नाम दें? (ग) 30.12.2014 तक योजना का पूर्ण होना लक्षित था, तो विलम्ब का क्या कारण है तथा पूर्ण करने का नया लक्ष्य किस तिथि को निर्धारित किया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) योजना के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार**। (ग) विधानसभा निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन एवं पंचायत चुनाव के कारण जारी आदर्श आचार संहिता के लागू रहने से विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण करने में विलंब हुआ। उक्त योजना के कार्य पूर्ण करने हेतु नवीन समय सीमा दिनाँक 31.5.2015 निश्चित की गई है।

अतिक्रमण हटाने के संबंध में

23. (क्र. 1143) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 9 जुलाई 2014 के परि.अतां. प्रश्न (क्रमांक 105) तथा 5 मार्च 2014 के परि.अतां. प्रश्न संख्या 14 (क्र. 100) के संदर्भ में बताये कि पिपरई ग्राम, क्षेत्र मुंगावली की शासकीय भूमि पर कब्जा व दुकान निर्माण करने वाले तहसीलदार म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कब्जा नहीं हटाने पर अन्य लोगों की तरह जेल भेजने या दंड देने की अतिक्रमण तोड़कर शासन के कब्जे की कार्यवाही कब तक करेंगे? (ख) ग्राम हथाईखेड़ा स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्र. 696/1 रकबा एक एकड़ पर जब नायब तहसीलदार मुंगावली ने अतिक्रमण के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया तो ऐसे लोगों को एसडीओ द्वारा क्यों स्थगन देकर काम रोका गया है तो निर्माण तोड़कर अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही कर अन्य लोगों की तरह जेल व अन्य दण्ड देकर सख्त कार्यवाही कब की जायेगी व एसडीओ कब स्थगन हटाकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण व निर्माण करने वालों को संरक्षण देना कब बंद करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चकबन्दी निरस्त करने बावत्

24. (क्र. 1205) श्री दुर्गालाल विजय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जून-जुलाई, 2014 विधानसभा सत्र की शून्यकाल सूचना क्रमांक-146 का विभाग से प्राप्त उत्तर में अवगत कराया गया है कि श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मेखड़ाहेडी, राजपुरा उर्फ झूनझूनीपुरा, ललितपुरा, बिचगांवड़ी, सारंगपुर एवं भिलवाड़िया ग्राम में चकबन्दी को निरस्त करने हेतु आयुक्त भू:अभिलेख एवं बन्दोवस्त ग्वालियर से श्योपुर कलेक्टर के प्रस्ताव का परीक्षण कर, विधिवत प्रस्ताव शासन द्वारा चाहे गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो आयुक्त द्वारा परीक्षण उपरांत उक्त प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक भेजा जावेगा? (ग) क्या आयुक्त द्वारा उक्त प्रस्ताव भेजे जाने में विलंब के कारण उक्त ग्रामों में चकबन्दी निरस्ती की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन आयुक्त से चाहे गये उक्त प्रस्ताव को शीघ्र मंगवाकर उक्त ग्रामों में चकबन्दी को निरस्त करने के आदेश एक निश्चित समयसीमा में जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) जी नहीं। म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत चकबन्दी की पुष्टि होने के पश्चात् निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

आंगनवाडी केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य

25. (क्र. 1206) श्री दुर्गालाल विजय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या-9, क्र.-174, दि. 3 मार्च, 2014 पर सदन में चर्चा के दौरान बताया गया कि श्योपुर जिले में वर्ष, 2009-10 से वर्ष, 2012-13 तक की अवधि में बीआरजीएफ योजनांतर्गत स्वीकृत आंगनवाडी भवनों के अपूर्ण 170 भवनों का एवं वर्ष, 2013-14 के 30 अप्रारंभ भवनों का निर्माण कार्य 30 जून, 2014 तक पूर्ण कराने सहित वर्ष, 2009-10 से वर्ष, 2012-13 के ही बीआरजीएफ व 13वाँ वित्त आयोग अंतर्गत अप्रारंभ 104 व 7 भवनों का निर्माण कार्य जल्दी से पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्त अपूर्ण/अप्रारंभ भवनों के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों, कारण बतावें? (ग) वर्तमान तक उक्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभाग के संबंधित अमले द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उक्त भवनों के निर्माण कार्यों को पूर्ण न कराने के लिए कौन दोषी है, के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ड.) क्या अब उक्त अपूर्ण भवनों के निर्माण कार्यों को शासन कब तक पूर्ण करवाएगा? इस हेतु निश्चित समय-सीमा बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री नल-जल योजना का क्रियान्वयन

26. (क्र. 1240) श्री सचिन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री नल-जल योजना के क्रियान्वयन संबंधी नियम क्या है? नल-जल योजना किन ग्रामों में कितनी आबादी वाले ग्रामों में क्रियान्वित की जा सकती है? (ख) उक्त योजना प्रारंभ से कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने ग्रामों में कितनी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितनी योजनाएं पूर्ण हो गईं? कितनी प्रगतिरत होकर अपूर्ण हैं एवं कितनी अप्रारंभ हैं? अप्रारंभ एवं अपूर्ण रहने का कारण स्पष्ट करें? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित ग्रामों में से पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये उक्त विधानसभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में मुख्य मंत्री पेयजल नल-जल योजना

की स्वीकृति हेतु ग्राम चिन्हांकन किये गये हैं? क्या उनकी कार्ययोजना तैयार कर विभाग को प्रस्तुत कर दी गई है? यदि हाँ, तो किस स्तर पर लंबित हैं? कब तक स्वीकृति प्रदाय की जावेगी? नहीं, तो कारण बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" अनुसार**। (ख) 11 ग्रामों में स्वीकृत, सभी पूर्ण। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"2" अनुसार**। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) मुख्यमंत्री पेयजल योजना कार्यक्रम बंद हो जाने से किसी भी ग्राम का चिन्हांकन नहीं किया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

अ.जा./अ.ज.जा. के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में

27. (क्र. 1259) श्री हरवंश राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अ.जा./अ.ज.जा. के जाति प्रमाण पत्र शासकीय परिपत्रों के अधीन बनाए जा रहे हैं या नहीं? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र बण्डा, जिला सागर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत छापरी में अंगूरीबाई/वंशू कुचवंदिया जो कि परिपत्र में अ.जा. की श्रेणी में आती है एवं तहसील कार्यालय बण्डा द्वारा आवेदिका का जाति प्रमाण पत्र अ.ज.जा. का विगत माह में जारी किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। तहसील कार्यालय एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बण्डा द्वारा आवेदिका अंगूरीबाई/वंशू कुचबंदिया का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

शासकीय भूमि पर काबिज/आबाद कृषकों को विस्थापन सुविधाओं का लाभ दिया जाना

28. (क्र. 1342) श्री राजेन्द्र मेश्राम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सिंगरौली के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के तहत शासकीय भूमि पर काबिज/आबाद कृषकों को भूमि स्वामी मान्य करते हुए प्रतिकार व विस्थापन सुविधा दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या जिला सिंगरौली में इसका पालन किया गया है? (ख) जिला सिंगरौली में स्थापित हो रहे उद्योगों में शासकीय भूमि पर काबिज/आबाद कितने कृषकों की भूमियां ली गई है व मकानों से बेदखल किया गया है? खसरा नम्बर, रकबा सहित जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) से संबंधित अतिक्रमित व्यक्तियों को मुआवजा व विस्थापन का लाभ दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) म.प्र. शासन आदर्श पुनर्वास नीति 2002 में शासकीय भूमि पर काबिज आबाद कृषकों को भूमि स्वामी मानकर प्रतिकर एवं विस्थापन सुविधा दिये जाने का प्रावधान है जिसके संबंध में सिंगरौली जिले में शासकीय भूमियों पर आबाद कृषकों को उनके मकानों एवं अन्य परिसम्पत्तियों का प्रतिकर भुगतान किया गया है। चितरंगी पावर प्रोजेक्ट में कम्पनी के द्वारा कृषकों को अपने तरफ से करार करते हुए अतिकृमित भूमियों का भी प्रतिकर दिया गया है। (ख) सिंगरौली जिले में स्थापित हिन्डालकों एलुमिनियम कैप्टीव पावर प्लांट, रिलायंस सिमेन्ट तथा त्रिमुला स्पांज आयरन इन्ड्रीस्टीज तीनों उद्योग की श्रेणी में आते है जिसमें हिन्डालकों एलुमिनियम केप्टीव पावर प्लांट के लिये धौडर ओडगडी एवं बरैनिया की शासकीय भूमियों का आवंटन हुआ है जिसमें कुल खसरा किता 71 रकबा 30.04 हे. पर 75 लोगों का अतिक्रमण प्रतिवेदित है जिसके विरूद्ध 75 हितग्राहियों को विस्थापन लाभ दिया गया है। (ग) शासकीय भूमियों पर आबाद

विस्थापितों को मकान एवं अन्य परिसम्पत्तियों का प्रतिकर दिया गया है तथा उन्हें विस्थापित मानते हुए विस्थापन के समस्त सुविधाएं यथा प्लाट, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विस्थापन सुविधाएं दी गई है।

ग्रामीण नल-जल योजना

29. (क्र. 1353) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आष्टा विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से ग्रामों में नल-जल योजनाओं की स्वीकृति दी गई? (ख) स्वीकृत नल-जल योजना में से कितनी पूर्ण हुई, तथा कितनी अपूर्ण है? अपूर्ण योजनाओं को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? (ग) जो नल-जल योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, उसमें से कितनी ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई है? (घ) क्या क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (ख) 7 पूर्ण, 15 अपूर्ण/प्रगतिरत। 31 मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ:"

ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की भूमि

30. (क्र. 1440) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनाँक 28 जनवरी 2011 को दिए गए आदेश के बाद भी गोठान, खलियान, कब्रस्तान, चराई आदि के लिए दर्ज जमीनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन ग्रामसभा या ग्राम पंचायत को सौपें जाने के आदेश राज्य शासन द्वारा प्रश्नांकित तिथि तक भी जारी नहीं किए गए? (ख) 28 जनवरी 2011 के आदेश की कंडिका 3 में किन-किन प्रयोजनों का उदाहरण दिया गया है, राज्य में किन-किन प्रयोजनों के लिए निस्तार पत्रक में जमीनें दर्ज की जाती है? (ग) आदेश की कंडिका 3 में बताए प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों के संबंध में आदेश की कंडिका 22 में क्या-क्या निर्देश दिए हैं कंडिका 23 में क्या-क्या निर्देश दिए हैं इनका पालन किए जाने हेतु किस दिनाँक को राज्य शासन ने पत्र जारी किए हैं? (घ) कंडिका 3 में बताए प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन ग्रामसभाओं को सौपें जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं कब तक शासन आदेश जारी कर देगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हैंडपंप मैकेनिकों की भर्ती

31. (क्र. 1468) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा हैंडपंप मैकेनिकों की भर्ती कब की गई थी? पूरे प्रदेश में मैकेनिकों की वर्तमान में कितनी संख्या है एवं हैंडपम्पों की कितनी संख्या है? विभाग की गाइड लाईन के अनुसार कितने हैंडपम्पों के संधारण के लिये एक मैकनिक रखा जाता है? संख्या बतायें? (ख) ग्वालियर जिले में कितने मैकनिक वर्तमान में कार्यरत है? कृपया संख्या बतायें? ग्वालियर जिले में कितने हैंडपम्प स्थापित है? स्थापित हैंडपम्पों में से कितने संचालित है एवं कितने बंद पड़े हैं? कब से, संख्या बतायें?

(ग) क्या बंद हैंडपम्पों की संख्या में से कितने संचालित हो सकते हैं जो संचालित हो सकते हैं क्या उनके लिये विभाग ने प्रयास किये हैं? क्या बंद हैंडपम्पों को संचालित करने में मैकनिकों की कमी के कारण संचालित नहीं हो सके हैं? क्या जो हैंडपम्प संचालित नहीं हो सकते या सूखे पड़े हैं वहाँ नये हैंडपम्प खनन को प्राथमिकता दी जायेगी, कब तक? (घ) जिले के हैंडपम्पों की संख्या के अनुसार मैकनिकों की संख्या क्या पर्याप्त है? यदि नहीं है, तो कब तक मैकनिकों की पूर्ति ग्वालियर जिले को की जायेंगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) समय-समय पर आवश्यकतानुसार हैण्डपंप तकनीशियन (हैण्डपंप मैकेनिक) की भर्ती की गई। 2531 हैण्डपंप तकनीशियन। 524132 हैण्डपंप। विभाग की गाईड लाईन नहीं है। (ख) 62 हैण्डपम्प तकनीशियन। 7257 हैण्डपम्प। 6794 संचालित एवं 463 बंद। उक्त विभिन्न बंद हैण्डपंप 01 माह से लेकर 5 वर्षो की अवधि से बंद हैं। (ग) 128 हैण्डपम्प जो जल स्तर बढ़ने से स्वतः चालू होंगे। जी नहीं, बंद हैण्डपम्प असुधार योग्य हैं। 335 ऐसे हैण्डपंपों, जो संचालित नहीं हो सकते या सूखे पड़े हैं, मे से 136 स्थानों पर वर्ष 2014-15 में नवीन हैण्डपम्प खनित, 161 हैण्डपंप पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में हैं अतः इनके स्थान पर नवीन नलकूप खनित नहीं किये जा सकते। शेष 38 बसाहटों में मार्च 2015 तक कार्य किया जाना लक्षित है। (घ) जी नहीं। ग्वालियर जिले के चुनिन्दा विकासखंडों में स्थापित हैण्डपम्प का संधारण कार्य निविदा आमंत्रित कर ठेके पर दिया जाना प्रस्तावित है, जिसके उपरांत शेष हैण्डपंप तकनीशियन की संख्या पर्याप्त रहेगी।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

32. (क्र. 1501) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फौजी नामांतरण, अविवादित नामांतरण तथा अविवादित बंटवारा के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं, तथा किसको क्या-क्या अधिकार हैं? (ख) किसानों की असिंचित भूमि गलती से या त्रुटिवश कम्प्यूटर रिकार्ड में गलत दर्ज हो जाने या रकबा कम - ज्यादा दर्ज हो जाने पर कम्प्यूटर रिकार्ड को सुधारने के संबंध में किसको क्या-क्या अधिकार, तथा शासन के क्या निर्देश हैं? (ग) रायसेन एवं देवास जिले में उक्त श्रेणी प्रश्नांश (क) एवं (ख) के 1 फरवरी 2015 की स्थिति में कितने प्रकरण लंबित हैं, तथा उनका कब तक निराकरण होगा? (घ) जनवरी 2015 में प्रश्नकर्ता के पत्र मान. मंत्री जी, तथा विभाग के अधिकारियों को उक्त संबंध में कब-कब प्राप्त हुए, तथा उक्त पत्रों पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नगर पंचायत क्षेत्र खजुराहो में शासकीय भूमि पर कब्जा

33. (क्र. 1761) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलांतर्गत खजुराहो नगर पंचायत क्षेत्र के तहत. शासकीय भूमि, गऊचर, शमशान घाट की है, उनके खसरा नंबर सहित जानकारी दें? (ख) ऐसी कितनी भूमि खाली हैं, जिन पर लोग काबिज़ हैं, उनकी सूची दें? (ग) अनाधिकृत रूप से शासकीय गऊचर गौठान एवं शमशान की भूमि पर कब्जा करने वालों के विरूद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**सागर संभाग में मज़रे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने बावत्**</u>

34. (क्र. 1764) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में ऐसे कुल कितने मजरे-टोले हैं, जो राजस्व ग्राम के रूप में दर्ज नहीं है, जिलेवार बतायें? (ख) म.प्र. भू:राजस्व संहिता, 1959 की धारा 73 में प्रावधानों के अनुसार छतरपुर जिले के मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने के कितने प्रकरण लंबित है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार उक्त शक्ति बंदोबस्त अधिकारी को प्राप्त है? यदि हाँ, तो अब तक निराकरण किन कारणों से नहीं किया गया?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**न्यायालयीन आदेश का पालन**</u>

35. (क्र. 1824) श्रीमती रेखा यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनाँक 28 जनवरी, 2011 को दिए गए आदेश की कंडिका 3 में बताए गए प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों का छतरपुर एवं बैतूल जिले में प्रश्नांकित तिथि तक भी नियंत्रण एवं प्रबन्धन ग्राम सभाओं को नहीं सौंपा गया है? (ख) यदि हाँ, तो 28 जनवरी, 2011 के आदेश की कंडिका 3 में किन-किन प्रयोजनों का उल्लेख किया जाकर आदेश की कंडिका 22 में क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं? (ग) 28 जनवरी, 2011 के आदेश की कंडिका 3 में बताए गए प्रयोजनों के लिए राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज जमीनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन आदेश की कंडिका 22 के अनुसार ग्रामसभा और ग्राम पंचायत को सौंपे जाने के संबंध में प्रश्नांकित तिथि तक छतरपुर एवं बैतूल जिले में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या-क्या कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है? (घ) 28 जनवरी, 2011 के न्यायालयीन आदेश का कब तक पालन किया जाकर कंडिका 3 में बताए प्रयोजनों के लिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों का नियंत्रण एवं प्रबंधन ग्रामसभाओं को सौंप दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**डीनोटीफाईट की गई भूमि**</u>

36. (क्र. 1833) श्रीमती रेखा यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के ता. प्रश्न संख्या - 76 (क्रमांक 1089) दिनाँक 10 दिसम्बर 2014 में प्रश्नांश (ग) में अभिलेख संशोधन करने की कार्यवाही करने तथा प्रश्नांश (घ) में वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित होने तथा समय सीमा बताना संभव नहीं है की जानकारी दी गई हैं, तो मुख्य सचिव के द्वारा 24 जुलाई 2004 को जारी आदेश दिनाँक से प्रश्नांकित तिथी तक किस-किस वर्ष में राजस्व विभाग ने राजस्व अभिलेखों में कितनी डीनोटीफाईड जमीनों के संशोधन, संशोधन पंजी में दर्ज कर लिए थे? (ख) 1980 के पूर्व डीनोटीफाईड की गई भूमियों को राजस्व अभिलेखों में मुख्य सचिव के 24 जुलाई 2004 के आदेशानुसार संशोधित किए जाने हेतु राजस्व विभाग ने किस-किस वर्ष में क्या-क्या कार्यवाही की, किस वर्ष में कार्यवाही किन कारणों से नहीं की जा सकी? (ग) वन विभाग द्वारा डीनोटिफाईड भूमियों की जानकारी संशोधन पंजी में दर्ज कर कब तक अभिलेख संशोधन की कार्यवाही पूरी कर ली जावेगी? समय सीमा सहित बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ओलावृष्टि के मुआवजा वितरण में विसंगतियॉ</u>

37. (क्र. 2017) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिलने के लिए फसलों के आंकलन के क्या प्रावधान है एवं किस स्तर के अधिकारी द्वारा यह आंकलन किया जाता है? (ख) क्या विगत वर्ष में हुई ओला वृष्टि से प्रभावित फसलों हेतु बीमे का आंकलन जिले की अन्य विधानसभा के समान पंधाना विधानसभा क्षेत्र में इन नियमों के तहत पालन किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो जिले की अन्य विधान सभा में फसल बीमा का करोड़ों रूपये का मुआवजा किसानों को दिया गया, किंतु पंधाना विधानसभा के दो कृषकों को मात्र 664/- रूपये का मुआवजा किस आधार पर दिया गया? क्या यह आंकलन न्याय संगत हैं? (घ) प्रश्नांश (क) के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्यों तथा कब तक की जावेगी? (ड.) पंधाना विधान सभा में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों से प्रभावित किसानों को फसल बीमा का उचित मुआवजा दिया जावेगा अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पुलिस मुख्यालय पर संकट निधि से सहायता राशि</u>

38. (क्र. 2024) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2013-14 में पुलिस मुख्यालय पर संकट निधि के कितने आवेदन प्राप्त हुये? प्राप्त होने का दिनाँक, प्राप्ति दिनाँक के पश्चात् सहायता राशि स्वीकृति का दिनाँक बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृति के उपरांत आवेदकों को राशि भुगतान का दिनाँक बतावे? साथ ही यह भी अवगत करावें कि कितने प्रकरणों में मरणोंपरांत राशि प्रदाय की गयी है? विलम्ब से स्वीकृति एवं राशि भुगतान में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्ष 2013-14 में संकट निधि के कुल-160 प्रकरण प्राप्त हुये है, **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है।** मरणोपरान्त तथा विलम्ब से स्वीकृति निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>व्यपवर्तन के लंबित प्रकरण</u>

39. (क्र. 2045) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी भूमियों का कृषि भिन्न प्रयोजन में व्यपवर्तन, प्रीमियम एवं पुर्ननिर्धारण के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति दें? (ख) फरवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले में निजी भूमियों का कृषि भिन्न प्रयोजन में व्यपवर्तन के किन-किनके प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित है? (ग) उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन के क्या-क्या निर्देश एवं समय सीमा तय है, निर्धारित समय सीमा में उक्त प्रकरणों का निराकरण क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है? (घ) उक्त लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा समय सीमा बतायें लंबित प्रीमियम वसूल क्यों नहीं किया जा रहा है तथा कब तक वसूल करेगें अवधि बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नैसर्गिक दवाओं के लिए जिलों को राशि का आवंटन</u>

40. (क्र. 2068) श्री संजय शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नैसर्गिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल सहायता देने के लिए म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के तहत कितने दिन में पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने तथा इस हेतु जिलों को राशि आवंटन के संबंध में विभाग के क्या-क्या निर्देश है? (ख) 1 फरवरी 2015 की स्थिति में विभाग के पास किन-किन जिलों से राशि के माँग पत्र लंबित है तथा क्यों? जिलों को माँग पत्र के बाद भी राशि क्यों नहीं दी गई? (ग) उक्त मद में 1.2.15 की स्थिति में विभाग के पास कितनी राशि उपलब्ध है? माँग पत्र अनुसार जिलों को कब तक राशि उपलब्ध करा दी जायेगी? (घ) किन-किन जिलों में उक्त मद में राशि उपलब्ध होने के बाद भी पीड़ित व्यक्तियों को नहीं बांटी गई है? नहीं बांटने का कारण क्या है? क्या शासन जिम्मेदारों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>स्वयं सेवी संस्थाओं से कराये जा रहे कार्य</u>

41. (क्र. 2069) श्री संजय शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले के सिलवानी-बेगमगंज विकासखंड में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त तथा अन्य योजनाओं में सहायता-अनुदान प्राप्त कौन-कौन सी स्वयं सेवी संस्था क्या-क्या कार्य कहाँ-कहाँ कर रही है? (ख) वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में उक्त स्वयं सेवी संस्थाओं को कितनी राशि अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त हुई, तथा उक्त राशि कहाँ-कहाँ व्यय की गई? (ग) उक्त अवधि में उक्त संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण जाँच कब-कब, किस-किस ने की तथा क्या-क्या कमियां पाई? (घ) उक्त कमियों के सुधार हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) - 1) रायसेन जिले के सिलवानी विकास खण्ड में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संचालित संस्था रूरल डेवलेपमेंट सर्विस सायटी, सिल्वानी, जिला-रायसेन द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पालनाघर योजना के अंन्तर्गत 30 इकाई संचालित की जा रही है। जिन्हें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा ही सीधे स्वीकृति एवं अनुदान राशि भुगतान की जाती है। विवरण एवं सूची **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है। 2) रायसेन जिले के बेगमगंज विकास खण्ड में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संचालित संस्था सियावास स्वावलम्बी समाज सेवी संस्था बेगमगंज, जिला-रायसेन द्वारा प्रौढ़ महिला शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रही है जिसकी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2012-13 में (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृति दी गई है) रायसेन जिले में समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत बेगमगंज में स्वावलंबी समाजसेवी संस्था द्वारा खुला आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है, इस संस्था को कोई अनुदान/सहायता राशि नहीं दी गयी। 3) रायसेन जिले के सिलवानी विकास खण्ड में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संचालित संस्था नवांकुर शिक्षण समिति, सिलवानी, जिला-रायसेन द्वारा ग्राम सुल्तानपुर में कुन्दन के मकान में

तहसील-सिलवानी, जिला-रायसेन में प्रोढ़ महिला शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रही है। जिसकी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2012-13 में (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृति दी गई है) (ख) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है।

नल जल योजनाएं

42. (क्र. 2072) श्री संजय शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्राम पंचायतों/ग्रामों में वर्तमान में नल जल योजनायें संचालित हैं? कृपया ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें? (ख) कहाँ-कहाँ की नलजल योजनायें प्रारंभ हैं एवं कहाँ-कहाँ की योजनायें बंद हैं, क्यों? (ग) बंद नलजल योजनायें कब तक प्रारंभ हो जावेंगी? समय सीमा बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ग) स्रोत सूखने से बंद योजनाओं को विभाग द्वारा चालू किया जायेगा, अन्य कारणों से बंद नलजल योजनाओं को पंचायत द्वारा। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

परिशिष्ट - "सात"

ब्यौहारी के व्यवहार न्यायालय का भवन निर्माण

43. (क्र. 2176) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या तहसील मुख्यालय ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. में व्यवहार न्यायालय भवन जर्जर हो जाने से नये भवन का निर्माण कार्य कराया गया है? (ख) यदि हाँ, तो नये न्यायालय भवन में न्यायालय का कार्य कब से प्रारंभ किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पुलिस अनियमितता एवं उच्च स्तरीय जाँच के संबंध में

44. (क्र. 2177) श्री रामपाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के पुलिस थाना ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम उकसा निवासी अवधेश पटेल की हत्या की घटना के संबंध में पुलिस थाना ब्यौहारी में ग्राम नगनौड़ी निवासी रामनाथ पिता झुल्लू पटेल को दिनाँक 30.09.2014 को बुलाया गया था? (ख) क्या पुलिस थाना ब्यौहारी से मुक्त होने के बाद दिनाँक 01.10.2014 को रामनाथ ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और उक्त संबंध में ब्यौहारी पुलिस 03.10.2014 को ग्राम नगनौड़ी गयी थी और अपराध क्र.1048/14 दिनाँक 03.10.2014 को 11 नामजद सहित 300 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा दर्ज की गयी थी? (ग) क्या संपूर्ण घटना के संबंध में तथ्यों सहित पुलिस प्रताड़ना से रामनाथ की आत्महत्या एवं बीट प्रभारी ए.पी.सिंह द्वारा रूपयों की मांग सहित निर्देशों के विरूद्ध प्रकरण को समाप्त करने की मांग ग्रामीणों द्वारा करते हुये दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग वरिष्ठ अधिकारियों से की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या

उपरोक्त घटनाक्रम के संबंध में एस.डी.एम. जयसिंहनगर को मजिस्ट्रेयल जाँच के आदेश दिये गये थे? यदि हाँ, तो पुलिस विवेचना में मजिस्ट्रेयल जाँच का हवाला क्यों नहीं है और जाँच के बिना विवेचना क्यों पूर्ण कर दिया गया? (ड.) प्रथम सूचना रिपोर्ट में 11 नामजद व्यक्ति थे किन्तु बीट प्रभारी ए.पी.सिंह जिनके विरूद्ध रामनाथ से रूपये मांगने का आरोप था उनके बयान के आधार पर निर्दोष व्यक्तियों को अपराधी बनाया गया है जबकि अवधेष प्रताप पटेल की हत्या के संबंध में अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी है और ना ही दोषी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध? क्या प्रकरण को वापस लेकर संपूर्ण घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जाँच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। संपूर्ण प्रकरण के संबंध में मजिस्ट्रेयल जाँच की जा रही है। (घ) जी हाँ। मजिस्ट्रेयल जाँच के दौरान अपराधिक प्रकरण की विवेचना स्थगित रखे जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण विवेचना पूर्ण की गई। (ड.) जी नहीं। मृतक अवधेश पटेल की हत्या के सम्बन्ध में विवेचना जारी है। प्रकरण में मजिस्ट्रेयल जाँच प्रचलित होने से अन्य किसी उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता नहीं है।

<u>सीधी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना</u>

45. (क्र. 2185) श्री रामपाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले का सीधी ग्राम छत्तीसगढ़ प्रान्त से लगा हुआ है और लगभग 4-5 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के सुरक्षा की दृष्टि से नवीन थाने का निर्माण कार्य कराया गया है? यदि हाँ, तो थाना सीधी से घटित घटनाओं का डॉक्टरी परीक्षण सीधी से 30 कि.मी. दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंह नगर में कराया जाता है? (ख) यदि सीधी थाने में घटित घटनाओं का डॉक्टरी परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंह नगर में कराया जाता है, तो सीधी में समुचित सुविधा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जावेगी? क्यों कि उक्त क्षेत्र विशेष केन्द्रीय योजना (आई.ए.पी.) के तहत चिन्हित है? यदि हाँ, तो सीधी में कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्राथिमक स्वास्थ्य खोलने हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>जेल बंदियों द्वारा निर्मित सामग्री के लिए विक्रय केंद्र</u>

46. (क्र. 2351) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य की जेलों में बंद बंदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तथा आम जनता की जानकारी के अभाव में एवं उचित विक्रय केंद्र स्थापित न होने के कारण इन वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता? यदि हाँ, तो व्यापक हित में शहरों के मध्य इन वस्तुओं के विक्रय केंद्र खोले जाने के लिये शासन विचार करेगा? (ख) क्या राज्य की जेलों में बंदियों के द्वारा उक्त निर्माण कार्य व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर कराया जाता है, तथा उन्हें प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है? (ग) क्या शासन इन बंदियों को उनकी रूचि के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने पर विचार करेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर प्रशिक्षण सह उत्पादन अंतर्गत औद्योगिक इकाईयॉ संचालित है, जिनमें निर्मित उत्पाद सामग्री का उपयोग अधिकांशत: बंदियों के लिये ही किया जाता है। जेल उद्योगों में उत्पादित सामग्रियों के विक्रय हेतु केन्द्रीय जेल सागर,

भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा जिला जेल भोपाल (अरेरा हिल्स) में जेल परिसर में ही विक्रय केन्द्र स्थापित है। आलोच्य जेलें लगभग शहर के मध्य में ही है जहाँ जेल निर्मित वस्तुओं के विक्रय केन्द्र संचालित हैं। केन्द्रीय जेल उज्जैन द्वारा कार्तिक मेले में, केन्द्रीय जेल ग्वालियर द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले में तथा केन्द्रीय जेल भोपाल एवं केन्द्रीय जेल होशंगाबाद द्वारा पंचमढ़ी उत्सव में अपने स्टाल लगाये जाते है, हाल ही में मध्यप्रदेश विधान सभा परिसर में भी जेल उत्पादों का स्टाल लगाया गया है। (ख) जी नहीं। केन्द्रीय जेलों पर पदस्थ विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षकों जैसे बढ़ई, बुनाई, सिलाई, पावरलूम आदि द्वारा सजायाफ्ता बंदियों को उनकी रूचि अनुसार विभिन्न जेल उद्योग अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल विकास के अंतर्गत 07 केन्द्रीय जेलों को व्हीटीपी के रूप में पंजीकृत कराया गया है, जिनमें बंदियों को 10 विभिन्न ट्रेड कारपेन्ट्री, हेन्डलूम, पावरलूम, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, कुकिंग, साफ्ट टॉय मेकिंग, लेदर बैग एवं फेब्रीकेशन के प्रशिक्षण दिये जा रहे है। इसके अतिरिक्त जिला जेल धार एवं बैतूल में बंदियों हेतु आईटीआई स्थापित है, जिनमें वायरमेन, कारपेन्टर एवं ट्रेक्टर मैकेनिक ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आलोच्य प्रशिक्षण हेतु एनसीव्हीटी के मापदण्डानुसार प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे है। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित विभिन्न उद्योग एवं ट्रेडों के अतिरिक्त केन्द्रीय जेल भोपाल पर महिला बंदियों हेतु विभिन्न ट्रेड यथा ओल्ड ऐज केयर, हेयर एण्ड स्किन केयर, कटिंग एवं सिलाई तथा एम्ब्रॉयडरी एण्ड निडिल वर्क संबंधी महिला आईटीआई एवं केन्द्रीय जेल उज्जैन में पुरूष बंदियों हेतु विभिन्न ट्रेड यथा वायरमेन, मैकेनिक (ट्रेक्टर), मैकेनिक (इलैक्ट्रानिक्स), मैकेनिक (रिपेयर एण्ड मेन्टेन, टू व्हीलर्स) एवं प्लंबर ट्रेड संबंधी पुरूष आईटीआई की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है, जिससे बंदियों को उनके रूचि के अनुरूप व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल हेण्डपंप

47. (क्र. 2372) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में कितने हैण्डपंप लगाये गये एवं किन-किन स्थानों पर लगाये गये हैं? (ख) वर्तमान में कितने हैण्डपंप पेयजल हेतु गॉवों में चालू अवस्था में हैं, तथा कितने बन्द पड़े हैं? किस गॉव में किस स्थान पर चालू हैं, तथा किस गॉव में कहाँ-कहाँ बन्द हैं? गॉव का नाम एवं स्थान बतावें? (ग) गर्मी में पानी की कमी होने पर नवीन हैण्डपंप लगाने या बन्द/खराब पड़े हैण्डपंप को सुधारने के लिए क्या योजनाएँ बनाई गई हैं? (घ) नवीन हैण्डपंप में से कितनों पर सिमेण्ट के प्लेटफार्म बने हैं, तथा कितने बाकी है? स्थान बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-1 **अनुसार**। (ख) 1363 हैण्डपंप चालू तथा 306 बंद। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-2 **अनुसार**। (ग) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से बंद/खराब पड़े सुधार योग्य हैण्डपंपों को लोक सेवा प्रदाय गारंटी के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित रूप से हैण्डपंप को सुधारा जाता है। इस हेतु पर्याप्त अमला एवं सामग्री उपलब्ध है। आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उन ग्रामों में नवीन हैण्डपंप खनित किये जावेंगे जहाँ निर्धारित मापदण्ड (55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन) से कम पेयजल व्यवस्था है। (घ) सफल सभी 630 ऐसे नलकूपों जिनमें हैण्डपंप स्थापित हैं, पर प्लेटफार्म बना दिये गये हैं, 123 ऐसे नलकूप जिनमें जलस्तर अत्यधिक नीचे है, उनमें न तो हैण्डपंप स्थापित किये गये हैं न तो प्लेटफार्म निर्मित किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कृषि महोत्सव में उपस्थित कराना

48. (क्र. 2373) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र है? (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कृषि महोत्सव में आने एवं किसानों को लाने का दायित्व दिया गया था या नहीं? (ग) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अपने विभाग के अतिरिक्त अन्य किन-किन विभागों में कार्य करने में मदद ली जा सकती है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 437 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 65 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र है। (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रचार-प्रसार करने एवं कृषि महोत्सव में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिये गये थे। (ग) जी नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ उन कार्यो में सहयोग किया जाता है जो 0-से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य से संबधित होते हैं।

जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाना

49. (क्र. 2396) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले में अयोध्यावासी सोनी (भैरवा) एवं नाल जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है, जिससे इनके परिवार को जाति के आधार पर शासन की सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्यों? (ख) देवास जिले के निकट के अन्य जिलों में अयोध्यावासी सोनी (भैरवा) एवं नाल जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं, परन्तु देवास जिले में नहीं ऐसा क्यों? (ग) क्या देवास जिले में अयोध्यावासी सोनी (भैरवा) एवं नाल जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाये जायेंगे या नहीं? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों? क्या इन लोगों को लाभ देने की कोई योजना बनायी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिकारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करना

50. (क्र. 2397) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 में देवास जिले के किन-किन शासकीय अधिकारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? (ख) किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है? (ग) किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यवहार ठीक नहीं होने के कारण वरिष्ठ कार्यालय के लिए भेजा गया?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "आठ"

बैंक ऋण की राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि

51. (क्र. 2442) डॉ. मोहन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैंक शाखाओं द्वारा कृषकों को प्रदान किये जाने वाले ऋण के संबंध में विलेख की एक प्रति तहसील कार्यालय में भेजी जाती है? यदि हाँ, तो उन बंधक विलेख की प्रविष्टी राजस्व अभिलेख में किये जाने

के संबंध में क्या नियम है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) उक्त बंधक प्रविष्टी राजस्व अभिलेख में किये जाने के संबंध में 09 जनवरी 2010 के पश्चात कौन-कौन से आदेश उच्च कार्यालय द्वारा जारी किये गये, प्रतिलिपि देवें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) से संदर्भित प्रविष्टी राजस्व अभिलेखों में नहीं की जा रही है? जिसके कारण बैंकों में बंधक एवं भारग्रस्त भूमि का विक्रय किया जा रहा है, यदि हाँ, तो उज्जैन जिले में ऐसे कितने प्रकरण 01 जनवरी 2012 के पश्चात प्रकाश में आये, प्रकरणवार तहसीलवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (ख) से संबंधित प्रविष्टी नहीं किये जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बच्छराज जिनिंग फैक्ट्री की भूमि

52. (क्र. 2469) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में बच्छराज जिनिंग फैक्ट्री की कितनी भूमि है? उस पर शासन ने किस दिनाँक को अपना आधिपत्य किया है? वर्तमान में उस भूमि की क्या स्थिति है? (ख) उक्त भूमि पर शासन की कोई जनहित योजना जैसे नवीन अस्पताल भवन आदि के संबंध में कोई योजना प्रस्तावित है या शासन जैसे 100 बिस्तर के नवीन अस्पताल भवन आदि निर्माण के लिये उक्त भूमि आवंटित करेगा? (ग) आज वर्तमान में भूमि किसके आधिपत्य में है? उस भूमि पर बने हुए भाग को किराये से किस व्यक्ति को किस अधिकारी द्वारा कितने किराये में किस नियम के अधीन कितने समय के लिये दी गई है एवं किराये की वसूली कौन कर रहा है, तथा उक्त भूमि पर बने हुए भाग को कब तक खाली करवा लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कस्बा बड़नगर स्थित बच्छराज फेक्ट्री की 5.737 हैक्टर भूमि है। अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 1/अ-32/9-10 आदेश दिनाँक 27.01.2011 को नजूल भूमि घोषित कर कब्जा प्राप्त किया गया है। वर्तमान में यह भूमि शासन की होकर रिक्त है। (ख) जी नहीं। (ग) वर्तमान में भूमि शासन के अधिपत्य में है। उक्त भूमि पर बने हुए 4 गोदाम को किराये पर नहीं दिया गया है। शासन द्वारा कब्जे पूर्व से बने हुए भाग पर अनावेदको द्वारा खाद का भण्डारण किया जाता था, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन था। माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर से स्थगन होने से कार्यवाही स्थगित की गई है।

पटवारियों से लिपिकीय कार्य कराने के संबंध में

53. (क्र. 2487) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) उज्जैन एवं तहसील कार्यालय उज्जैन में पटवारियों को संयोजित करके लिपिकीय कार्य करवाया जा रहा है? यदि हाँ, तो पटवारियों से लिपिकीय कार्य कराने का क्या उद्देश्य है? किस अधिकारी द्वारा इन्हे संयोजित किया गया उस अधिकारी का नाम एवं पद सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या उज्जैन जिले की तहसील में संयोजित पटवारियों को गत वर्ष कार्य मुक्त करके उनके पटवारी हल्कों में तैनात किया जा चुका है, किंतु अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन में तद्समय पदस्थ श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन ने तहसील कार्यालय उज्जैन में पदस्थ पटवारियों को कार्यमुक्त न करते हुए उन्हें लिपिकीय कार्य में ही संयोजित रखा गया? इसका क्या कारण रहा? (ग) अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) का यह कार्य

शासन की प्रशासनिक नीति के विरूद्ध होने से लिपिकीय कार्य में संयोजित पटवारियों को पटवारी पद के देय वेतन/भत्तों की वसूली अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) के वेतन से शासन मद में वसूल की जावेगी? क्योंकि पटवारी पद पर नियुक्त व्यक्ति से लिपिकीय कार्य करने के कारण शासन का नुकसान हुआ है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुलिस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

54. (क्र. 2509) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में संचालित पुलिस थानों एवं चौकीयों में कितने पद सृजित है? इनमें से कितने भरे हैं एवं कितने खाली हैं? पद वर्गवार विवरण देवें? क्या कार्यरत विभागीय शासकीय सेवकों के आवास हेतु थानेवार शासकीय आवास गृह उपलब्ध हैं? यदि नहीं तो क्या इस ओर कार्यवाही होगी? (ख) क्षेत्रान्तर्गत यातायात पुलिस हेतु कितने पद सृजित हैं एवं इनमें से कितने पद भरे हुए हैं? क्या शासन स्तर से यातायात पुलिस के रिक्त पदों पर पदपूर्ति या व्यवस्था की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजस्थान सीमा से लगे ग्रामों में अपराधियों की उचित रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं तो क्या शासन द्वारा इस ओर पहल की जायेगी? (घ) क्षेत्रान्तर्गत पुलिस चौकी बड़ागांव को पुलिस थाने का दर्जा एवं ग्राम मोड़ी में पुलिस चौकी की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार हैं।** (ख) क्षेत्रान्तर्गत यातायात पुलिस का बल स्वीकृत नहीं है। आवश्यकतानुसार उपलब्ध बल में से ही थाना सुसनेर, सोयत एवं नलखेड़ा में डियूटी लगायी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजस्थान सीमा से लगे ग्रामों में थाना सुसनेर व सोयत पर रोड़ गश्त तथा बार्डर गश्त की जाती है एवं सम्बंधित राजस्थान पुलिस से बार्डर मीटिंग की जाकर जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। प्रस्ताव मापदण्ड अनुसार न होने के कारण पुलिस मुख्यालय स्तर पर अमान्य किया गया।

परिशिष्ट - "नौ"

सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संतरा उत्पादन प्रोत्साहन

55. (क्र. 2510) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में विगत 02 वर्षों में संतरे का कितना उत्पादन हुआ है? कृपया तहसीलवार, ग्रामवार विवरण देवें? (ख) विधानसभा क्षेत्र में संतरा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु शासन स्तर से कोई प्रयास किए जा रहे है? यदि हाँ, तो किस प्रकार के कृपया विवरण देवें? (ग) क्या संतरा उत्पादन करने वाले कृषकों को विभाग द्वारा कोई अनुदान योजना का लाभ दिया जाता है? यदि हाँ, तो विगत 02 वर्षों में कितना अनुदान दिया गया है? क्षेत्रान्तर्गत देय अनुदान का विवरण देवें? (घ)

क्या क्षेत्र में संतरे की गुणवत्ता व उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं ग्रेडिंग प्लान्ट प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है एवं प्लान्ट कब तक प्रारम्भ हो जावेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में संतरे का उत्पादन वर्ष 2012-13 में 1.08 लाख टन और वर्ष 2013-14 में 3.41 लाख टन होना आंकलित है। ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) एवं (ग) ग्राम देहरीपाल में उच्च तकनीक की नर्सरी स्थापित की गयी और फल रोपण हेतु कृषकों को अनुदान दिया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (घ) जी नहीं, इच्छुक उद्यमी को अनुदान एवं सहायता प्रदाय करने की नीति है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

<u>पुनर्वास ग्रामों की जमीन</u>

56. (क्र. 2720) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के पुनर्वास ग्रामों हेतु किस अधिसूचना क्रमांक दिनाँक के द्वारा कितनी वन भूमि डीनोटीफाईड की गई? उस भूमि पर कौन-कौन सा ग्राम बसाया जाकर उन ग्रामों को राजस्व ग्राम किस दिनाँक को घोषित किया गया? (ख) डीनोटीफाईड आरक्षित वन भूमि पर बसाए गए किस पुनर्वास ग्राम की कितनी जमीनों को खाते की जमीन एवं कितनी-किन जमीनों को गैरखातें की किस मद में दर्ज जमीन वर्तमान में राजस्व विभाग प्रतिवेदित कर रहा हैं इसमें से कितनी जमीनों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने दायर पुर्नविचार याचिका वर्ष 2002 आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में इजमेंट राइट्स की जमीन बताया जाकर वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया? (ग) पुनर्वास ग्रामों की डीनोटीफाईड आरक्षित वन भूमि को सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में किस दिनाँक को दिए गए आदेश के तहत वर्तमान में वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली भूमि माना जा रहा हैं? (घ) पुनर्वास ग्रामों की डीनोटीफाईड आरक्षित वन भूमि पर का बिजों को राजस्व विभाग पट्टें दिए जाने हेतु वर्तमान में क्या कार्यवाही कर रहा हैं यदि नहीं कर रहा हैं तो कारण बतावें कब तक कार्यवाही करेगा समय सीमा बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अधिक अन्न उपजाओं योजनांतर्गत जमीनों के पट्टे</u>

57. (क्र. 2721) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन विभाग के द्वारा अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत् 1966 एवं राज्य मंत्री मंडल के निर्णय के तहत 1975 में जिन जमीनों को बैतूल जिले में राजस्व विभाग को अंतरित किया? उन जमीनों पर काबिजों को शासनादेश के बाद भी प्रश्नांकित तिथि तक पट्टे वितरित नहीं किए गए? (ख) बैतूल जिले के किस ग्राम की कितनी जमीन 1966 एवं कितनी जमीन 1975 में वन विभाग ने राजस्व विभाग को अंतरित की उसमें से कितनी जमीन पट्टें पर आवंटित कर दी गई कितनी जमीन प्रश्नांकित तिथि तक भी पट्टें पर काबिजों को आवंटित नहीं की जा सकी है? (ग) 1966 एवं 1975 में अंतरित जमीनों को पट्टें पर वितरित किए जाने के राज्य शासन ने कब-कब आदेश, निर्देश दिए उनका पालन न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) शासनादेश के अनुसार 1966 एवं 1975 में

अंतरित जमीनों का काबिजों को कब तक पट्टें का वितरण कर दिया जावेगा? समय-सीमा सहित बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जाति प्रमाण पत्रों का वितरण

58. (क्र. 2735) डॉ. कैलाश जाटव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 एवं 2015 के जनवरी माह तक गोटेगांव तहसील एवं नरसिंहपुर विकासखण्ड के अंतर्गत कितने जाति प्रमाण बनाये गये एवं कितनों का वितरण किया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के समस्त प्रमाण पत्रों के डिजीटलाईजेशन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है? (ग) क्या संबंधित विभाग में बहुत अधिक संख्या में उपरोक्त आवेदन लंबित है? यदि हाँ, तो प्राप्त आवेदन एवं लंबित आवेदन की सूची प्रदान करें? (घ) वर्ष 2013-14 एवं 2015 के जनवरी माह तक प्राप्त आवेदन एवं लंबित आवेदन की सूची प्रदान करें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) तहसील गोटेगांव में वर्ष 2013-14 एवं 2015 के जनवरी माह तक कुल 33062 प्रकरण जाति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त हुए। जिनमें से 13691 प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को वितरित कर दिये गये है। नरसिंहपुर विकास खण्ड में वर्ष 2013-14 में 6960 एवं वर्ष 2015 में जनवरी माह तक 25552 जाति प्रमाण पत्र बनाकर हितग्राहियों को वितरित किये गये हैं। (ख) गोटेगांव तहसील के 13691 जाति प्रमाण पत्र डिजीटलाईजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नरसिंहपुर विकासखण्ड वितरित जाति प्रमाण पत्र 32512 में से 6891 जाति प्रमाण पत्र पर डिजीटलाईजेशन कर लिये गये हैं, शेष जाति प्रमाण पत्रों को डिजीटलाईजेशन की कार्यवाही की जा रही है। (ग) तहसील गोटेगांव में कुल 19371 आवेदन पत्र लंबित है जिनका तत्परता से निराकरण किया जा रहा है। (घ) वर्ष 2013-14 एवं 2015 के जनवरी माह में तहसील गोटेगांव में कुल आवेदन 33062 प्राप्त हुए जिसमें से 19371 आवेदन पत्र लंबित है।

नवीन पशु औषधालयों एवं पशु अनुसंधान केन्द्रों की स्वीकृति

59. (क्र. 2772) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले के तहसील मुख्यालय ब्यावरा से सुठालिया के मध्य 26 कि.मी. ब्यावरा से राजगढ़ के मध्य 25 कि.मी. सुठालिया से लखनवास के मध्य 40 कि.मी. तथा ब्यावरा से नरसिंहगढ़ के मध्य 35 कि.मी. की दूरी में कोई पशु औषधालय नहीं होने से पशुपालकों को अत्याधिक दूरी तय करके पशुओं के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय ब्यावरा अथवा सुठालिया आना पड़ता है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या तहसील मुख्यालय स्तर पर पशु अनुसंधान केन्द्र नहीं होने से पशुओं के रोगों के परीक्षण हेतु जिला मुख्यालय राजगढ़ जाना पड़ता है? (ग) उपरोक्तानुसार (क) एवं (ख) में यदि हाँ, तो क्या शासन ब्यावरा से सुठालिया के मध्य ग्राम गिन्दौरहाट, ब्यावरा से राजगढ़ के मध्य ग्राम पीपलबें, सुठालिया से लखनवास के मध्य ग्राम सेमलापार तथा ब्यावरा से नरसिंहगढ़ के मध्य ग्राम पगारीबंगला में नवीन पशु औषधालयों की स्वीकृति तथा पशु चिकित्सालय ब्यावरा के स्वामित्व

की दो एकड़ रिक्त भूमि पर पशु अनुसंधान केन्द्र की भी स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं, पशुपालन विभाग में पशु अनुसंधान केन्द्र संचालित नहीं है अपितु सेम्पल एकत्रित कर जिला स्तर पर संचालित जिला रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भेजे जाते है। (ग) जी नहीं, प्रश्नांश (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ब्यावरा तहसील मुख्यालय पर सहायक यंत्री कार्यालय की स्वीकृति

60. (क्र. 2773) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले के विकासखण्ड ब्यावरा के अंतर्गत लगभग 300 राजस्व ग्राम व अन्य मजरे टोले हैं, जिनमें हैण्डपंपों व नल जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या ब्यावरा विकासखण्ड में सहायक यंत्री मुख्यालय नहीं होने व सामग्री स्टोर की भी व्यवस्था नहीं होने से स्थापित पेयजल स्त्रोतों का रखरखाव व संधारण समय पर नहीं हो पाता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन विकासखण्ड ब्यावरा में सहायक यंत्री कार्यालय मय स्टोर शाखा सहित स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती परीक्षा

61. (क्र. 2789) श्री कमलेश शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दि. 23-02-2008 को जारी अधिसूचना में म.प्र. जूनियर प्रशासकीय सेवा में स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से सीधी भर्ती द्वारा नायब तहसीलदार पदों पर कितनी नियुक्ति की गई है? (ख) क्या 2009 के पश्चात उक्त परीक्षाएं आयोजित की गई? यदि नहीं तो इसके कारण बतावें? वर्तमान रिक्त पदों की स्थिति बतावें? (ग) क्या शासन ने इस परीक्षा को व्यापम से आयोजित करने के लिए कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो विवरण दें? (घ) यदि नहीं तो क्या राजस्व विभाग इस परीक्षा को आयोजित करेगा, कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) दिनाँक 23.02.2008 को जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से सीधी भरती द्वारा नायब तहसीलदार के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। (ख) जी नहीं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा असमर्थता व्यक्त करने के कारण उक्त परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई, वर्तमान में नायब तहसीलदार के 50 पद रिक्त हैं। (ग) जी हाँ। आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर के पत्र क्रमांक 5879/स्था-एक/स.अ.भू.अ/09, दिनाँक 24.11.2009 द्वारा आवेदन पत्र व्यापम भोपाल को भेजकर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु लिखा गया था, किन्तु व्यापम ने उनके पत्र क्रमांक मंडल/5/प.एक/178/09, दिनाँक 19.03.2010 द्वारा उक्त परीक्षा का आयोजन करने में असमर्थता व्यक्त की गई। (घ) जी नहीं। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।

पेयजल आपूर्ति

62. (क्र. 2818) श्री मुकेश नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बुंदेलखण्ड विकास पैकेज के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 6 जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिये भारत सरकार से वर्ष 2011-2012 से अब तक कुल कितनी धन राशि प्राप्त हुई और राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई? (ख) वर्ष 2011-2012 से दिसम्बर 2014 तक बुंदेलखण्ड अंचल के 6 जिलों में कितने ग्रामों और शहरों को पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिये क्या उपाय किये गये और कितने पेयजल स्त्रोतों का निर्माण किया गया? जिलेवार जानकारी देवे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) रूपये 100.00 करोड़ प्राप्त। रूपये 99.67 करोड़ व्यय। (ख) शहरों में कोई कार्य नहीं किया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**।

परिशिष्ट - "दस"

भू अभिलेख में नामांतरण दर्ज करना

63. (क्र. 2819) श्री मुकेश नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की सागर तहसील के ग्राम गढ़ौली खुर्द में भूमि ख.न. 87.88 रकवा में परिवारिक भूमि बँटवारे के बाद भी भूस्वामी उमाशंकर बल्द नारायण प्रसाद पटेरिया का नाम दर्ज न होने के क्या कारण है जबकि नामांतरण विवाद में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी सागर के तहसीलदार को नामांतरण के स्पष्ट आदेश 30.03.2009 को दिये है? (ख) इसी मामले में सागर के अतिरिक्त कमिश्नर ने दिनाँक 03.02.2014 तथा इससे पूर्व राज्य मण्डल ग्वालियर ने दिनाँक 26.05.2011 को भी उमाशंकर के पक्ष में नामांतरण दर्ज करने के निर्देश दिये है लेकिन क्या कारण है कि जिला कलेक्टर सागर और तहसीलदार सागर इस प्रकरण में जानबूझ कर विलंब कर रहे है और भूस्वामी को न्याय नहीं दे रहे है? इस संबंध में अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निजी कॉलोनियों को ग्राम पंचायतों को सौंपे जाना

64. (क्र. 2876) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक-16 दिनाँक 16.07.14 में सदन में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्रीजी द्वारा निजी कॉलोनियों को ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने के दौरान की गई अनियमितताओं के संबंध में भोपाल से उच्च अधिकारी जाँच कराये जाने का आश्वासन सदन में दिया था, यदि हाँ, तो वर्तमान तक किस अधिकारी को क्षेत्र में भेजकर जाँच कराई गई है? यदि जाँच नहीं की गई हो तो कब तक कर ली जावेगी? (ख) क्या निजी कॉलोनी को ग्राम पंचायतों को सौंपते समय क्या सीमेन्टीकृत सड़क, अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज, ओव्हर हेड टंकी से पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए? क्या शासन के कोई मापदण्ड है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) के अनुसार सीमेन्टीकृत सड़क, अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज, पीने की पानी के लिये ओव्हर हेड टंकी का निर्माण न कर कॉलोनी सौंपी गई है, तो इन कॉलोनाइजर के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? समय सीमा बताई जावे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का प्रदाय

65. (क्र. 2879) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. राजपत्र दिनाँक 1.10.2014 में प्रकाशित न्यूनतम वेतन अधिनियम 1984 के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये दिनाँक 1.10.2014 से नयी दरें प्रभावशील की गई है? यदि हाँ, तो राजपत्र की प्रति देवें? (ख) क्या जिला बालाघाट में रोपणी में कार्यरत श्रमिकों को प्रतिमाह रू. 8435.00 (दैनिक 324.00 रूपया) की दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, तथा होशंगाबाद जिले में बालाघाट जिले के कर्मचारियों के अनुरूप वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ में है, तो इस प्रकार की भिन्नता क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। राजपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे **परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) बालाघाट जिले में श्रमायुक्त की अद्यतन अधिसूचना दिनाँक 31.10.2014 और होशंगाबाद जिले में श्रमायुक्त की पुरानी अधिसूचना दिनाँक 23.09.2014 के अनुसार निर्धारित दर के कारण भिन्नता है। होशंगाबाद जिले में भी श्रमायुक्त की अधिसूचना दिनाँक 31.10.2014 के अनुरूप न्यूनतम वेतन भुगतान करने के निर्देश जिला अधिकारी को दे दिये गये है।

हैण्डपम्प खनन एवं अन्य व्यवस्था

66. (क्र. 2885) श्री महेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में पानी का लेवल अत्यन्त नीचे जाने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है वर्ष 2012- 13, 13-14, 14-15 में खनन किये गये वर्तमान में कितने हैण्डपंप बंद हो गये हैं? (ख) क्या बंद हैण्डपंप की पाईपलाइन बढ़ाई गई है? क्या जो हैण्डपंप बंद पड़े हैं पूर्णत: अनुपयोगी हो गये है वहाँ पेयजल व्यवस्था बनाये रखने हेतु नये हैण्डपंप लगाये गये हैं यदि नहीं लगाये गये हैं तो कारण क्या है? (ग) क्या पेयजल संकट से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त कार्यवाही भी की गई है? यदि नहीं तो क्या कारण है क्या पेयजल संकट से निपटने के लिए नये हैण्डपंप खनन या अन्य व्यवस्था करेगें? (घ) क्या शासन ऐसे लापरवाह अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। वर्तमान मे 13 हैण्डपंप बंद हैं। (ख) जी हाँ। जी नहीं। वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में स्थापित किये गये नये हैण्डपंपो से कोई भी अनुपयोगी नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता (ग) वर्तमान में पेयजल संकट की स्थिति नहीं है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं विभागीय लक्ष्य के अंतर्गत संकटग्रस्त आंशिक पूर्ण श्रेणी के ग्रामों में नवीन हैण्डपंप खनन की कार्यवाही की जावेगी। (घ) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

नल जल योजनाओं की जाँच

67. (क्र. 2886) श्री महेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी योजना संचालित है, क्षेत्रान्तर्गत

कितने हेडपंप शासन द्वारा लगाये गये है कितने हेडपंप चालू है तथा कितने बिगड़े हैं पंचायतवार जानकारी बतावें? (ख) गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में कितनी नलजल योजनाओं का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया ग्रामवार जानकारी बतावें? उक्त स्वीकृत योजना अंतर्गत कितनी नलजल योजनाएं निर्माण करा ली गई है, तथा कितनी निर्माणाधीन हैं? नलजल योजनाएं वर्तमान में मौके पर संचालित है, तथा कितनी बंद पड़ी हैं बंद का कारण क्या है? (ग) जिन नलजल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है संख्या क्या है जैसे पाईप की लंबाई या टोटी लगाई है या जो अपूर्ण पड़ी है उनमें मोटर, पाईप की लंबाई, टोटी की संख्या क्या है साथ ही इन योजना में किन कंपनी की सामग्री का उपयोग किया गया है कि जानकारी सहित बतावें? (घ) क्या जो वर्तमान में नलजल योजनाओं में उपयोग की गई सामग्री मोटर, पाईप, टंकी, टोटी की सामग्री अत्यन्त घटिया एवं निम्न स्तर की इस्तेमाल की गई है जिसके कारण 95 प्रतिशत नलजल योजनाएं बंद पड़ी है इनका ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समयावधि बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) नलजल प्रदाय योजनाएं तथा हैण्डपंप आधारित योजनाएं संचालित हैं। क्षेत्रान्तर्गत 3005 हैण्डपंप स्थापित हैं, इनमें से 2744 हैण्डपंप चालू तथा 261 हैण्डपंप बन्द हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार।** (ख) 145 नलजल प्रदाय योजनाएं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' एवं 'स' अनुसार।** 128 योजनाएं पूर्ण, 16 योजनाएं निर्माणाधीन एवं 01 योजना अप्रारम्भ है। पूर्ण योजनाओं में से 44 चालू तथा 84 योजनाएं बन्द हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' एवं 'स' अनुसार।** (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

अतिवृष्टि/ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को राशि उपलब्ध कराना

68. (क्र. 2888) श्री महेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अतिवृष्टि / ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों की हानि का कितने किसानों को मुआवजा 50 प्रतिशत से कम व 50 प्रतिशत से अधिक दिया गया है किसान को प्रदाय की गई राशि की हल्कावार जानकारी दें? (ख) यदि उक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, तथा जिन किसानों का आज दिनाँक तक मुआवजा मिलना शेष है उन्हें कब तक राशि या मुआवजा उपलब्ध करा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित डाक बंगला खाली कराया जाना

69. (क्र. 2914) श्रीमती नीना वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित डाक बंगला रिक्त कराये जाने के संबंध में कलेक्टर धार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की गई? (ख) शासकीय आवास को खाली कराये जाने संबंधी नियमों का पालन किया गया हैं या नहीं? (ग) क्या संबंधित द्वारा उक्त भवन का किराया जमा किया गया है, यदि हाँ, तो कितनी अवधि का कितना किराया जमा हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) दिनाँक 05.03.2015 को डाक बंगला रिक्त कर दिया गया है।

(ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) किराया वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।

<u>शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक योजना</u>

70. (क्र. 2915) श्रीमती नीना वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले में सन् 2001 की जनगणना के मान से कुल कितने गांवों में पेयजल स्त्रोतों में फ्लोराईड़ की अधिक मात्रा पाई गई? कृपया तहसीलवार ग्रामों की संख्या बतावे? (ख) क्या उक्त गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई? (ग) यदि हाँ, तो तहसीलवार योजनाएं, उनकी लागत तथा लाभान्वित होने वाले गांवों एवं उनकी बस्तियों की संख्या तथा नाम बतायें? (घ) उपरोक्त में से कुल कितने गांवों की योजनाएं पूर्ण हो गई, तथा कितनी अपूर्ण है, संख्या दे तथा जो अपूर्ण है वे कब तक पूर्ण हो जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 399 ग्राम। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) जी हाँ। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। (घ) 67 ग्रामों हेतु योजना पूर्ण। 287 ग्रामों हेतु योजनाएं प्रगतिरत, इन्हें 30 जून, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

<u>परिशिष्ट - "ग्यारह"</u>

<u>नायब तहसीलदार द्वारा नियमों की अवहेलना</u>

71. (क्र. 2976) श्री प्रहलाद भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. विधानसभा प्रश्न संख्या 63 (क्रं. 953) दिनाँक 10.12.2014 में विभाग ने यह माना है कि नायब तहसीलदार द्वारा अपने प्रभार के वृत्त से अन्य दूसरे तहसीलदार के प्रभार के वृत्त में आदेश पारित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासन ने यह भी माना है कि दूसरे के वृत्त के प्रभार में आदेश सामान्यत: पारित नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ, तो दूसरे तहसीलदार के वृत्त में आदेश जारी करने वाले उक्त नायब तहसीलदार के विरूद्ध नियमों की अवहेलना करना क्या यह गंभीर त्रुटि नहीं है? यदि हाँ, तो इस गंभीर त्रुटि के लिये शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त नायब तहसीलदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में माननीय मंत्री महोदय, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग को पत्र द्वारा शिकायत की गयी है? यदि हाँ, तो उस पर प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो उक्त तहसीलदार के विरूद्ध शासन द्वारा कोई अनुशासनात्मक या दण्डात्मक कार्यवाही कर शिवपुरी जिले से कब तक हटा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अध्ययनरत विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र</u>

72. (क्र. 2993) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितने आवेदन 01.07.2014 से 30.01.2014 तक प्राप्त हुए? जातिवार, संकुलवार जानकारी देवें? (ख)

प्राप्त आवेदनों में से कितने छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाये गये तथा छात्रों को वितरित किये गये? (ग) कितने आवेदन जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए शेष बचे है तथा कब तक इनके जाति प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>दस्यु अधिनियम का पुलिस द्वारा दुरूपयोग</u>

73. (क्र. 3037) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दस्यु एवं नक्सली प्रभावित कौन-कौन से जिले वर्ष, 2004 की स्थिति में घोषित थे एवं वर्ष, 2014 की स्थिति में कौन-कौन से जिले दस्यु एवं नक्सली प्रभावित घोषित है? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रश्न दिनाँक तक प्रदेश में डकैती के कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, जिसमें असूचीबद्ध गिरोह द्वारा डकैती, हत्या, अपहरण आदि की कितनी-कितनी वारदातें की हैं तथा प्रदेश के किन-किन जिलों में कौन-कौन से दस्यु गिरोह सक्रिय हैं? (ग) वर्ष 2013-14 में दस्यु उन्मूलन के लिए कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था एवं कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई थी एवं दस्यु उन्मूलन समस्या के लिए विशेष पुलिस बल किस स्तर के पुलिस अधिकारी से लेकर पुलिस कर्मचारी तक कितनी-कितनी संख्या में स्वीकृत एवं पदस्थ है? (घ) यदि प्रदेश में दस्यु उन्मूलन की समस्या समाप्त हो गई है, तो क्या शासन दस्यु अधिनियम को समाप्त करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्ष 2004 की स्थिति में क्रमशः भिण्ड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी एवं जिला रीवा के थाना दभौरा, पनवार, अतरेला, सिरमौर, जवा, जनेह तथा समेरिया क्षेत्र व जिला सतना के थाना नयागांव, बरौधा मझगंवा, सिंहपुर, सभापुर तथा धारकंडी क्षेत्र दस्यु प्रभावित घोषित थे। वर्ष 14 की स्थिति में उपरोक्त जिलों के अतिरिक्त जिला पन्ना के थाना अजयगढ़, धरमपुर, ब्रिजपुर, मंडला को वर्ष 2006 में दस्यु प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्ष 2004 की स्थिति में जिला बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी नक्सली प्रभावित जिले घोषित थे। वर्ष 2014 की स्थिति में केवल बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला घोषित है। (ख) प्रदेश में डकैती के वर्ष 2013-14 में 17, वर्ष 2014-15 में 24 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। वर्ष 2013-14 में असूचीबद्ध गिरोह द्वारा डकैती की 16, हत्या की 03 व अपहरण की 04 वारदातें घटित की गई हैं। वर्ष 2014-15 में डकैती की 24, हत्या की 01 व अपहरण की 05 वारदातें घटित की गई है। प्रदेश में वर्तमान में सक्रिय दस्यु गिरोहों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार।** (ग) वर्ष 2013-14 में दस्यु उन्मूलन अभियान के लिये शासन द्वारा योजना क्र.1816- डकैती रोधक अभियान के अंतर्गत कुल राशि रूपये 42.70 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। पुलिस विभाग को केन्द्र सरकार से सीधे कोई बजट प्राप्त नहीं होता है। दस्यु उन्मूलन समस्या के लिये स्वीकृत पुलिस बल एवं पदस्थ अधिकारी कर्मचारी का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "बारह"</u>

<u>शासकीय भूमि पर अतिक्रमण</u>

74. (क्र. 3041) श्री राजेश सोनकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर जिले में कई शासकीय भवनों, विद्यालय परिसर व अन्य शासकीय परिसरों पर अतिक्रमण और अलाटमेन्ट से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? हाँ, तो जिले में जहाँ-जहाँ अतिक्रमण 31.1.15 की स्थिति में भी है, अतिक्रमणकर्ता, भूमि नाप सहित बतावें? (ख) क्या इंदौर जिले के डकारया गांव के कन्या हाई स्कूल में चार-पांच अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा कर रखा है और इसकी शिकायत विद्यालय प्रधान द्वारा भी की गई? फिर भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की गई? शिकायत प्रति की तारीख बतावें? (ग) क्या इंदौर शहर में महाराजा शिवाजी राव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास के परिसर में कतिपय व्यक्तियों को पट्टे दिये गये किन्तु उन व्यक्तियों द्वारा पट्टे में वर्णित भूमि के अलावा भी आस पास की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है? हाँ, तो प्रत्येक पट्टाधारी का नाम और उसे आवंटित भूमि और 31.1.15 को उसके द्वारा कब्जा की गई भूमि का नाप बतावें? इन्हें हटाने पर क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं, तो कारण बतावें? (घ) कब तक इंदौर और डकारया के कब्जे हटावेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इन्दौर जिले में विधानसभावार नलकूप की स्थिति

75. (क्र. 3048) श्री राजेश सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर जिले में 2013-14 और 2014-15 में विधान सभा क्षेत्रवार कितने-कितने नलकूप स्वीकृत हुये थे और कितने खनन किये गये कितनों में पर्याप्त पानी निकला और कितनों में मोटर डाली गई? (ख) क्या कई नलकूप पिछले वर्षों में खनन किये गये, किन्तु 31.1.15 की स्थिति में वे सूखे है विधानसभा क्षेत्रवार संख्या बतावें? इन्हें चालू करने की कोई योजना है क्या? (ग) क्या हाइड्रों फ्रेक्चरिंग मशीन द्वारा कई नलकूपों को पुन: चालू किया जा सकता है और अनुमानत: 85% सफलता मिलती है यदि हाँ, तो क्या इन्दौर जिले में इस पद्धति का उपयोग किया जायेगा क्या कोई मशीन क्रय करने का इन्दौर के लिये प्रस्ताव है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी हाँ, क्रमशः विधानसभा क्षेत्र राउ में 106, सांवेर में 120, महू में 165 एवं देपालपुर में 176 नलकूप पानी की कमी से सूख गये हैं। उक्त नलकूपों को पुनः चालू करने हेतु इन नलकूपों की हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कराई जाना प्रस्तावित है। (ग) जी हाँ, सफलता के प्रतिशत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट - "तेरह"

रिक्त पदों की पूर्ति

76. (क्र. 3079) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ आर.आई./पटवारी के कुल कितने पद स्वीकृत है? इनके विरूद्ध कुल कितने पद प्रश्न दिनाँक तक भरे हुई है एवं कितने पर अतिरिक्त चार्ज है विकासखण्डवार/तहसीलवार/ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ख) जिन अधिकारियों पर

अतिरिक्त प्रभार है उन अधिकारी/कर्मचारियों के नाम/पद/अतिरिक्त प्रभार का विवरण, तथा इनके प्रभार का कार्यकाल सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ग) जो पद रिक्त है उन पर कब तक अधिकारी/कर्मचारियों की व्यवस्था की जावेगी, अवधि से अवगत कराया जावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पिपलौदा तहसील में भू-जल संवर्धन हेतु पायलेट प्रोजेक्ट की स्थिति

77. (क्र. 3123) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा जल के अतिदोहित क्षेत्रों में भू-जल संवर्धन हेतु कार्य योजना बनाकर जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलौदा तहसील में पायलेट प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया है? (ख) यदि हाँ, तो किस वर्ष में प्रोजेक्ट की स्वीकृति कितने बजट की होकर उसके माध्यम से क्या-क्या कार्य किया जाना सुनिश्चित किया गया है? (ग) उक्त प्रोजेक्ट कब से प्रारंभ कर उसे कितनी समयावधि में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित होकर इसके अंतर्गत भू-जल संवर्धन संबंधी कार्यों के साथ-साथ क्या स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सके, इस हेतु भी क्या कुछ किया जाएगा? (घ) यदि हाँ, तो योजना के स्वीकृत दिनाँक कार्य प्रारंभ दिनाँक, संपूर्ण योजना हेतु स्वीकृत कुल बजट, व्यय राशि एवं प्रश्न दिनाँक तक क्रियान्वयन एजेंसी/एजेंसियों की पूर्ण स्थिति से अवगत करायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2012, रुपये 186.35 लाख। योजना के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन कर ग्रामीणजनों में स्वच्छ पेयजल के प्रति जागरूकता पैदा कर एवं उनकी क्षमतावृद्धि कर भूजल संवर्धन योजनाएं तैयार की जाना है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ग) 01 दिसम्बर 2012, 24 माह, जी हाँ। (घ) स्वीकृति दिनाँक 05.11.2012, कार्य प्रारंभ दिनाँक 01.12.2012, बजट राशि रुपये 202.30 लाख, अद्यतन व्यय राशि रूपये 118.00 लाख। उक्त कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ग्राम भदवासा जिला रतलाम है, एजेंसी द्वारा किये जा रहे कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

डबरा नगर पालिका क्षेत्र में नामांतरण

78. (क्र. 3140) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के डबरा नगरपालिका क्षेत्र के किसानों द्वारा वर्ष 2014 में कितनी कृषि भूमि को प्लाट के रूप में विक्रय कर रजिस्ट्रियां रजिस्ट्रार कार्यालय से कराई गई? संख्या बतावें? (ख) कितने लोगों ने नामांतरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये? कितने नामांतरण अविवादित पाये गये? कितने अविवादित नामांतरण आवेदनों पर नामांतरण के आदेश हुये? (ग) क्या डबरा नगरपालिका क्षेत्र के क्रय किये गयें प्लाटों के नामांतरणों पर किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो किस नियम अधिनियम/प्रावधान एवं किस धारा के अंतर्गत रोक लगाई गई? नियम प्रावधान की प्रति संलग्न की जावें? (घ) इस प्रकार की रोक के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है उसके प्रति क्या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नल जल योजना का संचालन

79. (क्र. 3157) श्री अजय सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) चुरहट विधान सभा क्षेत्र में कितनी नलजल योजना स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितनी नलजल योजनाएं संचालित है तथा कितनी योजनाएं बंद पड़ी है? कृपया ग्राम पंचायतवार जानकारी दी जावे? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार किन कारणों से नलजल योजना बंद पड़ी है और बंद नलजल योजना कब तक चालू करा दी जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 82 नलजल योजनाएं स्वीकृत तथा पूर्ण की गई 78 योजनाओं में से वर्तमान में 64 संचालित एवं 14 बन्द हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

चुरहट विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र

80. (क्र. 3158) श्री अजय सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) चुरहट विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है व कितने संचालित है ग्राम पंचायतवार जानकारी दी जाये? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या विभिन्न मदों से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य स्वीकृत हैं लेकिन निर्माण एजेंसियों द्वारा समय पर कार्य न करने के कारण क्या भवन उपलब्ध हो पा रहे हैं? कब तक भवन उपलब्ध कराया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) चुरहट विधानसभा क्षेत्र मे 458 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है, एवं 458 संचालित है। जानकारी ग्राम पंचायतवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। (ख) विभिन्न मदों से स्वीकृत आंगनवाड़ियों का विवरण एव अद्यतन स्थिति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है।

16वीं वटालियन को आवंटित भूमि एवं भवन

81. (क्र. 3174) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 16वीं वटालियन सागर को राजस्व विभाग द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गई है? (ख) उक्त भूमि पर 16वीं वटालियन द्वारा कितने भवनों/मैदान/अन्य कार्य किये गये है एवं कितनी भूमि अन्य प्रयोगों हेतु आरक्षित रखी गई है? (ग) यदि 16वीं वटालियन को उक्त आरक्षित जगह की जगह अन्य जगह पर भूमि उपलब्ध करा दी जावेगी तो क्या विभाग इस हेतु तैयार होगा कि नहीं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) राजस्व विभाग द्वारा 16वीं बटालियन सागर को सीधे कोई भूमि आवंटित नहीं की गई थी। वर्ष 1962-63 में 16वीं वाहिनी की स्थापना के दौरान पुलिस मुख्यालय स्तर पर 10वीं वाहिनी विसबल सागर के अधिपत्य की भूमि में से 58.47 एकड़ भूमि 16वीं वाहिनी सागर को उपयोग हेतु दी गई थी। (ख) उक्त भूमि पर 16वीं वाहिनी द्वारा 5 प्रशासनिक भवन 2 परेड ग्राउण्ड, 12 बैरिक, 01 पानी की टंकी, 60 शैचालय, 01 आप्स्ट्रिकल ग्राउण्ड, 2 भोजनालय कक्ष, 02 वॉलीवाल ग्राउण्ड, 01 पुराना बैडमिंटन ग्राउण्ड, 133 आवासगृह, 01 एनजीओज मैस, 01 अस्पताल भवन, 01 वेल्फेयर सेंटर, 01 आरमोररी वर्कशाप, 50 स्नानागार निर्मित किए गये है। अन्य प्रयोगो हेतु कोई भूमि शेष नहीं है। (ग) वर्ष 2000-01 में राज्य आवंटन के समय 16वीं बटालियन छत्तीसगढ़ राज्य को

आवंटित की जा चुकी है। इस बटालियन की 58.47 एकड़ भूमि/भवन अब जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर एवं पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया को आवंटित कर दी गई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) का संचालन

82. (क्र. 3176) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) अंतर्गत वर्ष 2014-15 में सागर जिले में कितनी राशि का आवंटन हुआ तथा यह राशि किन-किन मदों में कब-कब आवंटित हुई? (ख) उक्त आवंटन राशि की मांग कब-कब की गई? आवंटित राशि के खर्च की संपूर्ण जानकारी से अवगत करायें? (ग) एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) में कंप्यूटर खरीदी की संपूर्ण जानकारी एवं वर्तमान में यह कंप्यूटर कहाँ-कहाँ है, की समस्त जानकारी से अवगत करायें? (घ) एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) अंतर्गत सागर जिले में किस अवधि के लिये वाहन लिया गया तथा कब-कब भुगतान किया गया तथा कब-कब वाहन का प्रयोग योजनांतर्गत किया गया?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट 'क' अनुसार** है। (ख) **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट 'ख' अनुसार** है। (ग) आई.सी.पी.एस. योजनान्तर्गत **07** कंप्यूटर एल.यु. एन से क्रय किये गये थे जिनमे से **05** कंप्यूटर जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय एवं एक-एक कंप्यूटर किशोर न्याय बोर्ड एवं संप्रेक्षण गृह सागर में क्रियाशील है। (घ) एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) अंतर्गत **06/08/2013** से अनुबंधित किया गया है। अनुबंध दिनाँक से दिसंबर **2014** तक रूपये **12000.00** प्रतिमाह वाहन किराया भुगतान किया गया है। अनुबंध काल अवधि में वाहन का प्रयोग योजनान्तर्गत किया गया है

निर्मित टीन शेड पर अतिक्रमण

83. (क्र. 3179) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री दीनदयाल मंगल भा.ज.पा. व्यापारी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पर उनके विधिवत निर्मित टीन शेड को अतिक्रमण विरोधी मुहिम तोड़ते समय चर्चा करते मुरैना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया गया था? (ख) क्या श्री मंगल द्वारा वैधानिक दस्तावेज दिखाने को नगर पालिका अधिकारियों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने व गाली गलोज का असत्य प्रकरण 54/2015 दर्ज कराया गया था? (ग) क्या है पुलिस द्वारा मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता, जनता के सामने घर से जबरन पकड़कर कोतवाली में बंद कर विभिन्न प्रकार की यातनायें दी गई थी? (घ) क्या पुलिस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। श्री सचिदानंद शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की रिपोर्ट पर श्री दीनदयाल मंगल के विरूद्ध थाना कोतवाली मुरैना में दिनाँक 15.01.2015 को अपराध क्रमांक 54/15 धारा 353, 294 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। श्री दीनदयाल मंगल के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध में विधिवत् उनके निवास से दिनाँक 15.01.2015 को 13:30 बजे गिरफ्तार कर उसी दिन सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया। (घ) विवेचना जारी है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मुरैना जिले में अनुसूचित जाति की पट्टे की जमीन की विक्रय हेतु अनुमति

84. (क्र. 3184) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्ष 2010 से 2014 तक कितने अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को कृषि भूमि जो पट्टे पर दी गई थी उसकी बिक्री की अनुमति दी गई? (ख) क्या उक्त वर्ग की कृषि भूमि की बिक्री की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाती है क्या अनुमति देने में उन शर्तों का पालन किया गया है? (ग) उक्त अवधि में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग लोगों के कृषि भूमि विक्रय हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए कितनों को अनुमति दी गई कितने निरस्त किये गये? निरस्ती के क्या कारण रहे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नव गठित आगर-मालवा जिले में विभागों की जानकारी

85. (क्र. 3234) श्री गोपाल परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नव गठित आगर जिला दिनाँक 16.8.2013 से प्रभावशील होने के पश्चात प्रश्नांश दिनाँक तक आगर जिले में कितने विभागों की पदस्थापना सेट अप स्वीकृत हो चुके है एवं कितने विभागों की पदस्थापना होना शेष है शासन द्वारा विभागों की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी? (ख) शासन द्वारा किन-किन विभागों की स्वीकृति के बाद अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है? विभागवार पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की सूची देवें एवं कितने शेष बचे है, बचे हुये पदों की शासन कब तक पूर्ति कर देगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्त पदों की पूर्ति

86. (क्र. 3253) श्री विष्णु खत्री : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के समस्त थानों/चौकिओं में कितना अमला गृह विभाग द्वारा स्वीकृत है एवं इन स्वीकृत पदों पर कितने अधिकारी/कर्मचारी कब से पदस्थ है इनके नाम/पदनाम/गृह थाना क्षेत्र/पदस्थी दिनाँक से अवगत करावें? विभाग के नियमानुसार कितने समय तक एक अधिकारी/कर्मचारी किसी एक थाना क्षेत्र की सीमा में पदस्थ रह कर शासकीय सेवा कर सकता है? (ख) प्रत्येक थाने में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग की क्या कार्य योजना है यह रिक्त पद कब तक विभाग पूर्ति किये जाने की इच्छा विभाग रखता है, समय-सीमा बताये?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।** पुलिस विभाग में स्थानांतरण म.प्र. शासन गृह विभाग के आदेश दिनाँक 14.02.2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा के अनुरूप किये जाते है। सा.प्र.वि. द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार तीन वर्ष के उपरांत स्थानांतरण किया जा सकता है। (ख) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाने/चौकियों में रिक्त पदो की पूर्ति आगामी समय में बल की उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

व्यापम घोटाले में की गई गिरफ्तारियॉ एवं कार्यवाही

87. (क्र. 3258) श्री रामसिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में व्यापम घोटाले एवं फर्जीवाड़े के तहत वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक किन-किन छात्रों, दलालों, कर्मचारियों/अधिकारियों आदि को किस अपराध में कब-कब गिरफ्तार कर कितने दिन के लिए जेल भेजा गया? (ख) व्यापम घोटाले/पीएमटी घोटाले के तहत वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक भोपाल के किन-किन निजी मेडिकल कॉलेजों एवं उनमें प्रवेशरत् एवं अध्ययनरत् किन-किन छात्रों के विरूद्ध कौन-कौन से प्रकरण दर्ज किए गए एवं क्या-क्या कार्यवाही किन-किन के प्रति की गई? (ग) क्या भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज मानसरोवर डेंटल कॉलेज भोपाल के विरूद्ध कई अनियमितताएं एवं फर्जीवाड़े की शिकायतें प्राप्त हुई थी? जिसके तहत उसकी मान्यता वर्ष 2012 से वर्ष 2014 के मध्य रद्द की गई थी? यदि हाँ, तो मान्यता कब से कब तक क्यों रद्द की गई एवं प्रश्न दिनाँक तक उक्त मान्यता बहाल कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण सहित बताएं? (घ) क्या भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज मानसरोवर डेंटल कॉलेज भोपाल के बी.डी.एस. के छात्र संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी को भोपाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अक्टूबर 2012 से मार्च 2014 की अवधि में फर्जीवाड़े के तहत भोपाल की जेल में हवालाती बंदी के तहत भेजा था? यदि हाँ, तो कब से कब तक एवं किस अपराध में जेल भेजा था?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** आरोपियों के प्रदेश की विभिन्न जिलों में रहने के कारण जेल में रहने की अवधि के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** (ग) मानसरोवर डेंटल कॉलेज की मान्यता वर्ष 2012 से 2014 के मध्य रद्द नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, अप.क्र. 06/13 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं 3 (घ) 1, 2/4 म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के अंतर्गत दिनाँक 13.12.13 को गिरफ्तार किया गया था जो दिनाँक 14.12.13 से 19.12.13 तक न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल भोपाल में निरूद्ध था।

<u>व्यापम/पीएमटी घोटाले में भोपाल पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही</u>

88. (क्र. 3259) श्री रामसिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल पुलिस द्वारा व्यापम एवं पीएमटी घोटाले के तहत वर्ष 2010 से वर्ष 2014 के मध्य भोपाल के किन-किन थानों में अपराध पंजीबद्ध किए गए? (ख) क्या भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज मानसरोवर टेंडल कॉलेज प्रबंधन एवं छात्रों की फर्जी डिग्री आदि की कोई शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो कौन सी शिकायते प्राप्त हुई? क्या इसी कॉलेज के बी.डी.एस. छात्र संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी जो अक्टूबर 2012 से मार्च 2014 के मध्य गिरफ्तार किया गया था? यदि हाँ, तो कब एवं किस अपराध में? जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) थाना बिलखिरिया, पिपलानी, कोहेफिजा, श्यामला हिल्स, रातीबड़, एम.पी.नगर एवं जहाँगीराबाद थानों में पंजीबद्ध किये गये हैं। (ख) जी नहीं। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा करायी जा रही भोपाल में बीडीएस की परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना एस.टी.एफ. भोपाल में अप.क्र. 06/2013 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं 3 (घ), 1-2/4 म.प्र.मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम-1937 पंजीबद्ध कर

विवेचना में लिया गया जिसमें मानसरोवर डेंटल कॉलेज के पदाधिकारी एवं छात्र आरोपी हैं। उक्त अपराध की विवेचना में बीडीएस छात्र संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी को दिनाँक 13.12.2013 को गिरफ्तार किया गया है।

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बंटवारा नामांतरण एवं सीमांकन के प्रकरण

89. (क्र. 3260) श्री रामसिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक नामांतरण व बंटवारें एवं सीमांकन के कितने आवेदन प्राप्त हुए? एवं इनके नामांतरण/बंटवारा/सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण किन-किन के द्वारा किया गया? तहसीलवार जानकारी दें? (ख) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नामांतरण/बंटवारा/सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं किया गया? यदि हाँ, तो निर्धारित अवधि में कितने प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांकित वर्णित अवधि में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन दिसम्बर 2014 की स्थिति में निराकरण हेतु लंबित थे? इनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय भूमि का आवंटन

90. (क्र. 3290) श्री राम लल्लु वैश्य : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन ने गैर शासकीय संस्थाओं को भूमि आवंटन संबंधी नीति बनाने हेतु किसी समिति का गठन किया है? (ख) यदि हाँ, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन है और उक्त समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं? नीति कब तक बन जाएगी? क्या कोई समय-सीमा तय की गई है? (ग) वर्तमान में भोपाल नगर निगम सीमा में शासकीय भूमि आरक्षण/आवंटन हेतु किन-किन सहकारी गृह निर्माण समितियों के प्रस्ताव लंबित हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जाँच

91. (क्र. 3325) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस थाना ओमती, जबलपुर में एफ.आई.आर. क्र. 491 दि. 6-1-2014 के द्वारा परिवहन विभाग के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों जो कि नरसिंहपुर एवं जबलपुर में पदस्थ है, के विरूद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने व उसके आधार पर नौकरी करने, अपने बच्चों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह से संलग्न होकर अन्य लोगों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध हैं? (ख) यदि हाँ, तो पुलिस द्वारा प्रश्न दिवस तक प्रकरण की जाँच में क्या-क्या कार्यवाही की गई? बिन्दुवार पूर्ण ब्यौरा दें? (ग) क्या संबंधित प्रकरण में जाँच में पाये गये तथ्यों की केस डायरी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है? यदि नहीं, तो न्यायालय में कब तक चालान प्रस्तुत कर दिया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। श्रीमती अनिता सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में लगाये गये परिवाद के निर्णय /आदेश पर पुलिस थाना ओमती में परिवहन विभाग के संतोष पाल, श्रीमती रेखा पाल एवं साईमन जेवियर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 15/14 धारा 420, 467, 468, 471,

120-बी ता.हि. पंजीबद्ध किया गया है। (ख) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश एम.सी.आर.सी. नम्बर 547/2014 के निर्णय दिनाँक 23.01.2014 के पालन में अपराध क्रमांक 15/14 की धारा 482 जा.फौ. के तहत निरस्त किया गया है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकरण में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आई.सी.पी.एस. योजना में अनियमितता

92. (क्र. 3348) श्री अनिल फिरोजिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में आई.सी.पी.एस. योजनांतर्गत वर्ष, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में जिलेवार कितने बच्चे चिन्हित किये गये? (ख) उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या इस हेतु हितग्राही बच्चों को कोई भुगतान किया जाता है? यदि हाँ, तो किन-किन को कितना-कितना एवं किस माध्यम से? (घ) क्या उक्त भुगतान का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंहस्थ के दृष्टिगत पुलिसबल की पदस्थापना

93. (क्र. 3374) डॉ. मोहन यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के विभिन्न पुलिस थानों में वर्तमान में कितना पुलिस बल स्वीकृत है तथा कितना कार्यरत है? (ख) आगामी सिंहस्थ को देखते हुये किन-किन स्थानों पर नए थाने, चौकी एवं कौन-कौन से नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित है? (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, तो क्या इस कारण जिले में अपराध बढ़ रहे हैं? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।** (ख) आगामी सिंहस्थ को देखते हुये तत्समय थाने अस्थाई रूप से खोले जावेंगे। अन्य नवीन निर्माण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।** (ग) जी नहीं। वर्ष 2014 में अपराधों में सामान्य वृद्धि परिलक्षित हुई है।

परिशिष्ट - "चौदह"

विकासखण्ड चाचौड़ा में उपयंत्रियों की पद स्थापना

94. (क्र. 3449) श्रीमती ममता मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्री एम.एस. भटनागर की पदस्थापना माह दिसम्बर 2012 में सहायक यंत्री लोक स्वा.यां. उपखण्ड राघौगढ़ में की गई थी जबकि श्री एस.के.जैन सहायक यंत्री उपखण्ड राघौगढ़ में पदस्थ थे ऐसी दशा में एक ही पद पर इनके द्वारा कैसे ज्वाइन कर लिया गया? (ख) श्री एम.एस. भटनागर पूर्व में सहायक यंत्री लोक यां. उपखण्ड गुना के अन्तर्गत उपयंत्री के पद पर पदस्थ थे इनको बिना कार्यमुक्त किए उपखण्ड राघौगढ़ में ज्वाइन करा लिया गया इस संबंध में प्रश्नकर्ता दिनाँक 13.10.14 को पत्र के माध्यम से जानकारी चाही गई जो आज तक नहीं दी गई ऐसा क्यों? (ग) श्री एस.के.जैन की पदस्थापना उपखण्ड राघौगढ़ में सहायक यंत्री के पद पर शासन द्वारा की गई थी एवं श्री एस.के.जैन उपखण्ड गुना के सहायक यंत्री के प्रभार में माह मार्च 2013 तक रहे यानि श्री जैन माह मार्च 2013 तक दोनों उपखण्डों के सहायक यंत्री रहे जबकि उपखण्ड गुना में सहायक यंत्री के पद पर श्री डी.एन.नीखरा की पदस्थापना शासन द्वारा की गई थी? (घ) श्री डी.एन.नीखरा सहायक यंत्री को

माह अक्टूबर 2012 में कार्यपालन यंत्री के रिटायर्ड होने के कारण कार्यपालन यंत्री का कार्यभार दिया गया था इस दौरान इनके द्वारा उपखण्ड गुना के सहायक यंत्री के पद का कार्यभार उपखण्ड राघौगढ़ के सहायक यंत्री को दिया जाना उचित था क्या इनको वह अधिकार थे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। श्री एम.एस. भटनागर के द्वारा श्री एस.के.जैन सहायक यंत्री उपखंड, राधौगढ़ के दिनाँक 31.03.2013 को सेवानिवृत्ति होने के उपरांत सहायक यंत्री उपखंड, राधौगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था। (ख) जी हाँ। श्री एम.एस.भटनागर को शासन आदेश दिनाँक 31.12.2012 द्वारा सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नत कर उपखंड राघौगढ़ में पदस्थ किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दिनाँक 1.4.2013 को राधौगढ़ उपखंड में रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया। माननीय विधायक का पत्र दिनाँक 13.10.2014 विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है (ग) जी हाँ। श्री डी.एम.नीखरा, उपयंत्री को शासन के आदेश दिनाँक 31.12.2010 द्वारा सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नत कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड, गुना में पदस्थ किया गया। श्री नीखरा द्वारा कार्य की अधिकता के कारण उपखंड, गुना का प्रभार किसी अन्य को सौपनें का अनुरोध किया गया था, जिसके तारतम्य में अधीक्षण यंत्री, मंडल ग्वालियर के आदेश दिनाँक 27.11.2012 द्वारा उपखंड, गुना का अतिरिक्त प्रभार श्री एस.के.जैन सहायक यंत्री राधौगढ़ को सौपा गया। (घ) जी हाँ। अधीक्षण यंत्री मंडल, ग्वालियर के आदेश क्रमांक 77 दिनाँक 27.11.2012 द्वारा उपखंड गुना का अतिरिक्त प्रभार श्री एस.के.जैन, सहायक यंत्री राघोगढ़ को सौपा गया।

<u>**रीवा जिले में अपराध प्रकरणों में कार्यवाही**</u>

95. (क्र. 3474) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या थाना गुढ़ जिला रीवा में अपराध क्रमांक 38/06 अन्तर्गत आई.पी.सी. की धारा 406, 420, 465, 468, 470, 471, 403 एवं 120 (बी) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या विवेचना अधिकारी (टी.आर्इ.) द्वारा प्रकरण को अप्रमाणित बताते हुए प्रकरण के खात्मे हेतु अन्तिम प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत किया था? (ग) क्या लोक अभियोजन अधिकारी ने भी अपने प्रतिवेदन में प्रकरण को अभिप्रमाणित बताया था? (घ) यदि प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) का उत्तर हाँ में है तो उक्त प्रतिवेदनों तथा प्रकरण से संबंधित अभिलेखों जिनके आधार पर प्रकरण को अभिप्रमाणित बताया गया है के साथ-साथ अन्य सभी सुसंगत अभिलेखों की प्रतियॉ उपलब्ध करावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) प्रकरण में दिनाँक 16.06.2007 को खात्मा प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः मामला सब्ज्युडिश है।

<u>**गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही**</u>

96. (क्र. 3475) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संजय नगर कोरियान टोला, नगर निगम रीवा निवासी श्री अंकित पटेल के गुमशुदगी की रिर्पोट थाना रीवा में दिनाँक 31.05.14 को की गयी थी, जिस की एफ.आई.आर. दिनाँक 02.06.14 को की गयी थी? जिसका नंबर 363 है? (ख) क्या पीडित परिवार द्वारा पुलिस को अपराधी गिरोह के संदिग्ध अपराधियों, उन्हें संरक्षण देने वालों तथा फोन पर फिरोती की मांग करने वालों के संबंध में विस्तृत जानकारी कई संदिग्धों के मोबाईल नंबर सहित दी गयी थी? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) का

उत्तर हाँ में तो अपराधियो के चुंगल से अपहृत को छुडाने हेतु पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक की जावेगी, कार्यवाही ना होने का कारण बताते हुये, कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनाँक 01.06.2014 को पुलिस चौकी समान थाना विश्वविद्यालय रीवा को प्राप्त हुई थी। जाँच पर से दिनाँक 02.06.2014 को अपराध क्रमांक 266/14 धारा 363 भा.द.वि. का पंजीबद्ध किया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) संभावित स्थानों पर अपहृत की पतासाजी की गई, अपहृत के दोस्तों उसके निवास के पड़ोसियों तथा उसके परिवारजनों से पूछताछ की जाकर संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर, संदिग्ध व्यक्तियों से अपहृत के बारे में पतारसी हेतु पूछताछ की जा रही है। (घ) अपहृत एवं अपराधियों के संबंध में पतासाजी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे है। प्रकरण में विवेचना जारी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>निरीक्षक थाना उमरी द्वारा अधिकारों का दुरूपयोग</u>

97. (क्र. 3492) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 4/2/2015 को दोपहर श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया निरीक्षक थाना ऊमरी जिला भिण्ड ने निरपराध श्री सन्त सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र युदनाथ पाण्डरी जिला भिण्ड को घर से निरूद्ध करके थाना ऊमरी में बैठालकर दिनाँक 5/2/2015 को शाम 6.00 बजे रिहा किया? किसलिए पकड़ा गया और क्यों छोड़ा गया? (ख) दिनाँक 5/2/2015 को शासकीय माध्यमिक विद्यालय पाण्डरी में ई.व्ही.एम. तोड़ने व मतपत्र फाड़ने में किन-किन लोगों को नामजद किया गया? क्या पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 व 2 ने पुलिस थाना उमरी को किसके विरूद्ध लिखित आवेदन दिया गया और उस प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सन्ता सिंह उर्फ मुन्ना पाण्डरी न होने के बावजूद द्वेषपूर्ण थाना ऊमरी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? विवेचना किस स्तर से हो रही है? (ग) श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया निरीक्षक थाना उमरी द्वारा अकारण श्रीमती सपना पत्नी श्री सन्जू व श्रीमती गीता पत्नी राजू निवासी गण पाण्डरी 5/2/2015 को कितने समय किस प्रकरण में कितने समय बैठा रखा? वहाँ पर उस समय वहाँ पर कौन महिला पुलिस पदस्थ थी? (घ) श्री धनेन्द्र सिहं भदौरिया निरीक्षक थाना उमरी जिला भिण्ड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 में कहाँ-कहाँ पर पदस्थ किए गए? क्या इनके द्वारा उपद्रव/बल्वा/हिंसा कराने में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग किया गया? इनके क्षेत्र में हिंसा बल्बा उपद्रव किस कारण से हुआ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) श्री सन्तसिंह को निरूद्ध नहीं किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 के द्वितीय चरण का चुनाव शांति पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु दिनाँक 04.02.2015 को थाना उमरी में प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों की मीटिंग थाना प्रभारी द्वारा ली गई थी इसी परिप्रेक्ष्य में थाना उमरी पर थाना क्षेत्र के प्रत्याशी एवं उनके समर्थक उपस्थित हुये थे। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा थाने पर उपस्थित प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों को चुनाव के संबंध में आवश्यक समझाईश दी गई थी। (ख) दिनाँक 05.02.15 को मतदान केन्द्र क्रमांक 147 शा.मा.वि. भवन पाण्डरी में पीठासीन अधिकारी के आवेदन पर थाना उमरी में अपराध क्रमांक 25/15 धारा 395, 353 ता.हि. 135 (क) /136 जन प्रतिनिधि अधिनियम एवं 11/13 एमपीडीपीके एक्ट अन्तर्गत आरोपी संजू उर्फ संजय सिंह राजावत, गौरीशंकर राजावत, सुखवीर सिंह

राजावत, छोटे, रामू पंडित, मनरूप बघेल एवं 15-20 अन्य असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रकरण कायम किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी धर्म सिंह बघेल, जयदीप सिंह राजावत, शत्रुघन सिंह राजावत, संत सिंह उर्फ मुन्ना सिंह राजावत, दीपक सिंह राजावत, नरेन्द्र बघेल को दिनाँक 07.02.2015 को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक एम.एस.कुशवाह द्वारा की जा रही है। (ग) श्रीमती सपना पत्नी संजू एवं श्रीमती गीता पत्नी राजू निवासीगण पांडरी को दिनाँक 05.02.2015 को थाने पर नहीं लाया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रथम चरण के चुनाव में मिहोना क्षेत्र में इनकी तैनाती के क्षेत्र में ग्राम खुर्द में उपद्रव हुआ। अपराध क्रमांक 04/15 धारा 395, 397, 506, 427 ता.हि. 11/13 एमपीडीपीके एक्ट एवं 11, 12, 14 स्थानीय निर्वाचन अधिनियम का पीठासीन अधिकारी डी.एल.जाटव की रिपोर्ट पर थाना मिहोना में पंजीबद्ध किया गया। यह अपराध सरपंच प्रत्याशी आरोपी अमित यादव नि. अंतिनपुरा में अपने नेतृत्व में सहयोगियों के साथ मिलकर मतदान केंद्र में घुसकर मतपत्र छीनने, फाड़ने तथा कुछ मतपत्र पेटी में डालने के कारण घटित हुआ।

निरीक्षक द्वारा पत्रकारों को निरूद्ध रखने व केमरा तोड़ने बाबत्

98. (क्र. 3493) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया निरीक्षक थाना उमरी, जिला भिण्ड ने पद का दुरूपयोग कर वर्दी के रोव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 में द्वितीय चरण में मीडिया कर्मियों से गाली गलौज मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उमरी शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल के मतदान केन्द्र पर मीडिया कर्मी द्वारा, अनावश्यक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं पर डंडा बरसाया जा रहा था, जिसको कैमरा में कैद कर लिया? किस नियम के तहत मीडियाकर्मी को निरोध में रखा गया जबकि मीडिया कर्मियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का प्रवेश कार्ड दिखाया गया? (ग) क्या दिनाँक 5-2-2015 को उमरी थाना क्षेत्र के अनेक गांवों में मतदान केन्द्रों पर पुलिस की निष्क्रियता के कारण उपद्रव की घटनायें होती रही? क्या निरीक्षक थाना उमरी के धैर्य और साहस की कमी के कारण उपद्रव हुआ? यदि हाँ, तो इसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। (ख) मीडियाकर्मी को निरोध में नहीं रखा गया। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला अनूपपुर अंतर्गत हैंडपंपों का खनन

99. (क्र. 3512) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1 जनवरी, 2012 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन मदों से किन-किन ग्राम पंचायतों के ग्रामों, मजरा टोलों में वर्षवार, ग्रामवार हैंडपंपों का खनन किया गया? (ख) उक्त वर्षों में कितने हैंडपंप चालू हैं कितने बंद हो चुके हैं? वर्षवार मरम्मत किये गये हैंडपंपों पर कितनी -कितनी राशि शासन से प्राप्त हुई कितनी राशि खर्च की गई? 1 जनवरी, 2012 से प्रश्न दिनाँक तक यदि हैंडपंप के टूटे फर्श निर्माण में राशि खर्च की गई है तो उसकी भी जानकारी दें? (ग) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम मजरे टोले हैं, उन मजरे टोलों में कितने ग्रामों में हैंडपंप खनन किया जा चुका है, हैंडपंप विहीन ग्राम और मजरेटोलों का सर्वे सरकार द्वारा कराया गया है? यदि हाँ, तो सर्वे की सूची उपलब्ध करावें तथा हैंडपंप विहीन ग्राम तथा मजरे टोलों में कब तक हैंडपंप का खनन कर दिया जायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार।** (ग) 115 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1109 मजरे टोले, 1072 मजरो/टोलों में हैण्डपंप खनन किया जा चुका है, जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार**। इन मजरे टोलों में अन्य पर्याप्त पेयजल संसाधन उपलब्ध हैं तथा 02 मजरे वीरान हैं, अतः नवीन नलकूप/हैण्डपंप खनन के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

<u>आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी व्यक्ति के नाम नामांतरण किया जाना</u>

100. (क्र. 3536) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले की तहसील मझौली के पटवारी हल्का क्रं. 04 ग्राम करमाई की भूमि खसरा क्रं.767, 981, 1019, 1035 एवं 1056 अकाली वल्द बैसाहू उर्फ कन्हई सिंह गोड के नाम वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60 एवं वर्ष 1960-61 के खसरे में नाम दर्ज थी? (ख) प्रश्नांश (क) के उक्त खसरा नम्बरों में शंकरसिंह तनय जागेश्वर सिंह सोनवंशी सामान्य वर्ग के नाम पर कब नामांतरण कर दिया गया है? साथ ही किस आदेश के तहत आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति के नाम नामांतरण किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि आदिवासी व्यक्ति के नाम की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति के नाम नामांतरण किया गया है? क्या यह म.प्र.भू-राजस्व संहिता के नियमों के विपरीत नहीं है? यदि है तो शासन स्तर पर गैर आदिवासी के कब्जे से हटाकर आदिवासी के जमीन को वापिस दिलाये जाने की क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों, कारण बतायें? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उल्लेखित भूमियों को आदिवासी के नाम की जमीन को कब तक उसे वापस दिलाये जाने की कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>न्यायालय की स्थापना</u>

101. (क्र. 3537) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी जिले के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय कुसमी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना किये जाने हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों? कारण बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में व्यवहार न्यायालय की स्थापना तहसील मुख्यालय कुसमी में कब तक संचालित कर दिये जावेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) शासन द्वारा सीधी जिले की तहसील कुसमी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त किया गया। न्यायालय स्थापना नीति के अंतर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों/मापदण्डों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने कुसमी में न्यायालय भवन, न्यायाधीश आवासगृह एवं अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है। तद्नुसार कलेक्टर, सीधी को तहसील कुसमी में उपयुक्त न्यायालय भवन एवं न्यायाधीश के निवास हेतु उपयुक्त शासकीय आवासगृह उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। कलेक्टर, सीधी ने अवगत कराया कि कुसमी में न्यायालय हेतु भवन एवं न्यायाधीश का आवासगृह उपलब्ध नहीं है। अत: कलेक्टर, सीधी को कुसमी में न्यायालय भवन एवं आवासगृह के निर्माण हेतु समुचित शासकीय भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। कलेक्टर, सीधी द्वारा उक्त

प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिमत दिया है कि उक्त भूमि उपयुक्त एवं पर्याप्त नहीं है। अत: कलेक्टर, सीधी को पुन: उक्त प्रयोजन हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि चयनित कर अवगत कराने हेतु लिखा गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

पुलिस थाना चितरंगी में दर्ज शिकायत पर कार्यवाही

102. (क्र. 3552) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा अंतर्गत ग्राम बारदह के निवासी महुगू सिंह पिता देवराज सिंह गोंड की पुत्री सीता कुमारी उम्र 16 वर्ष, बल्लू सिंह पिता कुशियाल सिंह की पुत्री जानकी देवी उम्र 18 वर्ष को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गये हैं, जिसकी रिपोर्ट 25.03.2014 को पुलिस थाना चितरंगी में दर्ज कराई गयी है, तथा दिनाँक 16.04.2014 को पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरोली को मुल्जिमों के नाम सहित आवेदन दिया गया है, किन्तु आज दिनाँक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? (ख) क्या उक्त लड़कियों के संबंध में कार्यवाही की जावेगी और कब तक? (ग) क्या संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यवाही की समीक्षा की गयी है? (घ) यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) थाना चितरंगी में दिनाँक 25.03.2014 को सीता कुमारी एवं जानकी देवी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। गुमशुदा लड़कियों के परिजनों के बयान के आधार पर दिनाँक 28.06.2014 को अपराध क्रमांक 172/2014 धारा 363/366 ता.हि. का अपराध संदेही पिन्टू उर्फ राजू गुप्ता पिता शंकर गुप्ता निवासी देवगांव थाना जियावन जिला सिंगरौली के विरूद्ध पंजीबद्ध किया जाकर अपहृताओं एवं आरोपी की तलाश जारी है। (ग) लंबित प्रकरणों की समीक्षा प्रत्येक सोमवार को अनुभागवार की जाती है। प्रकरण की समीक्षा उपरांत अपराध विलम्ब से पंजीबद्ध करने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध प्राथमिक जाँच कर प्रतिवेदन हेतु पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी को निर्देशित किया गया है। (घ) प्रकरण की प्राथमिक जाँच करायी जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

बैंको के ऋण की राजस्व अभिलेख प्रविष्टि

103. (क्र. 3589) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैंक शाखाओं द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाले ऋण के संबंध में विलेख की एक प्रति तहसील कार्यालय को भेजी जाती है? यदि हाँ, तो उक्त बंधक विलेख की प्रविष्टी राजस्व अभिलेख में किए जाने के संबंध में क्या नियम है? (ख) 1 जनवरी 2010 के पश्चात् उक्त बंधक प्रविष्टि अभिलेख में दर्ज किए जाने के संबंध में कौन-कौन से आदेश उच्च कार्यालयों द्वारा जारी किए गए? प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं? (ग) क्या मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले में प्रश्नांश (क) से संदर्भित प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में समय पर नहीं की जा रही है जिसके कारण बैंकों में बंधक एवं भारग्रस्त भूमि का अवैधानिक विक्रय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने प्रकरण 1 जनवरी 2010 के पश्चात प्रकाश में आए है, प्रकरणवार, तहसीलवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) से संदर्भित प्रविष्टि समय सीमा में नहीं किए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ उच्च अधिकारी द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? जानकारी 1 जनवरी 2013 के पश्चात् की उपलब्ध करावे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं पर कार्यवाही

104. (क्र. 3590) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2012 के पश्चात कितने उद्योगों एवं केमिकल फैक्ट्री में कितनी दुर्घटनाएं घटी, इसमें कितने व्यक्ति घायल हुए, कितने मृत हुए? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित दुर्घटनाओं को लेकर कितने प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किये? (ग) यदि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, तो क्या डायरी/प्रकरण मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया हैं? दिनाँक सहित जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) प्रश्न दिनाँक तक कुल 10 'उद्योगों एवं केमिकल फैक्ट्री' में, 10 दुर्घटनायें घटित हुई है जिनमें 3 व्यक्ति घायल हुये है एवं 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। (ख) कुल 10 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट – "पंद्रह"

जिला कलेक्टरों के स्टोनों की योग्यता

105. (क्र. 3591) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग अन्तर्गत कितने जिला कलेक्टरों के पास स्टेनों (स्थायी) कार्यरत है? नाम सहित जानकारी देवें तथा कितनों पर प्रभारी नियुक्त है, जानकारी देवें? (ख) कलेक्टर के पास कार्यरत स्टेनों पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी की अर्हता योग्यता क्या होनी चाहिये? क्या प्रश्नांश (क) में कार्यरत प्रभारी स्टेनों के समान अर्हता योग्यता रखते है? यदि नहीं, तो महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने वाले स्टेनों से किस नियम तहत कार्य कराया जा रहा है? नियमों की प्रतिलिपि अवगत कराये? (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भ में रिक्त पदों अर्हत योग्यता रखने वाले व्यक्ति की नवीन नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? समय सीमा बताए? (घ) 1 जनवरी 2010 के पश्चात् ऐसे कितने प्रभारी (योग्यता नहीं रखने वाले) स्टेनों के खिलाफ अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं अन्य गैर गतिविधियों को लेकर शिकायत विभाग के पास लंबित है? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खाचरौद में पूर्ण कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की नियुक्ति

106. (क्र. 3622) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र नागदा - खाचरौद के खाचरौद नगर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का पद स्वीकृत है? यदि हाँ, तो खाचरौद में कब से पूर्ण कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदस्थ नहीं है? (ख) उक्त पद पर कब तक पूर्ण कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की नियुक्ति कर देंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एस.टी.एफ. द्वारा व्यापम पी.एम.टी. फर्जीवाड़े की जाँच

107. (क्र. 3630) श्री बाला बच्चन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एसटीएफ को वर्ष 2006 तथा 2007 की पीएमटी परीक्षा तथा वर्ष 2008 की प्री-पीजी परीक्षा में फर्जीवाड़े की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो एसटीएफ द्वारा पीएमटी परीक्षा वर्ष 2006 तथा 2007 की तथा प्री-पीजी 2008 की परीक्षा की जाँच की जायेगी या नहीं? (ख) वर्ष 2013 की पीएमटी परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर गुप्तचर शाखा इन्दौर को प्राप्त पत्र दिनाँक 20 जून 2013 क्या एसटीएफ की पीएमटी फर्जीवाड़े की जाँच के दस्तावेज में शामिल है या नहीं? यदि नहीं, तो बतावें कि वह दस्तावेजों में शामिल क्यों नहीं है? (ग) एसटीएफ द्वारा व्यापम तथा पीएमटी परीक्षाओं की जाँच के संदर्भ में ऐसे कौन-कौन से अधिकारियों से पूछताछ की गई, जो किसी की परीक्षा में नामजद अपराधी नहीं है? उनका नाम, पद, पूछताछ दिनाँक की जानकारी देवें? (घ) एसटीएफ द्वारा वर्ष 2008 से 2013 की पीएमटी परीक्षा में फर्जीवाड़े की जाँच में किस विभाग के दस्तावेजों का आधार माना जा रहा है? (1) व्यापम (2) संचालक चिकित्सा शिक्षा (3) चिकित्सा शासकीय महाविद्यालय। (ड.) क्या एसटीएफ द्वारा वर्ष 2008 से 2013 की पीएमटी परीक्षा में फर्जीवाड़े की जाँच में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध दस्तावेजों की भी जाँच की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्ष 2006 तथा 2007 की पी.एम.टी. परीक्षा से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी। वर्ष 2008 की प्री-जी परीक्षा में फर्जीवाडे की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त शिकायतें जाँच में प्रक्रियाधीन है। (ख) पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एस.टी.एफ. द्वारा व्यापम तथा पी.एम.टी. परीक्षाओं की जाँच के संदर्भ में (1) श्रीमती रंजना चौधरी पूर्व व्यापम अध्यक्ष से दिनाँक 22.03.2014 को तथा (2) श्री संजय सिंह, सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय से दिनाँक 28.06.14 को पूछताछ कर कथन लिये गये। (घ) एस.टी.एफ. द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा के फर्जीवाडे की विवेचना में 1. व्यापम, 2.संचालक चिकित्सा शिक्षा, 3. चिकित्सा शासकीय महाविद्यालय, तीनों से प्राप्त साक्ष्योपयोगी दस्तावेजों को जाँच का आधार बनाया गया है। (ड.) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

STF द्वारा की गई कार्यवाही

108. (क्र. 3631) श्री बाला बच्चन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) STF द्वारा समाचार पत्रों में PMT फर्जीवाड़े को लेकर प्रकाशित विज्ञप्ति क्र. 21503/14 के तहत किस-किस व्यक्ति के आवेदन किस दिनाँक को प्राप्त हुये? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त आवेदनों पर आज दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? आवेदन अनुसार की गई कार्यवाही की दिनाँक अनुसार जानकारी दें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आवेदन कर्ताओं के मौखिक बयान दर्ज किये गये? यदि हाँ, तो किस दिनाँक को किये गये? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आवेदनों में से किस-किस बिन्दु को जाँच की विवेचना में शामिल किया गया? अद्यतन स्थिति से अवगत करावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) दो आवेदन प्राप्त हुये। 1-श्री पारस सकलेचा से दिनाँक 12.11.2014 को एवं 2-गुमनाम व्यक्ति से 16.12.2014 को प्राप्त हुआ। (ख) शिकायत के तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। जाँच में उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी नहीं। दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। आवश्यकता प्रतीत होने पर कथन लिये जायेगें। (घ) आवेदन में उल्लेखित फर्जीवाड़े से संबंधित तथ्यों के संबंध में पूर्व से ही विभिन्न अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।

भारत के राज्य संप्रतीक का दुरूपयोग

109. (क्र. 3656) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मई 2012 में पुलिस अधीक्षक, भोपाल को उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल के वर्तमान कार्यकारी संचालक के विरूद्ध म.प्र. शासन के /लोगो/ के दुरूपयोग की साक्ष्य सहित प्राप्त शिकायत पर क्राइम ब्रांच एम.पी. नगर द्वारा की गई विवेचना रिपोर्ट में वर्तमान कार्यकारी संचालक को दोषी मानते हुए, वैधानिक कार्यवाही की अनुशंसा की थी? यदि हाँ, तो आज दिनाँक तक की गई कार्यवाही का विवरण और यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो कारण विवरण सहित कौन व्यक्ति जवाबदार है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। शिकायत पत्र की जाँच उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) एम.पी.नगर भोपाल द्वारा की गई थी। जाँच रिपोर्ट के अनुसार जुर्म दस्तनदांजी का घटित होना नहीं पाया गया।

हैंडपंप एवं नलकूपों का संधारण

110. (क्र. 3660) श्री अशोक रोहाणी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (सिविल) खण्ड जबलपुर को नलकूपों हैण्डपंपों व नलजल योजनाओं के लिये किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में कितने हैण्डपम्प नलकूप बंद व बिगड़े पड़े हैं एवं कितनी नलजल योजनाएं बंद निर्माणाधीन व अप्रारंभ हैं? कितने हैण्डपम्पों नलकूपों का सुधार मरम्मत कार्य कराया गया, तथा इस पर कितनी राशि व्यय हुई? इसकी जाँच कब-कब, किसने की है? उपखण्डवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में कितने हैण्डपम्पों के टूटे प्लेटफार्मों का निर्माण किस एजेन्सी से कितनी राशि में कराया गया है एवं कितने हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म टूटे पड़े हैं एवं क्यों? उपखण्डवार जनपद पंचायतवार जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क) में कितनी राशि के पाइप व अन्य कौन सी सामग्री आदि की खरीदी की गई है? क्या शासन इसमें की गई वित्तीय अनियमितता, राशि का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) 89 हैण्डपंप तथा 23 नलजल योजनाएं बंद, 22 नलजल योजनाएं निर्माणाधीन, कोई भी योजना अप्रांरभ नहीं है। 13396 हैण्डपपों की मरम्मत की गई, व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। मरम्मत कार्यों की जाँच संबंधित उपखण्ड के सहायक यंत्री, क्षेत्र प्रभारी उपयंत्री तथा हैण्डपंप मैकेनिक द्वारा समय-समय पर की गई। (ग) निर्मित प्लेटफार्म की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। वर्तमान में 475 प्लेटफार्म क्षतिग्रस्त हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार।** हैण्डपंपों का उपयोग सार्वजनिक रुप से ग्रामीणों द्वारा लगातार किये जाने एवं बारिश में मिट्टी के कटाव आदि होने से प्लेटफार्म क्षतिग्रस्त हो जाते है। (घ) रू.1424.78 लाख कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आगंनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार

111. (क्र. 3680) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में फोर्टिफाइड पौष्टिक आहार एवं पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के क्या नियम लागू है? प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में किन संस्थाओं द्वारा, किन हितग्राहियों हेतु प्रदाय किया जाता है? (ख) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत, क्या उन संस्थाओं का पंजीयन होना एवं अधिनियम का पालन करना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कटनी जिले की आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार प्रदाय करने वाली संस्थाओं, समितियों द्वारा कराये गये पंजीयन की प्रतियाँ तथा अधिनियम के पालन में किये जा रहे कार्यों का विवरण देवें? (ग) क्या कटनी जिले के नगरीय क्षेत्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय का कार्य, वास्तविक महिला मंडलों/स्व सहायता समूहों से न कराकर, कथित ठेकेदार की फर्जी संस्थाओं/समूहों के नाम से, विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से कई वर्षों से कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो शासन इस घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर, दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) वर्तमान में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में फोर्टिफाइड पूरक पोषण आहार प्रदाय की व्यवस्था एम.पी.एग्रो के माध्यम से तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूह एवं महिला मण्डल के माध्यम से जिला स्तर से संचालित की जाती हैं। (ख) जी हाँ। कटनी जिले के आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदायकर्ता महिला स्व सहायता समूहों के पंजीयन की कार्यवाही अधिनियम के पालन में प्रचलन में है। (ग) जी नहीं। कटनी जिले के नगरीय क्षेत्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय का कार्य वास्तविक महिला स्व सहायता समूहों से ही कराया जा रहा है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों के वेतन एवं भत्ते

112. (क्र. 3699) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पुलिस एवं म.प्र. विशेष सुरक्षा बल में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वर्तमान में कौन सी वेतन श्रेणी प्रदान की जाकर इन्हें कौन-कौन से भत्ते एवं कितनी राशि प्रदान की जा रही है? पदवार वेतन संबंधी जानकारी देवें? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्रियों तथा विधायकों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों के वेतन भत्ते अलग-अलग होकर इनमें कोई अंतर है? यदि हाँ, तो कितना एवं क्यों? (ग) क्या यह सत्य है कि इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जो भत्ते प्रदान किये जा रहे है वह विगत 15-20 वर्ष पूर्व निर्धारित किये जाकर वर्तमान में भी यही भत्ते भुगतान किये जा रहे हैं? (घ) यदि हाँ, तो देय भत्तों में समय अनुसार एवं वेतनमान अनुसार परिवर्तन क्यों नहीं किया गया? क्या इन वर्षों में मंहगाई का ग्राफ परिवर्तित नहीं हुआ है? (ड.) यदि हाँ, तो क्या इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को देय वेतन भत्तों में संशोधन किया जाकर भुगतान किया जावेगा? साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्रियों तथा विधायकों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों के वेतनभत्तों को एक समान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक अवधि बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) म.प्र. पुलिस एवं म.प्र. विशेष सुरक्षा बल के कार्यरत कर्मचारियों

को वर्तमान में मध्यप्रदेश में लागू 6वें वेतन पुरीक्षण के अनुसार वेतनमान दिया जा रहा है। वेतनमान एवं भत्तों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में पदस्थ अंगरक्षकों व सुरक्षा कर्मियों को वेतन का 30 प्रतिशत जोखिम भत्ता दिया जाता है तथा माननीय मंत्रीगण की सुरक्षा में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों को रू. 50/- विशेष वेतन दिया जाता है। माननीय विधायको की सुरक्षा में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों को कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता है। (ग) जी नहीं। समय-समय पर आवश्यकतानुसार तथा वित्तीय उपलब्धतानुसार भत्तों का पुनरीक्षण किया जाता है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्नांश (क) (ख) तथा (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "सोलह"

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

113. (क्र. 3700) श्री जितू पटवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आगर-मालवा तहसील नलखेडा ग्राम बिसनी के अंतर्गत कितनी शासकीय भूमि है? जिसका उपयोग मवेशियों को चराने एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों में किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उपरोक्त शासकीय भूमि वर्तमान में रिक्त पड़ी होकर शासन के अधीन है अथवा इस पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया जाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? (ग) यदि शासन के अनुसार उपरोक्त भूमि रिक्त होकर शासन के अधीन है, तो क्या विगत 10-12 वर्षों से गांव के सरपंच, उसके परिवार तथा अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा लगभग 60-65 बीघा शासकीय भूमि पर किये गये कब्जे एवं व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप निराधार एवं गलत है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में ग्रामवासियों द्वारा थाना प्रभारी नलखेड़ा, पुलिस अधीक्षक जिला आगर-मालवा, तहसीलदार, कलेक्टर, उपायुक्त, आयुक्त उज्जैन संभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक को की गई लिखित शिकायत पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? (ड.) क्या उपरोक्त शासकीय भूमि को सरपंच एवं अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त लोगों के कब्जे से मुक्त करवाया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सरपंच तथा सचिवों (पंचायत) से बकाया की वसूली

114. (क्र. 3712) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में पंचायती राज लागू होने के पश्चात् ऐसे कितने प्रकरण है जिनमें ग्राम पंचायत सरपंचों तथा पंचायत सचिवों पर RRC जारी की गयी? ग्राम पंचायत, सरपंचों के नाम तथा सचिवों के नाम सहित बतावें? (ख) ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें RRC जारी की गयी तथा वसूली कर ली गयी RRC जारी करने की दिनाँक सहित जानकारी दें? ऐसे कितने प्रकरण है जिनमें RRC जारी होने के पश्चात भी आज दिनाँक तक वसूली नहीं की गयी है? RRC जारी होने की तारीख सहित जानकारी दें? (ग) RRC जारी होने के पश्चात् आज तक राशि वसूल न किये जाने के क्या कारण है? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी तथा राशि वसूल करने हेतु कठोर कदम उठाए जाएँगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बाढ़ से पीड़ित भू-स्वामियों को मुआवजा वितरण

115. (क्र. 3717) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर बालाघाट को दिनाँक 09/11/2014 को सोन नदी के किनारे निजी भूमि स्वामी हक की कृषि भूमि पर रेत की परत जम जाने से खेतों में बने कुएं तथा मोटर पंप के क्षतिग्रस्त होने संबंधी सर्वे कराकर मुआवजा देने संबंधी जो पत्र लिखा गया था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? (ख) तहसील किरनापुर तथा तहसील लांजी के अंतर्गत कुल कितनी मुआवजा राशि वितरित की गयी? कृषकों के नाम तथा राशि सहित विस्तृत जानकारी दें? (ग) क्या यह सही है कि पूरक सर्वे करने के पश्चात ऐसे कई कृषक हैं या पीड़ित व्यक्ति हैं? जिन्हें राशि के अभाव में आज दिनाँक तक मुआवजा नहीं मिला है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिला एवं बाल विकास अन्तर्गत प्री-स्कूल किट खरीदी हेतु टेंडर

116. (क्र. 3778) श्री उमंग सिंघार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या महिला एवं बाल विकास अंतर्गत प्री-स्कूल किट खरीदे जाने हेतु टेण्डर जारी किया गया है? प्री-स्कूल किट की लागत, स्पेशिफिकेशन तथा जिलेवार बजट की जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) महिला एवं बाल विकास में सप्लाई की जाने वाली प्री-स्कूल किट के लिए टेण्डर कब किया गया? टेण्डर में कितनी फर्मों ने भाग लिया तथा कितनी फर्मों का चयन किया गया? टेण्डर के नियम/शर्तें क्या थी? प्री स्कूल किट के स्पेशिफिकेशन/दरें क्या थी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी नहीं, महिला एवं बाल विकास में सप्लाई की जाने वाली प्री-स्कूल किट का टेण्डर विभाग द्वारा नहीं किया गया। प्री-स्कूल किट की लागत अधिकतम राशि रुपये 3000/- प्रति किट (समस्त कर सहित) एवं मिनी प्री-स्कूल किट अधिकतम राशि रुपये 1500/- (समस्त कर सहित) निर्धारित है। सामग्री का स्पेसिफिकेशन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''** तथा जिलेवार बजट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। (ख) इस विभाग में सप्लाई की जाने वाली प्री-स्कूल किट का टेण्डर विभाग द्वारा नहीं किया गया। अपितु लघु उद्योग निगम के माध्यम से प्राप्त दरों के आधार पर जिला स्तर से क्रय की कार्यवाही की गई। अतः शेष का प्रश्न नहीं। सामग्री का स्पेसिफिकेशन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार** है।

एम.पी.एग्रो द्वारा पौष्टिक आहार वितरण

117. (क्र. 3780) श्री उमंग सिंघार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एम.पी.एग्रो द्वारा महिला एवं बाल विकास को पौष्टिक आहार किस-किस कम्पनियों के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है? साथ ही बतायें कि पौष्टिक आहार बनाने की फेक्ट्रियां (एम.पी.एग्रो एवं कम्पनियों की) कहाँ-कहाँ स्थित है? (ख) एम.पी.एग्रो द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण आहार वितरण के लिए किन-किन कम्पनियों से अनुबंध किया गया? अनुबंध कब किया गया तथा कितनी अवधि के लिए किया गया? कम्पनियों के नाम व पते की जानकारी उपलब्ध करायें? कम्पनियों से कब-कब रिन्युअल किया गया? (ग) पिछले तीन सालों में एम.पी.एग्रो द्वारा पौष्टिक

आहार वितरण के लिए कम्पनियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? कम्पनीवार जानकारी उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) निगम द्वारा निगम के बाड़ी, जिला-रायसेन स्थित पोषण आहार संयत्र के अतिरिक्त निम्न 03 संयुक्त उपक्रमो से पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है। 1.मध्यप्रदेश एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड **72-73** न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया मंडीदीप। 2.एम.पी. एग्रोट्रोनिक्स लिमिटेड बी-13 सतलापुर ग्रोथ सेंटर] इण्डस्ट्रियल एरिया फेस-2] मण्डीदीप। 3.एम.पी. एग्रो न्यूट्रीफूड्स लिमिटेड 95-96 सेक्टर-ई] औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड] इन्दौर। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि में निम्नानुसार भुगतान किया गया है। 1. मध्यप्रदेश एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मंडीदीप को रूपये 563.21 करोड़। 2.एम.पी. एग्रोट्रोनिक्स लिमिटेड मण्डीदीप को रूपये 620.83 करोड़। 3.एम.पी.एग्रो न्यूट्रीफूड्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड] इन्दौर को रूपये 761.14 करोड़।

परिशिष्ट - "सत्रह"

भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण

118. (क्र. 3828) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मई जून 2014 में तत्कालीन जबलपुर कलेक्टर द्वारा शासन के नवीन आदेशों का उल्लेख करते हुए डायवर्शन के प्रकरणों में मात्र नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का वह दस्तावेज जिसमें भूमि का उपयोग दर्ज हो, के दस्तावेज एवं भूमि के खसरे की नकल के आधार पर ही डायवर्शन किये जाने के आदेश समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदान किये गये थे? यदि हाँ, तो भूमि के डायवर्शन के संबंध में शासन के उल्लेखित आदेश एवं जबलपुर कलेक्टर के आदेश की प्रति प्रदान करें? (ख) क्या कटनी जिले में प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त नियमों के अन्तर्गत कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है? यदि नहीं, तो जनहित में शासन के निर्देशों को कटनी जिले में तत्काल कब तक लागू किया जायेगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत जनता के हित में शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ब्लाकवार योजना के लाभ व जाँच

119. (क्र. 3833) श्रीमती शीला त्यागी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव सिरमौर एवं जवा में 2012 से 2014 तक महिला बाल विकास परियोजना को किन-किन योजनाओं में किन-किन मदों में कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है? ब्लाकवार जानकारी बताएँ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केन्द्रों को कहाँ से पोषण आहार व अन्य सामग्रियॉ उपलब्ध कराई जाती है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि किसी निजी समितियों व संस्थाओं, एन.जी.ओ. के द्वारा कार्य कराया जाता है तो ब्लाकवार बताएँ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि हाँ, तो चयनित संस्थाओं को किस

आधार पर सप्लाई आदि का आदेश दिया गया है? अपनाये गये मापदण्ड एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों की प्रतियॉ उपलब्ध कराएँ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव, सिरमौर एवं जवा में 2012 से 2014 तक किन-किन योजनाओं में किन-किन मदों में कितना -कितना बजट आवंटित किया गया, का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में उक्त परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केन्द्रों को पोषण आहार व अन्य सामग्रियॉ उपलब्ध कराई जाती है - पोषण आहार-1. 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को साप्ताहिक रूप से रेडी टू ईट पोषण आहार एम.पी.एग्रो इण्डस्ट्रीज लि.के माध्यम से सीधे परियोजना को उपलब्ध करायी जाती है।2.03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन एवं गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को प्रति मंगलवार ताजा पका नाश्ता एवं भोजन सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय स्व सहायता समूहों द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदाय किया जा रहा है।अन्य सामग्रीः- मेंडिसिन किट, प्री स्कूल किट एवं सबला किट जिला स्तर से प्रदाय की जाती है। (ग) बाल विकास परियोजना अन्तर्गत संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में पोषण आहार प्रदाय का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (घ) विभागीय परिपत्र क्र.एफ-3-2/09/50-2, दिनॉक1.10.2009 के द्वारा दिए दिशा-निर्देश एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मध्यान्ह भोजन के स्व सहायता समूहों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत् आंगनवाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों को ताजा पका हुआ नाश्ता एवं भोजन प्रदाय आदेश दिए गए हैं। विभागीय **पुस्तकालय में रखे परिपत्र परिशिष्ट के प्रपत्र - 03 अनुसार** है।

गृहविभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अलाउन्सेज एवं उचित वेतनमान का प्रदाय

120. (क्र. 3844) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्य यह सही है कि म.प्र. गृह विभाग में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारियों की सेवाएं, पुलिस बल की कमी के कारण क्षमता से भी अधिक समय तक ली जा रही है? जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव होता है? यदि ऐसा है तो शासन इस समस्या से कब तक गृह विभाग के कर्मचारियों को मुक्ति दिलायेगा? (ख) क्या यह भी सही है कि अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में म.प्र. प्रलिस विभाग के कर्मचारियों को दिया जाने वाला फूड अलाउन्स, मेंन्टीनेंस अलाउन्स, वर्दी अलाउन्स में प्रतिमाह हजारों रूपयें का अन्तर है तथा वतेनमान में भी बहुत अन्तर है जिसके कारण म.प्र. गृह विभाग के कर्मचारी अपने आप में हीनता महसूस कर रहे हैं? (ग) क्या शासन गृह विभाग के कर्मचारियों के अलाउन्सेस में सम्मान जनक वृद्धि करने एवं उन्हें उचित वेतनमान देने पर विचार करेगा यदि हाँ, तो कब तक इन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) ड्यूटी की प्रकृति के कारण पुलिस बल अधिक समय तक कार्य करता है। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से बलवृद्धि की जा रही है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) एवं (ग) अलाउन्सेस में वृद्धि का प्रस्ताव परिक्षणाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

ग्राम रक्षा एवं नगर रक्षा समिति के तहत कार्यरत कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक का प्रदाय

121. (क्र. 3845) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों की स्थापना किस सन में किस अवधारणा को लेकर की गई

थी? वर्तमान में इन समितियों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है? (ख) इन समितियों में कार्यरत सदस्यों की सेवाएं कब-कब किस समय पर ली जाती है तथा उन्हें प्रतिदिन या मासिक की दर से कितना पारिश्रमिक दिया जाने का प्रावधान है? (ग) इन समितियों में भर्ती के अधिकार किस अधिकारी के होते हैं, इनकी भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट करें? (घ) क्या यह सही है कि इन समितियों में कार्यरत सदस्यों को बहुत ही कम पारिश्रमिक वह भी नियमित रूप से नहीं मिलता है शासन ने इनके लिये किस हिसाब से कितना बजट प्रतिवर्ष स्वीकृत किया है, अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनाँक तक की जानकारी बतावें? (ड.) क्या शासन इस समितियों में सेवारत सदस्यों को उचित पारिश्रमिक या नियमित नियुक्ति पर रखे जाने का कोई विचार कर रहा है यदि हाँ, तो इन्हें कब तक इसका लाभ दिया जा सकेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों की स्थापना 18 नवम्बर 1999 से पुलिस एवं जनता के बीच परस्पर सहयोग बनाने एवं पुलिस को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इसका प्रमुख उपयोग मूल रूप से कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधों पर नियंत्रण रखने में किया जाता है। वर्तमान में इन समितियों में कुल 3, 30, 095 सदस्य कार्यरत है। (ख) ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों के सदस्यों की स्वैच्छिक सेवायें त्योहारों एवं कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के समय शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस की सहायतार्थ ली जाती है। उन्हे प्रतिदिन या मासिक की दर से पारिश्रमिक देने के कोई प्रावधान नहीं है। (ग) ग्राम/नगर रक्षा समितियों में स्थानीय क्षेत्र के 20 वर्ष से 45 वर्ष के युवाओं को उनकी स्वेच्छा से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सदस्यता प्रदान की जाती है। समिति में सदस्यता प्रदान करने के पूर्व संबंधित थाना प्रभारी द्वारा सदस्य का चरित्र सत्यापन कराया जाता है। (घ) ग्राम/नगर रक्षा समितियों के सदस्यों को पारिश्रमिक दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः पारिश्रमिक मद में कोई बजट प्रावधान नहीं है। अन्य मदों में आवंटित बजट निम्नानुसार हैः-

मद संख्या	मद	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
24-002	प्रशिक्षण	22, 00, 000 /-	22, 00, 000 /-
34-001	सामग्री क्रय	50, 00, 000 /-	50, 00, 000 /-
34-004	भोजन/नाश्ता	100, 00, 000 /-	100, 00, 000 /-

(ड.) जी नहीं।

जलमणि योजना का क्रियान्वयन

122. (क्र. 3853) श्री अंचल सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में स्कूली बच्चों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु जलमणि योजना कब लागू की गई थी? योजना के तहत स्कूलों में क्या-क्या व्यवस्थाएं की जाना है बतलावें? (ख) लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग को प्रश्नांकित योजना के तहत जबलपुर संभाग में कितनी राशि आवंटित की गई कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई संभागवार वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक व्यय की राशि मदवार बतायें? व्यय राशि से कितनी भौतिक प्रगति एवं लक्ष्य पूर्ति हुई बतावें? (ग) क्या यह भी सत्य है कि जलमणि योजना के अंतर्गत जबलपुर जिले के चयनित कितने स्कूलों में वाटर फिल्टर सिस्टम लगाये गये हैं सूची देवें? यह भी बतावें कि किन-किन ठेकेदारों को किन-किन शर्तों पर कार्यादेश जारी किये है? क्या शर्तों के अनुसार वर्तमान में सभी स्थापित वाटर फिल्टर कार्य कर रहे हैं? (घ) क्या यह सत्य है कि अधिकांश स्कूलों के वाटर फिल्टर बंद हो गये हैं? यदि हाँ, तो इसकी जाँच कब किसके द्वारा की गई? क्या शासन इसमें की गई वित्तीय अनियमित्ताओं की जाँच एवं राशि का दुरूपयोग भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी की जाँच कराकर दोषी पर कार्यवाही करेगा, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) दिनाँक 14.11.2008 से। गुणवत्ता प्रभावित हैंडपंपों में स्टैंड एलोन जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना। (ख) रू. 175.31 लाख। व्यय रु 166.35 लाख। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ग) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' एवं '3' अनुसार।** (घ) जी हाँ। विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर। मैसर्स जल इंस्ट्रूमेंट, इंदौर द्वारा संधारण ठीक से न किये जाने से बंद। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "अठारह"

ईनामी फरार अपराधियों की गिरफ्तारी

123. (क्र. 3854) श्री अंचल सोनकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत ऐसे कितने अपराधी हैं जिन पर शासन/पुलिस विभाग द्वारा इनाम रखा है? जिन्हें पुलिस विभाग पकड़ने में असमर्थ हैं? (ख) क्या यह सत्य है कि इनाम घोषित फरार अपराधी शहर में खुले आम घूम रहे हैं, जिन पर पुलिस विभाग की नजर नहीं पड़ती एवं समय-समय पर अपराध करते रहते हैं? यदि हाँ, तो क्या पुलिस विभाग की इन अपराधियों से साठगांठ हैं? क्या इसकी जाँच उच्च स्तरीय की जावेगी, तो कब तक एवं अपराधियों से साठगांठ रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही की जावेगी, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) में फरार ईनामी अपराधियों को पुलिस पकड़ने में नाकाम हैं, क्यों? कारण बतावें? क्या सभी फरार अपराधी शहर से बाहर हैं एवं उन्हें तलाशने के ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं, क्यों? यदि कार्यवाही की जा रही है, तो क्या? क्या पुलिस साठगांठ एवं विभाग की लचर व्यवस्था के चलते अपराधी शहर में रहते हुये भी फरार घोषित कर दिये जाते हैं? यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? कारण बतायें? क्या ठोस योजना तैयार कर इन अपराधियों को पकड़ा जावेगा, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जबलपुर जिलें में वर्ष 2014 के 28 इनामी अपराधी हैं, जिन्हें अभी तक नहीं पकड़ा गया है। (ख) जी नहीं। समय-समय पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। फरार इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप

प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। विगत तीन वर्षो में अनेक प्रकरणों में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में फरार आरोपियों को पकडने हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>**जल गुणवत्ता समूह योजना का लाभ**</u>

124. (क्र. 3864) श्री मेंव राजकुमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महेश्वर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत फ्लोराईड युक्त ग्रामों में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल गुणवत्ता समूह योजना किस वर्ष में स्वीकृत की गई? कितनी राशि स्वीकृत की गई? कब तक कार्य पूर्ण होना था? कितनी लंबी पाईप लाईन डालना थी? कितनी टंकियों का निर्माण किया जाना था, तथा कितने ग्रामों को इसका लाभ मिलना था? (ख) क्या सह सही है कि जल गुणवत्ता प्रभावित समूह योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं किया जा रहा है तथा न ही पाईप लाईन निर्धारित मापदण्ड अनुसार डाली गई है? यदि हाँ, तो निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि योजना की पाईपलाईन के ऐयरवाल्व से अवैध कनेक्शन कर लिये गये हैं? साथ ही फिल्टर पानी का उपयोग फसल सिंचाई में भी किया जा रहा है? जिसके चलते पाईप लाईन में पर्याप्त प्रेसर से पानी नहीं पहुँच पाता है? इस कारण योजना का लाभ समय पर निर्धारित ग्राम पाडल्या, निमसर, बबलाई, समयपुरा, आशापुर, चोली ठनगांव आदि ग्रामों को नहीं मिल रहा है? (घ) क्या कार्य की गुणवत्ता के संबंध में उच्च स्तरीय तकनीकी जाँच दल से जाँच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, तथा गुणवत्ता समूह योजना का लाभ आम जनता को शुद्ध पेयजल के रूप में कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? निश्चित अवधि बताई जावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2012। योजना लागत रू. 1548.00 लाख। 02 वर्ष की समयावधि में पूर्ण होना था। 99400 मीटर पाईप लाईन। 03 टंकियों का निर्माण किया जाना था एवं 22 ग्रामों को लाभ मिलना था। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। ग्राम पाड्ल्या में पर्याप्त प्रेशर से पेयजल प्रदाय हो रहा है। ग्राम निमसर, बबलाई, आशापुरा एवं ठनगांव में पाईप लाईन टेस्टिंग कार्य प्रगति पर है तथा ग्राम समयपुरा एवं चोली इस योजना में सम्मिलित नहीं हैं। (घ) जी नहीं, कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदडों के अनुसार कराये गये हैं। 11 ग्रामों में इस योजना से पेयजल प्रदाय हो रहा है, योजना में सम्मिलित शेष 11 ग्रामों में पाईप लाईन परीक्षण कार्य प्रगति पर है। 30 जून, 2015 तक योजना को पूर्ण कर सभी ग्रामों में पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>**महेश्वर में आंगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना**</u>

125. (क्र. 3865) श्री मेंव राजकुमार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत दो वर्षों में विधानसभा क्षेत्र महेश्वर की जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह के कितने ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु कब-कब जनप्रतिनिधियों एवं जनता द्वारा मांग की गई? (ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा कितने प्रस्ताव आंगनवाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने संबंधी प्रस्ताव विगत एक वर्ष से अधिक अवधि पश्चात भी वर्तमान तक स्वीकृति हेतु लंबित हैं? कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (ग) क्या यह सही है कि महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झिगडी के केसरपाटी में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने संबंधी प्रस्ताव विगत एवं वर्ष से अधिक अवधि पश्चात भी वर्तमान तक स्वीकृति हेतु लंबित है? कब तक

स्वीकृति प्रदान की जावेगी? बतावे। (घ) क्या यह सही है कि महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में परियोजना अधिकारी, एकीकृत महिला एवं बाल विकास महेश्वर का पद विगत तीन वर्षो से रिक्त होकर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है? कब तक स्थाई परियोजना अधिकारी की पदस्थापना की जावेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जानकारी निरंक है। अपितु जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी खरगौन द्वारा 426 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे जो कि भारत सरकार को स्वीकृति के लिये भेजे गये है। इन प्रस्तावों में विधानसभा क्षेत्र महेश्वर एवं बड़वाह अन्तर्गत 43 एवं 03 आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। मिनी आंगनवाडी केन्द्र प्रस्ताव संबंधी जानकारी निरंक है।। (ख) प्रश्नांश (ख) में वर्णित आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी निरंक है। (घ) जी नहीं। डॉ ज्योति दीक्षित, एकीकृत बाल विकास परियोजना महेश्वर में, परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ है। इनका स्वास्थ्य निरन्तर खराब होने से प्रभारी अधिकारी के माध्यम से कार्य लिया जा रहा है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है।

थाना प्रभारी का स्थानान्तरण

126. (क्र. 3872) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस महानिदेशक म.प्र. भोपाल को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र क्रमांक-739, दिनाँक 04.12.2014 एवं पत्र क्रमांक/869-870 दिनाँक 17.01.15 द्वारा भेदभाव पूर्ण कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया जाकर संबंधितों का स्थानान्तरण हरदा जिले से अन्यत्र किया जाकर मामले की जाँच कराये जाने के संबंध में लेख किया गया था? इस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उक्त पत्रानुसार स्थानान्तरण हरदा जिले से अन्यत्र किया जाकर मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक समय सीमा बताएं? यदि नहीं तो, उसका क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) प्रश्नकर्ता के पत्र दिनाँक 04.12.2014 एवं 17.01.2015 में उल्लेखित मामले की जॉच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरदा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खिरकिया द्वारा करायी गयी। जॉच में थाना प्रभारी छीपावड़ पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। पुलिस अधीक्षक हरदा के आदेश दिनाँक 21.02.2015 द्वारा निरीक्षक श्री मोहन पटेल, थाना प्रभारी छीपावड़ से रक्षित केन्द्र हरदा संबद्ध किया गया था। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अमला

127. (क्र. 3885) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में कितने पशु औषधालय एवं कितने क्षेत्रीय औषधालय हैं, तथा इनमें डाक्टर सहित कितना अमला पदस्थ है? (ख) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सा विभाग से डाक्टर एवं उनका अन्य अमला अन्य विभाग जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत एवं अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है? जिलेवार प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारी कर्मचारियों की सूची पृथक-पृथक वर्गवार दें? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रतिनियुक्ति पर

भेजे गये अधिकारी कर्मचारियों की एक समय सीमा निर्धारित होती है, तो क्या प्रदेश में प्रतिनियुक्ति की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी मूल विभाग में वापस न किया जाकर यथावत उनसे प्रतिनियुक्ति पर कार्य लिया जा रहा है? ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों की जिलेवार सूची दें? (घ) क्या ऐसे प्रशिक्षित अधिकारी कर्मचारियों को मूल विभाग में भेजकर मूक पशुओं की सेवा में लगाकर पर्यावरण एवं पशुओं की सुरक्षा की जावेगी? नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) कटनी जिले में 28 पशु औषधालय हैं, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है। (घ) डी.पी.आई.पी. हेतु मंत्रीपरिषद के निर्णय अनुसार प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारी/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधी पूर्ण परियोजना अवधी तक रखी जाए एवं वन विभाग/कुक्कुट विकास निगम /चिडिया घर/पुलिस श्वान दल में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ द्वारा चिकित्सीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है।

प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही

128. (क्र. 3886) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य विभाग जिला कटनी के पत्र क्रं.60 दिनाँक 18.09.14 को पत्र लिखकर मांग की गई थी कि पानी की समस्या अत्यधिक जटिल है? जिसके कारण विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ के 16 स्थान चिंहित कर हैण्डपम्प लगाने की मांग की गई थी? (ख) प्रश्नाधीन पत्र में उल्लेखित स्थानों में से किस-किस स्थान में हैण्डपंप पेय जल टंकी एवं जल प्रदाय योजना में कौन-कौन से काम किन-किन स्थानों में कराये गये तथा इनसे आम जनता को कितना फायदा मिला नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**।

परिशिष्ट – "उन्नीस"

ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

129. (क्र. 3903) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ग्रामों में माह-फरवरी, 2015 में असमय ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है? उक्त नुकसान होने पर सिवनी ब्लॉक में एक भी प्रकरण प्रश्न दिनाँक तक नहीं बनाया, न ही मुआवजा दिया गया? क्यों? (ख) क्या यह भेदभाव कर्मचारी/अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ? क्या शासन इन लापरवाह कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ग) माह-फरवरी, 2015 में गेहूँ, चना, मटर व अन्य फसलों में ओलावृष्टि से सिवनी जिले में कितने ग्रामों के कितने किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है तथा कितने किसानों को मुआवजा देना शेष है? विधान सभा क्षेत्रवार, ग्रामवार जानकारी देवें? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रशासन को उपलब्ध कराई गई, जानकारी अनुसार मुआवजा दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माह फरवरी, 2015 में असमय ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए सर्वे दल गठित कर सर्वे कराया जा रहा है। प्रकरण भी तैयार किये जा रहे हैं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता। (ग) सर्वे कार्य जारी है। (घ) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान अनुसार पात्रता होने पर सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

<u>सिवनी जिले में पेयजल योजनाओं की स्वीकृति</u>

130. (क्र. 3904) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले के सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में किन-किन ग्रामों में केन्द्र/राज्य शासन के विभिन्न मदों से नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई है? प्रत्येक नल-जल योजना पर कितनी लागत आई, कितनी योजना पूर्ण हैं, कितनी अपूर्ण है? कितनी योजनाएं चालू है, तथा कितनी बंद है, पृथक-पृथक ग्रामवार बतलावें? बंद योजना के लिए कौन उत्तरदायी है? (ख) नल-जल योजनाएं बंद रहने का क्या कारण है, संबंधित विभाग द्वारा योजना चालू करने के लिए क्या प्रयास किये हैं? विभाग द्वारा ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण अंचलों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलकूप खनन एवं नल-जल योजना हेतु कितनी-कितनी राशि शासन के विभिन्न मदों से प्राप्त हुई, तथा प्रश्न दिनाँक तक किन-किन कार्यों में व्यय हुई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। 33 योजना पूर्ण। 30 चालू तथा 3 बंद। 01 योजना ग्राम पंचायत द्वारा संचालित न करने से तथा 02 योजनाएं स्रोत सूख जाने से बंद हैं। स्रोत सूखने से बंद योजनाओं के स्रोत निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कोई भी विभागीय अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार**।

<u>बी.पी.एल. कार्ड का अनुचित लाभ लेने पर कार्यवाही</u>

131. (क्र. 3909) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. कार्ड का अनुचित लाभ लेने के संबंध में बिरसिंगपुर पाली निवासी जिला उमरिया के विरूद्ध थाना पाली में एफ.आई.आर. दिनाँक 12.06.2014 को दर्ज कराई गई है? यदि कराई गई हैं तो वह कौन है तथा क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? यदि नहीं, किया गया है तो क्यों? गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है? (ख) क्या यह सही है कि आज दिनाँक तक चालान न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, इसके लिये कौन दोषी हैं? (ग) क्या यह सही है कि जाँचकर्ता उपनिरीक्षक का स्थानान्तरण जानबूझकर जाँच प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है? (घ) क्या एस.डी.एम. पाली, जिला उमरिया द्वारा उक्त प्रकरण में संबंधित समस्त अभिलेख थाना प्रभारी को सौंप दिया गया है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। आरोपी राजकुमार पुत्र जमना प्रसाद उपाध्याय निवासी पाली के विरूद्ध दिनाँक 12.06.14 को थाना पाली में अपराध क्रमांक 198/14 धारा 420 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण विवेचना में है। (ख) प्रकरण विवेचनाधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) संबंधित दस्तावेज अप्राप्त है।

गाडरवारा क्षेत्र में पुलिस चौकियों की संख्या

132. (क्र. 3910) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कितनी पुलिस चौकी स्वीकृत है तथा कहाँ-कहाँ संचालित है सूची प्रदान करें? (ख) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बढ़ते हुये अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये थाना चीचली के ग्राम बरहाबडा, थाना सांईखेड़ा के ग्राम पिपरिया कला में पुलिस चौकी खोलने पर विभाग विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्तमान में कुल चार पुलिस चौकियां स्वीकृत हैः-1-पुलिस चौकी बोदरी, थाना गाडरवारा। 2-पुलिस चौकी सालीचौका, थाना गाडरवारा। 3-पुलिस चौकी सीहोरा थाना गाडरवारा। 4-पुलिस चौकी गोटीटोरिया थाना चीचली। (ख) जी नहीं। परीक्षण उपरान्त दोनों प्रस्ताव शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाए जाने से अमान्य किये गये।

गाडरवारा क्षेत्र मैं संचालित नलजल योजनाएं

133. (क्र. 3912) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गाडरवारा क्षेत्र में कितनी नलजल योजनाएं संचालित है जिसमें कितनी चालू है एवं कितनी बंद पड़ी है, बंद पड़ी योजनाओं को कब तक चालू किया जायेगा? सूची दें? (ख) गाडरवारा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम है जो नलजल योजना से वंचित है, सूची प्रदान करें? (ग) नलजल योजना से वंचित ग्रामों में कब तक नलजल योजना स्थापित की जायेगी? अगर नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 63 योजनाएं संचालित, जिनमें से 51 चालू व 12 बंद हैं। बंद योजनाओं को चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' व '2' अनुसार।** (ख) 119 ग्राम, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' अनुसार।** (ग) वर्तमान में 32 ग्रामों में नलजल योजनाएं प्रगतिरत हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। शेष ग्रामों में आवश्यकता का आंकलन कर शासन की नीति अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत से जनभागीदारी की राशि तथा अन्य शर्तों की पूर्ति होने पर नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

जिला भोपाल के कोलार एवं चूना भट्टी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा

134. (क्र. 3936) श्री प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भोपाल के कोलार एवं चूनाभट्टी क्षेत्र में कुल शासकीय भूमि कितनी है? सर्वे नंबर एवं रकबा वार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के उक्त क्षेत्र की कितनी शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा है एवं कितनी शासकीय जमीन पट्टे पर या अन्य तरीके से आवंटित की गई है? अवैध कब्जा धारी एवं आवंटित भूमि के व्यक्ति एवं संस्था का नाम पते सहित जानकारी दी जावें? (ग) अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कब्जा हटाने की क्या कार्यवाही की गई है एवं कितनी शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है? (घ) क्या वर्तमान में भी अवैध कब्जाधारी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये हुए है उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोकसेवकों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति

135. (क्र. 3942) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग में लोकसेवक रत्नाकर झा अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा एवं श्री शिवराज पावक खाद्य निरीक्षक होशंगाबाद के विरूद्ध एन्टी करप्शन एक्ट के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति चाही गई थी और आपके विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव राजस्व क्र. 374 दिनाँक 11.04.2014 को उक्त आवेदन कार्यवाही करने हेतु भेजा था? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभागों द्वारा कोई कार्यवाही न कर अभियोजन स्वीकृति में हीला हवाली की जा रही है? (ग) क्या यह भी सत्य है कि अभियोजन स्वीकृति लोकसेवकों के विरूद्ध प्रदाय करने के निर्देश म.प्र. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माह सितम्बर 2014 में जारी किये हैं? यदि हाँ, तो उन निर्देशों के अनुसार संबंधितों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो शासन उनके विरूद्ध कार्यवाही कब तक करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश (ख) एवं (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>SLR एवं ASLR अधिकारियों द्वारा संपादित कार्य</u>

136. (क्र. 3948) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने SLR (अधीक्षक भू-अभिलेख) एवं कितने ASLR (सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख) कार्यरत हैं? क्या प्रदेश में बंदोबस्त योजना समाप्त कर दी गई है? अगर हाँ तो SLR एवं ASLR कोन से कार्य संपादित कर रहे हैं? (ख) क्या SLR एवं ASLR पद पर नियुक्त कर्मचारियों को भू-अर्जन अधिकारी का कार्य करवाया जा सकता है? (ग) क्या भू-अर्जन अधिकारी हेतु संविदा नियुक्ति की गई है? अगर हाँ तो कब और कितने पदों के लिए? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार नियुक्त अधिकारी कहाँ कार्यरत हैं? नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? नियुक्त अधिकारियों का नाम, पता और शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा देवें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के प्रकरण</u>

137. (क्र. 3949) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वर्ष 2013, 2014 में कितने आत्महत्या के प्रकरण दर्ज किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इनमें कितने किसानों ने आत्महत्या की? जिलेवार ब्यौरा दें? (ग) क्या म.प्र. में किसानों की आत्महत्या उपरांत मुआवजे के प्रावधान हैं? अगर हाँ तो क्या प्रक्रिया है और नहीं तो सरकार की इस ओर कोई योजना है? (घ) किसानों की आत्महत्या रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्ष 2013 में 9315 एवं वर्ष 2014 में 9862 आत्महत्या के प्रकरण दर्ज किये गये। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।** (ग) जी नहीं। मुआवजा देने के संबंध में शासन द्वारा कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।**

<u>सिवनी जिले के अंतर्गत संचालित हेण्ड पम्प</u>

138. (क्र. 3968) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत वर्तमान में कितने हेण्डपंप संचालित है एवं कितने हेण्ड पंप बंद है?

(ख) प्रश्नांश (क) अनुसार हेण्ड पंप बंद अथवा खराब होने के क्या कारण है? (ग) क्या सिवनी जिले में हेण्ड पंप सुधारने के लिये पर्याप्त मात्रा में स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध है? (घ) यदि नहीं तो क्यों यदि हाँ, तो हेण्ड पंप अभी तक क्यों नहीं सुधारे गये स्पष्ट करें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 10010 हैण्डपंप संचालित एवं 784 बंद। (ख) बंद 784 हैण्डपंपों में से 122 भरपट जाने से, 54 पाइप लाइन जाम होने से, 257 पानी सूख जाने से, 271 हैण्डपंप अस्थायी रूप से जलस्तर गिरने के कारण एवं 80 हैण्डपंप साधारण खराबी से बंद हैं। (ग) जी हाँ। (घ) वर्तमान में बंद 784 हैण्डपंपों में से 704 हैण्डपंपों का सुधार कार्य संभव नहीं है, सुधार योग्य 80 हैण्डपंपों के सुधार का कार्य निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विभाग द्वारा सतत् किया जा रहा है।

परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित हैंडपंप

139. (क्र. 3983) श्री मधु भगत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभाग की जानकारी के अनुसार कहाँ हैंडपंप स्थापित हैं ग्रामवार संख्या बतायें? (ख) उपरोक्ता में से कौन-कौन से हैंडपंप से पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है? स्थान के नाम सहित कारण बतायें तथा बंद होने की अविध बतायें? (ग) पिछले वित्तीय वर्ष तथा इस वित्तीय वर्ष में कहाँ-कहाँ हैंडपंप खोदे गये और जनता ने एवं जनप्रतिनिधियों ने कहाँ-कहाँ खोदे जाने की मांग पिछले तीन वर्षों में की है? (घ) उपरोक्त हैंडपम्प सुधार, मरम्मत, इत्यादि हेतु कितनी वित्तीय राशि व्यय की गई बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' व '4' अनुसार**। (घ) वर्ष 2013-14 में रूपये 50.98 लाख एवं वर्ष 2014-15 में रूपये 30.12 लाख व्यय।

भोपाल शहर में घटित अपराध

140. (क्र. 4004) श्री विश्वास सारंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर के सभी थानों में 1 जुलाई 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कितने लूट, डकैती, चोरी, जुआं-सट्टा, मारपीट, हत्या, बलात्कार व महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं? थानेवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत प्रश्न दिनाँक तक कितने प्रकरणों की विवेचना पूर्ण हो चुकी है कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए? कितने मामले न्यायालय में प्रस्तुत हुए, कितने मामलों की विवेचना जारी है? (ग) क्या यह सच है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रकरणों में पीड़ितों की एफ.आई.आर. दर्ज करने में संबंधित थानों में देरी की जाती है यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार की शिकायतें एसपी को प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो किस-किस थानों की? क्या संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रश्न दिनाँक तक कोई नोटिस या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है।** (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है**।

नियम विरूद्ध नामान्तरण पर कार्यवाही

141. (क्र. 4026) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के ग्राम मुदरिया तहसील ब्यौहारी की भूमि खसरा नं. 06 रकवा 5.666 हे.

यानि 14 एकड. पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाँक 30.10.93 के द्वारा क्रय की गई थी? जिसका नामांतरण दिनाँक 31.10.1997 को तहसीलदार ब्यौहारी ने किया था एवं क्या दिनाँक 27.12.2014 को 21 वर्षों के कब्जे एवं 17 वर्षों के नामांतरण को एस.डी.ओ. ब्यौहारी ने रजिस्ट्री की बिना जाँच पड़ताल कराये व निरस्त किये उक्त नामांतरण को अवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हाँ तो क्या एस.डी.ओ. द्वारा पारित आदेश दिनाँक 27.12.2014 के एक दिन बाद ही यानी दिनाँक 29.12.2014 को श्री विवेक सिंह के नाम भूमि दर्ज कर उसके अगले ही दिन दिनाँक 30.12.2014 को श्री विवेक सिंह द्वारा जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या एस.डी.ओ. ब्यौहारी द्वारा दिनाँक 27.12.2014 को षडयंत्रपूर्वक किये गये नामांतरण को निरस्त कर श्री विवेक सिंह द्वारा दिनाँक 30.12.2014 को कराई गई रजिस्ट्री को भी निरस्त किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम

142. (क्र. 4027) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के नगर पंचायत हनमुना एवं मऊगंज में रीवा रियासत द्वारा पट्टा प्रदान किया गया था? यदि हाँ, तो इन पट्टेधारियों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या ये भू-मालिक मौके पर काबिज है परंतु अभिलेखों में इनका नाम दर्ज नहीं है? यदि हाँ, तो ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ इन लोगों का नाम कब तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सतना पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्यवाही

143. (क्र. 4077) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या थाना कोलगवां में दर्ज प्रकरण क्रमांक 446 के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? प्रकरण में दिनाँक वार की गई कार्यवाही का विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या सतना पुलिस आरोपियों को संरक्षण देकर प्रकरण को रफा-दफा करना चाहती हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण की विवेचना कौन कर रहा है? यदि समय पर कार्यवाही नहीं की गई तो विवेचना अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु निरंतर सतत् प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा आरोपियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। (ग) विवेचना उप निरीक्षक, एस.एनपरिहार द्वारा की जा रही है। अनुसंधान कार्यवाही एवं गिरफ्तारी के सतत् प्रयास किये जा रहे है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) समय सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "बीस"

सिहोर जिले में गो हत्यारों को संरक्षण

144. (क्र. 4078) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोर के मण्डी थाना में दिनाँक 28/1/2015 को आ. क्रमांक 26/15 दर्ज मामले में किन-किन व्यक्तियों को किन-किन धाराओं में अपराधी बनाया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण में किन-किन ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी? क्या ग्रामीणों द्वारा आरोपियों पर कार्यवाही हेतु कोई आवेदन पुलिस को प्राप्त हुआ? प्राप्त आवेदन पत्र पर कितने ग्रामीणों के हस्ताक्षर है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित ग्रामीणों के खिलाफ क्या मण्डी थाना सिहोर के द्वारा धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कार्यवाही की गई? किन-किन ग्रामीणों पर की गई तथा क्यों की गई? (घ) क्या अपराध की सूचना देना तथा अपराधियों को पकड़ने की मांग करने व आवेदन देने से शांति भंग हो सकती है? क्या गो हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही कराने के लिये कोई ग्रामीण आगे नहीं आये क्या इसलिये पुलिस थाना मंडी सिहोर द्वारा गो भक्त ग्रामीणों के विरूद्ध प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई? क्या पुलिस गो हत्यारों को संरक्षण दे रही है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ख) जी हाँ। 25 आवेदकों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से एक आवेदन दिया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ग्रामीणों के नामों का खुलासा करना उचित नहीं है। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।** (घ) जी नहीं। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथ्यों के आधार पर विधि अनुरूप प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। जी नहीं, पुलिस द्वारा गौ हत्यारों को कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

जन संकल्प 2013 के अनुसार किये गये कार्य

145. (क्र. 4096) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनसंकल्प 2013 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में किन-किन बिंदुओं को क्रियान्वयन हेतु शामिल किया गया था एवं उनके क्रियान्वयन के लिये क्या-क्या नीति/निर्देश विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को दिये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संकल्प के बिंदुओ के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा संकल्प पारित के बाद कितनी बजट राशि उपलब्ध कराई गई व उपलब्ध राशि में से जिला मुरैना को कितनी राशि किन-किन विधानसभाओं को दी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित राशि विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला मुरैना को प्राप्त होकर संकल्प से संबंधित क्या-क्या कार्य किये गये, की जानकारी कार्य विवरण/लागत राशि/क्रियान्वयन एजेंसी आदि सहित प्रस्तुत करें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार।** (ख) जनसंकल्प 2013 हेतु शासन से अलग से किसी राशि का आवंटन नहीं किया गया है। नियमित प्राप्त आवंटन से ही जनसंकल्प 2013 के अंतर्गत कार्य किये गये है। प्रदेश में नियमित बजट में रूपये 100003.4 लाख, मुरैना जिले को रूपये 1692.83 लाख प्राप्त हुये। राशि विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध नहीं कराई जाती। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार।**

परिशिष्ट – "इक्कीस"

सीमांकन-बटवारा व नामान्तरण के आवेदनों का निराकरण

146. (क्र. 4097) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के नियमान्तर्गत सीमांकन, बटवारा व नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत उपरांत कितनी-कितनी समय सीमा में निराकरण करने का प्रावधान है नियमों की प्रतियां उपलब्ध करावें? (ख)

जनवरी 2015 की स्थिति में विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला मुरैना में कितने प्रकरण नामान्तरण, सीमांकन एवं बटवारा के लंबित हैं, लंबित आवेदन कब-कब, किस-किस दिनाँक को प्रस्तुत किये गये थे? (ग) प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित है इस हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार/जबावदार है व प्रकरण का कब तक निराकरण कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ग्रामीण कारीगरों को स्वरोजगार योजना अंतर्गत सहायता</u>

147. (क्र. 4100) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई, 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 95 में विभिन्न विधाओं के ग्रामीण कारीगरों को स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ करने के लिऐ मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना में सहायता दी जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु योजना प्रारंभ से लेकर जनवरी, 2015 तक विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07, जिला मुरैना में विभिन्न विभागों के श्रमिकों के लिऐ किस-किस योजना के तहत सहायता दी गई, की जानकारी मजदूर की संख्या एवं सहायता राशि आदि सहित दी जावे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट – "बाईस"</u>

<u>मतदाताओं को गुमराह करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही</u>

148. (क्र. 4152) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि थाना गौतम नगर में अपराध क्रमांक 39/15 और 41/15 दिनाँक 29 जनवरी 2015 को शराब माफियाओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा यह भी अवगत करावें कि इन आरोपियों के द्वारा रिकार्ड अनुसार पूर्व में किन-किन अपराधों को अंजाम दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितनी राशि की कितनी शराब जब्त की गई और यह शराब माफिया किस राजनैतिक दल के लिए कार्य कर रहे थे? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन द्वारा उक्त आरोपियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। 1-आरोपी शिवकुमार शर्मा, निवासी जहाँगीराबाद, 2-आरोपी राजेश कुमार, निवासी कोहेफिजा, 3-आरोपी आशीष, निवासी कोहेफिजा, के विरूद्ध पूर्व में दर्ज अपराधों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** आरोपी शिवकुमार शर्मा तथा आरोपी राजेश कुमार के विरूद्ध अभिलेख के अनुसार कोई भी अपराध इससे पूर्व में दर्ज नहीं है। (ख) अपराध क्रमांक 39/15 में जप्त शराब की कुल कीमत लगभग 80, 640 रूपये तथा अपराध क्रमांक 41/15 में जप्त शराब की कुल कीमत लगभग 1, 17, 504 रूपये है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की किसी भी राजनैतिक दल से सम्बद्धता विवेचना के दौरान ज्ञात नहीं हुई है। (ग) जिला बदर की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "तेईस"</u>

<u>सवारी आटो चालको द्वारा किराया वसूली में अनियमितता</u>

149. (क्र. 4153) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सवारी आटो चालकों द्वारा मनमाने ढंग से किराया वसूलने एवं वाद-विवाद करने की शिकायते प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक भोपाल में कुल कितनी शिकायते प्राप्त हुई? (ख) क्या शासन द्वारा सवारी एवं आटो चालकों के वाद-विवाद को दृष्टिगत रखते हुए भोपाल में चल रहे सवारी आटो में मीटर लगवाये जायेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावे कि विगत 3 वर्षों की स्थिति में बगैर मीटर के कितने आटो चल रहे है उनके तथा ओवर लोडिंग करने वालों के विरूद्ध कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थानेवार माहवार बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। ''135 शिकायतें प्राप्त हुई'' (ख) मोटर व्हीकल एक्ट में आटो में मीटर लगाने का प्रावधान पूर्व से है। बिना मीटर वाले आटो चालकों के विरूद्ध सघन कार्यवाही के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>**परिशिष्ट – "चौबीस"**</u>

सीहोर अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

150. (क्र. 4160) श्री सुदेश राय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीहोर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र कहाँ-कहाँ संचालित है? इसमें से कितने स्वयं के भवन में संचालित है तथा कितने किराये के भवन में संचालित है? किराये के भवन में संचालित केन्द्रों के स्वयं के भवन निर्माण की विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है तथा कब तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा? (ख) संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में महिला एवं उनके शिशु हेतु क्या-क्या सामग्री प्रदाय की जाती है तथा प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता का मानक स्तर क्या है? विभाग अंतर्गत और कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : क) सीहोर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 247 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जिसमें से 76 आंगनवाड़ी भवन विभागीय भवनों में, एवं 138 भवन किराये के भवनो में संचालित हो रहे है। सीहोर शहरी परियोजना में 100 आंगनवाड़ी केन्द्रो में से कुल 07 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत है। ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त 147 आंगनवाड़ी केन्द्रो में से 76 भवन विभागीय आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है तथा शेष 71 आंगनवाड़ी केन्द्रो हेतु भी भवन स्वीकृत किये जा चुके है। निर्माणाधीन भवनों का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जावेगा। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रो द्वारा 3 से 6 वर्ष आयु के हितग्रहियों को नाश्ते में पौष्टिक खिचड़ी, थुली, मिठी लेप्सी, भोजन में रोटी, सब्जी, तुअर दाल, खीर पूड़ी, मूंग बड़ी, आलू की सब्जी, रोटी चने की दाल, मिक्स सब्जी, चावल पुलाव, पकोड़े वाली कढ़ी, रोटी, मूंग की दाल एवं सूखे मटर की सब्जी, पराठा रिजनेवल हरी सब्जी प्रदाय की जाती है। 6 माह से 3 वर्ष के हितग्रहियों, गर्भवती, धात्री, किशोरी बालिकाओं का रेडी टू हलवा, बाल आहार, खिचड़ी, गेहूँ सोया बर्फी, आटा बेसन लडडू एवं मंगलवार को 3 वर्ष के हितग्राही को खीर पूड़ी एवं गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को रोटी सब्जी आदि शासन द्वारा निर्धारित प्रोटीन एवं केलोरी युक्त पोषण आहार निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रदाय किया जाता है। विभाग में योजनायें संचालित है - 1. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, 2. अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन।

राशि का आवंटन

151. (क्र. 4164) श्री रामलाल रौतेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 15-16 में अनूपपुर जिले को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त आवंटन में से कुल कितनी राशि किन-किन योजनाओं तथा हितग्राहियों पर खर्च की गई है? (ख) प्राप्त राशि में से जनजाति वर्ग के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2014-15 में प्राप्त आवंटन और दिसम्बर 2014 तक के व्यय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। वर्ष 2015-16 प्रारंभ नहीं होने से प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए राशि रू. 50,40,000 का व्यय किया गया है।

परिशिष्ट – "पच्चीस"

कृत्रिम गर्भाधान कार्य पर व्यय एवं प्राप्त शासकीय शुल्क की राशि

152. (क्र. 4169) श्री रामलाल रौतेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शहडोल संभाग सहित अन्य सभी संभागों में जिलेवार कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु तरल नत्रजन एवं हिमीकृत वीर्य के क्रय एवं परिवहन पर वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कितना व्यय किया गया तथा 31 जनवरी 2015 की स्थिति में लम्बित देयकों की राशि क्या है? (ख) प्रश्नाधीन अवधि में जिलेवार किये गये कृत्रिम गर्भाधान की संख्या एवं प्रभावशील शुल्क से प्राप्त आय की धन राशि क्या है? (ग) क्या प्राप्त आय की धनराशि सरकारी खजाने में जमा की गई हैं? अथवा नहीं? यदि नहीं तो प्राप्त राशि कहाँ और किसके पास है तथा सरकारी खजाने में जमा क्यों नहीं की गई? प्रश्नाधीन शासकीय शुल्क की राशि सरकारी खजाने में कब तक जमा कराई जावेंगी? (घ) प्रदेश सरकार द्वारा समस्त मेंडिकल सेवायें रोग प्रतिबंधक टीकाकरण नि:शुल्क है एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रमों पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवायी जा रही है तब पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा रोग प्रतिबंधक टीकाकरण एवं पशु प्रजनन कार्यों पर शुल्क क्यों लगाया गया है औचित्य के साथ कारण बताइयें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है।** (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -ब अनुसार** है। (ग) जी नहीं। कृत्रिम गर्भाधान शुल्क की प्राप्त राशि म.प्र.शासन, पशुपालन विभाग के आदेश क्र. एफ- 23-12/2011 पैंतीस भोपाल दिनाँक11.03.2011 के अनुसार राष्ट्रीय गौ भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना की राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के खाते में जमा की है तथा नियमित जमा की जा रहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा रोग प्रतिबंधक टीकाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यों की राशि बहुत ही कम सेवा शुल्क के रूप में लिया जाता है जिसे जिला पशु कल्याण समिति में जमा किया जाता है जिसका उपयोग पशु कल्याण कार्यो में किया जाता है। पशु प्रजनन कार्यो की राशि लेकर मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के खाते में जमा की जाती है जिसका उपयोग भविष्य में कार्पस फण्ड के रूप में किया जाना है।

परिशिष्ट – "छब्बीस"

निस्तार पत्रक में दर्ज भूमि

153. (क्र. 4191) श्री नीलेश अवस्थी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मौजा टिपरा प.ह.न. 51 रा.नि. में शहपुरा जिला जबलपुर स्थित खसरा नम्बर 106/3 एवं 106/4 राजस्व अभिलेखों में किसके नाम किस मद में दर्ज है? उक्त भूमि के 12 के कैफियत में कितनी-कितनी भूमि किन-किन प्रयोजनों हेतु सुरक्षित हैं एवं नक्शे में कहाँ-कहाँ पर कौन-कैन से प्राचीन मंदिर हैं? उक्त सम्पत्ति पूर्व में किसकी थी? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांक (क) में उल्लेखित तालाब एवं ग्रामवासियों तथा पशुओं के लिये पानी पीने, नहाने, कब्रिस्तान, गोठान व अन्य सार्वजनिक निस्तार हेतु संरक्षित भूमि का क्रय मद परिवर्तित कर गन्ने की खेती की जा रही है? इस वजह से तालाब छोटा हो रहा है? तथा मुख्य मार्ग से खेतों को जाने वाला रास्ता अवरूद्ध हो रहा है एवं कब्रिस्तान एवं मंदिर के आसपास गन्ने की खेती होने से इनका मूलस्वरूप परिवर्तित हो रहा है? (ग) प्रश्नांक (ख) के उत्तर में यदि हाँ, तो इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा दिनाँक 16.09.14 को जन सुनवाई कलेक्ट्रेड जबलपुर को दिये आवेदन पर हुई कार्यवाही से अवगत करावें यह भी बतलावें की इस संबंध में तहसीलदार शहपुरा (मिहोनी) द्वारा रा.प्र.क्र./824 बी.-121/2013-14 में नवम्बर 2014 में दिये गये फैसले पर शासन के द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासन (क) में उल्लेखित भूमि तथा कृषि हेतु पहुँच मार्ग का सीमांकन कराकर अतिक्रमण किये गये तालाब एवं उससे जुड़े हुए गौठान, कब्रिस्तान, मंदिर निस्तार भूमि एवं कच्चे रास्ते को स्वतंत्र कराकर ग्रामवासियों को निस्तार सुविधा पूर्व की भांति प्रदान कर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सिंहस्थ 2016 के लिए ओंकारेश्वर में व्यवस्था</u>

154. (क्र. 4219) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 2016 की कार्ययोजना के लिए पुलिस विभाग द्वारा ओंकारेश्वर के लिए कितने प्रस्ताव भेजे हैं? (ख) उनमें से किन-किन प्रस्तावें को स्वीकृति दे दी गई है? (ग) सिंहस्थ 2016 के लिए ओंकारेश्वर के लिए पुलिस विभाग के लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई है? (घ) स्वीकृत राशि से ओंकारेश्वर में कब तक कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) सिंहस्थ 2016 की कार्ययोजना के लिए पुलिस विभाग द्वारा ओंकारेश्वर के लिए निम्न प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैः- (1) सिंहस्थ योजना में उज्जैन शहर के आस पास के जिलो/स्थानों जिसमें ओंकारेश्वर भी शामिल है में वीडियों कान्फ्रेनसिंग सिस्टम की स्थापना हेतु। (2) ओंकारेश्वर की सुरक्षा हेतु आवश्यक संसाधन एवं उपकरण हेतु। (3) ओंकारेश्वर क्षेत्र की सुरक्षा हेतु बीडीडीएस एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु। (4) ओंकारेश्वर क्षेत्र में अग्निशमन व्यवस्था हेतु। (ख) (1) ओंकारेश्वर में वीडियो कान्फ्रेनसिंग सिस्टम की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर शासन द्वारा दिनाँक 24.06.2014 को स्वीकृति दी गई हैं। (2) ओंकारेश्वर क्षेत्र की सुरक्षा हेतु आवश्यक संसाधन एवं उपकरण संबंधी प्रस्ताव पर शासन द्वारा दिनाँक 06.02.2015 को स्वीकृति दी गई है। (ग) (1) वीडियों कान्फ्रेनसिंग सिस्टम की स्वीकृत कार्ययोजना में ओंकारेश्वर की वीडियों कान्फ्रेनसिंग की स्थापना हेतु राशि रू. 2.50 लाख की स्वीकृत दी गई है। (2) ओंकारेश्वर की सुरक्षा हेतु आवश्यक संसाधन एवं उपकरण के लिए रू. 560.00 लाख की स्वीकृत दी गई है। (घ) धनराशि आवंटन शेष है।

<u>मुख्यमंत्री नलजल योजनाओं के कार्य की स्थिति</u>

155. (क्र. 4221) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खण्डवा जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से अभी तक कुल कितनी नलजल योजनाएं स्वीकृत की गई है? स्वीकृत नलजल योजनाओं में कितनी नलजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? (ख) वर्ष 2012 से अभी तक स्वीकृत नल जल योजनाओं में से कितनी नलजल योजनाओं का काम अधूरा है? उसका क्या कारण है? मुख्यमंत्री नल जल योजना का काम अधूरा होने में कौन दोषी है और उन दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाना है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत नलजल योजनाओं में अधूरी नलजल योजनाओं का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा? (घ) स्वीकृत नलजल योजनाओं में से किन ग्रामों में योजनाओं का कार्य पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर पेयजल वितरण प्रारंभ कर दिया है? उन ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 27 नलजल योजनायें स्वीकृत। 22 योजनाएं पूर्ण। (ख) 05 योजनाएं प्रगतिरत। उक्त योजनाएं माह सितंबर 2013 में स्वीकृत हुई थीं एवं इनकी कार्यपूर्णता अवधि 02 वर्ष है। सभी मुख्यमंत्री नलजल योजनाएं पूर्ण हैं अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रगतिरत योजनाओं के कार्य 31.12.2015 तक पूर्ण किये जाना लक्षित हैं। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**, सभी ग्रामों में पेयजल वितरण प्रारंभ किया जा चुका है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण में अनियमितता

156. (क्र. 4232) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकास खण्ड चौरई की मौजा पलटवाड़ा की क्या कोई भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहित की गयी है? यदि हाँ, तो अधिग्रहित की गयी भूमियों का खसरा नं., रकबा, भूमिस्वामियों के नाम, पता सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मौजा पलटवाड़ा की भूमि खसरा नं. 16/14 एवं 16/15 की कितनी-कितनी भूमि में से कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहित की गयी अधिग्रहित भूमियो पर क्या कोई परिसम्पत्तियां स्थित थी? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी, इन परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किन-किन अधिकारियों के द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का किया गया? (ग) क्या मौजा पलटवाड़ा की उक्त खसरा नं. की अधिग्रहित की गयी भूमियों पर स्थित परिसम्पत्तियों को हटाकर उस पर से सड़क का निर्माण कराया गया है? यदि नहीं तो क्यों? यदि परिसम्पत्ति को हटाया नहीं गया उस पर सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो उक्त भूमि का अधिग्रहण करने तथा परिसम्पत्तियों की राशि का भुगतान करने का क्या औचित्य है? स्पष्ट करें? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के प्रकाश में मौजा पलटवाड़ा की उक्त खसरा नं. की अधिग्रहित भूमियों का अधिग्रहण एवं मुआवाजा भुगतान के पश्चात् भी अधिग्रहित भूमियों एवं स्थित परिसम्पत्तियों पर भूमिस्वामी व्यवसाय संचालित कर रहे है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त पूरे मामले की प्रश्नकर्ता के उपस्थिति में जाँच करवाकर दोषियों को दण्डित करने तथा भुगतान किये गये मुआवजा व भुगतान पश्चात भूमिस्वामी द्वारा उक्त परिसम्पत्ति से अर्जित किये गये परिलाभों का आंकलन कर संबंधितों से वसूल कर खजाना दाखिल करने का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

छिन्दवाड़ा जिले में कृत्रिम गर्भाधान किट का दुरूपयोग

157. (क्र. 4233) पं. रमेश दुबे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन, पशु धन विकास नीति, नस्ल सुधार, पशु प्रजनन नीति, कुक्कुट पालन, इत्यादि विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार, उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये है और कितने लोग लाभान्वित हुए है? योजनावार की गयी कार्यवाही की जानकारी विकासखण्डवार और यदि योजना हितग्राहीमूलक है तो उनके चयन की प्रक्रिया की नीति निर्देश सहित लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या व उन्हें उपलब्ध करायी गयी सेवाओं की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में छिन्दवाड़ा जिले में विगत 3 वर्षों में कृत्रिम गर्भाधान के कुल कितने किट कहाँ-कहाँ से कब-कब प्राप्त हुए? प्राप्त किट में से कितने किट कब-कब उपलब्ध कराये गये? (ग) क्या कृत्रिम गर्भाधान के शासन से प्राप्त किट का उपयोग शासन के निर्देशानुसार पशुपालकों का चयन कर उनके पशुओं के लिए निशुल्क उपयोग न कर भारी दामों पर बाजार में अथवा पशुपालकों को विक्रय किये जाने का कोई मामला प्रकाश में आया है? (घ) क्या क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनेकों पशुपालकों ने शासन से निशुल्क प्राप्त होने वाली कृत्रिम गर्भाधान के किट का उपयोग पात्र पशुपालकों के पशुओं के लिए न कर उसे अधिक दामों पर बाजार में अथवा अपात्र व्यक्तियों को विक्रय किये जाने की शिकायतें प्रश्नकर्ता को प्राप्त होने पर प्रश्नकर्ता ने जिले के पशु अधिकारियों को की है? क्या शासन कृत्रिम गर्भाधान के विगत तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये किट्स के किये गये दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की जाँच करवाकर दोषियों को दण्डित करने का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभागीय संस्थाओं पर एवं ग्रामीण स्तर पर पशु शिविरों, जनसमस्या निवारण शिविरों, अन्तयोदय मेंलों एवं कृषि महोत्सव 2014 में विभागीय अमले द्वारा पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन, पशु धन विकास नीति, नस्ल सुधार, पशु प्रजनन नीति, कुक्कुट पालन, इत्यादि विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर, पम्पलेट एवं ब्रोशर्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है फलस्वरूप विभिन्न विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं में पशुपालक लाभान्वित हुऐ हैं। विगत 3 वर्षों में विभिन्न गतिविधियों में विकास खण्डवार लाभान्वित हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। हितग्राही मूलक योजनाओं में विगत 3 वर्षों में विकास खण्डवार लाभान्वित हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब** एवं चयन प्रक्रिया के नीति निर्देश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -स अनुसार** हैं। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** हैं। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। उक्त शिकायत की जाँच द्विव सदस्यीय प्रथम श्रेणी अधिकारियों की समिति द्वारा की गई, जॉच में कृत्रिम गर्भाधान किट विक्रय करने की पुष्टि नहीं हुई है।

चैक धारकों के सहमति के बिना भुगतान

158. (क्र. 4235) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक से अधिक अर्थात अनेक व्यक्तियों के नाम से अधिग्रहित की गयी भूमियों के मुआवजा राशि का जारी किये गये चैक का भुगतान किये जाने का बैंक नियमों में क्या प्रावधान है? क्या इस मामले में पृथक-पृथक बैंको के पृथक-पृथक नियम निर्देश है? यदि हाँ, तो सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक का इस मामले में क्या नियम नर्देश हैं? प्रति संलग्न करें? (ख) क्या भू-अर्जन अधिकारी चौरई/अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा

द्वारा मौजा सलखनी की भूमि खसरा नं. 153 रकबा 0.804 हेक्टर भूमि का पेंच व्यपवर्तन परियोजना के नहर निर्माण हेतु अधिग्रहण पश्चात् उसकी मुआवजा राशि का चैक सभी भूमि स्वामियों के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया गया था? यदि हाँ, तो सहभूमिस्वामियों का नाम बतावें? (ग) प्रश्नांश ख के प्रकाश में क्या जारी किये गये इस चैक के सभी धारकों के सहमति के बिना ही सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक कपुर्दा, जिला-छिन्दवाड़ा के प्रबंधक के द्वारा अपने स्तर से राशि का बंटवारा कर उनमें से कुछ चैक धारकों को भुगतान कर दिया गया है? क्या राशि का बंटवारा करने हेतु बैंक प्रबंधक सशक्त है? यदि नहीं तो क्या शासन संबंधित बैंक प्रबंधक को दोषी मानकर उनके विरूद्ध सहखातेदारों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराकर उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश देगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या प्रश्नककर्ता ने उक्त के संबंध में पत्र क्रमांक 89 दिनाँक 03/02/2015 अनुविभागीय अधिकारी चौरई एवं पत्र क्रमांक 90 दिनाँक 03/02/2015 कलेक्टर छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो इन पत्रों पर किस स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? नहीं की गयी तो क्यों? कारण स्पष्ट करते हुए यह बतावें कि कब तक कार्यवाही की जाकर प्रश्नकर्ता को अवगत करा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्रामीण अंचलो एवं शहरी ग्रामों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

159. (क्र. 4262) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला बैतूल में कुल कितनी आंगनवाड़ी संचालित हो रही हैं? उनकी संख्या देवें? संचालित आंगनवाड़ियां क्या नियमित निर्धारित समय में खुलती है एवं शासन द्वारा दी गई लाभकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, योजनावार लाभान्वितों की संख्या दी जायें? (ख) उक्त आंगनवाड़ियों की मॉनिटरिंग हेतु कितनी महिला सुपरवाईजर के पद स्वीकृत है एवं कितने पदों की पूर्ति है तथा कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) मॉनिटरिंग हेतु नियत महिला सुपरवाईजरों का निवास मुख्यालय में है या अन्यत्र जगह से आना जाना किया जाता है, यदि मुख्यालय में निवासरत है तो परियोजना अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वेतन आहरण के पूर्व किन-किन दिनांको में मुख्यालय का सत्यापन किया गया है? सेक्टरवार दिनांको का विवरण दिया जाये? (घ) उपरोक्तानुसार कॉलम 3 के अनुसार यदि मुख्यालय में निवास नहीं कर रही है तो परियोजना अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जिला बैतूल में कुल 2220 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जी हाँ। जी हाँ। योजनावार लाभान्वितों की संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार** है। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों की मॉनिटरिंग हेतु बैतूल जिले में कुल 89 सेक्टर पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध कुल 67 महिला पर्यवेक्षक कार्यरत है। पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) विभागीय पत्र क्र. एफ-5-1/09/50-2/दिनाँक 12.01.09 अनुसार पर्यवेक्षक यदि सेक्टर मुख्यालय पर निवास नहीं करना चाहती है तो वह परियोजना मुख्यालय पर रहेगी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार** है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

नवलखा बीज कं. महिदपुर पर दर्ज प्रकरण

160. (क्र. 4267) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवलखा बीज कं. महिदपुर जिला उज्जैन पर दर्ज प्रकरण का अपराध क्रं. धाराएं बताएं व इससे संबंधित विवरण उपलब्ध करावें? (ख) क्या जाँच प्रतिवेदन में नवलखा ट्रेडर्स को भी दोषी पाया जाकर सह अभियुक्त बनाया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या (क) अनुसार नवलखा बीज कं. महिदपुर पर कूटरचित दस्तावेज बनाने की धाराएं लगाई गई है? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं तो कब तक लगाई जावेगी? (घ) इस प्रकरण में संबंधितों की गिरफ्तारी कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) फरियादी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी महिदपुर के आवेदन पर दिनाँक 27.01.2015 को थाना महिदपुर जिला उज्जैन में अप.क्रं. 35/15, धारा भा.द.वि. एवं 3/7 ई.सी. एक्ट का नवलखा बीज कं0 के मालिक हंसमुखलाल पिता देवेन्द्र नवलखा निवासी महिदपुर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, प्रकरण में विवेचना जारी है। (ख) जी नहीं। जाँच प्रतिवेदन में नवलखा ट्रेडर्स के नाम का प्रतिष्ठान नहीं होना तथा कोई साक्ष्य नहीं होने से सह अभियुक्त नहीं बनाया गया है। (ग) अभी प्रकरण विवेचनाधीन है। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी। (घ) विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, समय सीमा बताना संभव नहीं है।

गौण खनिजों के नियम

161. (क्र. 4286) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किस-किस गौण खनिज के संबंध में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाये जाने वाले निस्तार पत्रक में क्या-क्या प्रावधान है? (ख) किस-किस गौण खनिज के संबंध में ग्रामीणों, ग्रामीण कारीगरों, ग्रामीण श्रमिकों गरीबो को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 ने क्या-क्या अधिकार एवं छूट दी गई है? (ग) बैतूल जिले के बैतूल तहसील के कितने राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक में किसी दूसरे ग्राम के संसाधनों पर अधिकार के संबंध में क्या-क्या प्रावधान है? (घ) निस्तार पत्रक में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निस्तार पत्रक में गौण खनिज खदानों के विवरण दर्ज किए जाने के संबंध में शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दखल रहित शासकीय भूमि का आवंटन

162. (क्र. 4298) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश में उद्योगों के लिए दखल रहित शासकीय भूमि के आवंटन की क्या नीति, नियम, प्रावधान व निर्देश प्रचलित हैं? (ख) वर्ष 2008 से प्रश्न दिनाँक तक रीवा संभाग में किस जिले में कहाँ कितनी भूमि उद्योगों हेतु आरक्षित की गई? कितनी जमीन किन-किन उद्योगों को आवंटित की गई? कब-कब उक्त आरक्षित एवं आवंटित भूमि के मद एवं प्रयोजन परिवर्तन के आदेश क्या संबंधित कलेक्टरों से प्राप्त किये गये? नहीं तो, क्यों? (ग) दखल रहित शासकीय भूमियों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका क्रमांक 19869/2010 में दिनाँक 28 जनवरी 2011 को क्या आदेश दिये गये हैं? क्या विभाग द्वारा उक्त आदेश का पालन वर्ष 2011 के बाद किया गया

है? नहीं, तो क्यों? (घ) सार्वजनिक प्रयोजनों की भूमि को उद्योगों हेतु आवंटन के संबंध में उक्त आदेश में क्या छूट दी गई है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोटवारों को प्रदाय वेतन

163. (क्र. 4319) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा प्रदेश में कोटवारों को कितना वेतन प्रदान किया जाता है? (ख) गत 20 वर्षों में शासन द्वारा की गयी वेतनवृद्धि की जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या शासन निकट भविष्य में कोटवारों की वेतनवृद्धि की कोई योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो क्या और यह कब तक लागू की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों, कारण स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख)

		20 वर्ष पूर्व दर	वर्तमान दर
1.	जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है	रु. 500/-	रु. 2000/-
2.	जिनके पास 3 एकड़ तक सेवा भूमि है	रु. 230/-	रु. 1000/-
3.	जिनके पास 3 एकड़ से 7.5 एकड़ सेवा भूमि है	रु. 180/-	रु. 600/-
4.	जिनके पास 10 एकड़ तक सेवा भूमि है	रु. 130/-	रु. 400/-

(ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता चूंकि वर्ष 2009 में ही वृद्धि की गई।

कालोनाइजर लायसेंस के फर्जी उपयोग पर कार्यवाही

164. (क्र. 4437) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष द्वारा संस्था के कालोनाइजर लायसेंस के फर्जी उपयोग की शिकायत पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) को दिनाँक 17.10.12 में की गयी थी? जिसकी विवेचना कर थाना हबीबगंज द्वारा अपराध क्रमांक 405 दिनाँक 26.07.13 पंजीबद्ध किया गया था? (ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुख्य अपराधी श्रीमती ज्योति शुक्ला को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दोनों फर्जी अनुबंधों में उनका नाम अनुबंधकर्ता के तौर पर अंकित है एवं उनके द्वारा ही नगर निगम भोपाल से कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष के तौर पर फर्जी अनुबंध किया गया था एवं अनुबंध के पूर्व ही उनके फर्जी रूप से संस्था के लायसेंस का दुरूपयोग कर टी.एंड.सी.पी. से भी अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी? (ग) पुलिस द्वारा कब तक एफआईआर क्रमांक 405 दिनाँक 26.07.13 में शेष दोषियों श्रीमती ज्योति शुक्ला, तत्कालीन नगर निगम प्रभारी एवं फर्जी अनुबंध पत्र की गवाही देने वाले फर्जी गवाहों का नाम जोड़ा जायेगा? कृपया निश्चित समयावधि दें? (घ) पुलिस द्वारा कब तक अपनी जाँच पूर्ण कर उक्त प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जी नहीं। विवेचना में साक्ष्य संकलन किये जा रहे हैं। साक्ष्य प्राप्त होने पर विधि एवं अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण विवेचना में है अतः समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष द्वारा अनियमितता

165. (क्र. 4439) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष द्वारा वर्तमान अध्यक्ष अजय पाठक एवं उपाध्यक्ष पी.के.नंदी एवं अन्य के विरूद्ध धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत कर संस्था के भूखंडों का पंजीयन गैर सदस्यों को कराने संबंधी शिकायत पुलिस अधीक्षक भोपाल (दक्षिण) को की गई थी? (ख) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जाँच सीएसपी एमपी नगर को दी गई थी? जिन्होंने अपनी जाँच में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य व्यक्तियों को धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, आपराधिक साजिश एवं झूठा शपथ पत्र देने का दोषी पाया था? (ग) क्या उक्त जाँच के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज कराया गया है? यदि हाँ, तो प्रकरण की जानकारी दें? यदि नहीं तो अब तक कोई प्रकरण क्यों दर्ज नहीं कराया गया एवं इसके लिए कौन दोषी है? दोषियों के खिलाफ प्रकरण कब तक दर्ज कराया जायेगा? (घ) जाँच में दोषी पाये जाने के बावजूद भी प्रकरण दर्ज नहीं कराने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पुलिस विभाग के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दोषियों को मदद की जा रही है? क्या ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग कोई जाँच कर कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक और क्या?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शिकायत पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं पाई गई। (ग) एवं (घ) शिकायत जाँच से संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया आवेदक को अवगत कराया गया कि प्रकरण सिविल होने के कारण अपनी शिकायत कलेक्ट्रोरेट में या परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्राकृतिक आपदा के बकाया पीडितो को राशि भुगतान

1. (क्र. 164) श्री मोती कश्यप : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2014 की किन्हीं तिथियों में ओला एवं अतिवृष्टि होने से वि.स.क्षे. बड़वारा की किन तहसीलों के ग्रामों के कितने कृषक प्रभावित हुये हैं? विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के किन ग्रामों के कितने प्रभावित कृषकों को कितनी राहत राशि का वितरण कर दिया गया है? विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) ग्रामों के किन प्रभावित कृषकों को किन कारणों से अभी तक राहत राशि वितरित नहीं की गई है? विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) को कब तक राशि वितरित कर दी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

माइक्रो इरिगेशन योजना में हुये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही

2. (क्र. 680) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि इन्दौर जिले में माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन व स्प्रिकलर सिस्टम में हुए घोटाले के मामले में जिलाधीश द्वारा उद्यानिकी विभाग के चार अधिकारियों को निलंबित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो इनके निलंबन पश्चात जाँच रिपोर्ट में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? स्पष्ट करें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) निम्न छः अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित कि गई है। 1.श्री मनीष चौहान, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी। 2.श्री देवेन्द्र वर्मा, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी।3.श्री वाय. के. सोनोने, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी। 4.श्री एम. एल. अहिरवार, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी। 5.श्री एस. एल हामड़, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी। 6.श्री आर. के. खोबरिया, सहायक संचालक उद्यान।

जिला श्योपुर में भूमियों के लंबित नामान्तरण प्रकरणों का निराकरण

3. (क्र. 760) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्ष में श्योपुर जिले में भूमि के नामान्तरण एवं बंटवारा के कितने प्रकरण प्राप्त हुए? कितने प्रकरणों में नामान्तरण एवं बंटवारा के आदेश प्रदान किए गए? कितने प्रकरण लंबित हैं? (ख) क्या यह सही है कि श्योपुर जिले में भूमियों के नामान्तरण एवं बंटवारा पर रोक लगी है? यदि हाँ, तो क्यों एवं कब से एवं किस आदेश के तहत? कृपया आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में भूमियों के नामान्तरण पर रोक होने से पांच हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं? जिससे भूमियों की रजिस्ट्री न हो पाने से स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को लाखों रूपये के राजस्व का नुकसान हुआ है? यदि हाँ, तो श्योपुर जिले में नामान्तरण पर से रोक हटा कर कब तक लंबित प्रकरणों का निराकरण कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मान. नेता प्रतिपक्ष के पत्र पर कार्यवाही

4. (क्र. 761) श्री रामनिवास रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन मान. नेता प्रतिपक्ष, म.प्र. विधानसभा ने पत्र क्रमांक 253 दिनाँक 01.01.2012 जो कि डॉ. मुश्ताक मंसूरी के शिकायती पत्र के साथ तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, म.प्र. पुलिस को लिखकर प्रकरण की जाँच कराने का अनुरोध किया था? (ख) यदि हाँ, तो मान. नेता प्रतिपक्ष के उक्त पत्र पर क्या जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) जाँच कराई गई थी। फरियादी डॉ. मुश्ताक मंसूरी निवासी अनूपपुर द्वारा मान0 न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय के न्यायालय में आरोपी तत्कालीन निरीक्षक लक्ष्मी कुशवाह एवं तत्कालीन उप निरीक्षक सुरेखा परमार महिला थाना जबलपुर के विरूद्ध परिवाद प्रकरण क्रमांक 232/04 पेश किया गया था। प्रकरण में अभी तक आरोप तय नहीं हुआ है, उक्त दोनों अधिकारियों को दी गई पदोन्नति को निरस्त किये जाने के संबंध में डॉ. मुश्ताक मंसूरी से प्राप्त शिकायत का गहन परीक्षण किया गया जो पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध आरोप विरचित नहीं होने से दी गई पदोन्नति म.प्र.शासन द्वारा नियमानुसार प्रदान की गई है जिसकी सूचना पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक पुमु/3/कार्मिक/12/3776-ए/दिनाँक 03.07.13 को श्री अजय सिंह ''राहुल'' तत्कालीन माननीय नेता प्रतिपक्ष को दी गई थी।

प्रदेश के आर.टी.आई. कार्यकताओं/पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना पर कार्यवाही

5. (क्र. 764) श्री रामनिवास रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 1 जनवरी, 2014 से प्रश्नांकित तिथि तक प्रदेश के आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं/पत्रकारों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं समाज सेवियों के साथ मारपीट, फोन पर जान से मारने की धमकी, जान लेवा हमला एवं हत्या की कितनी घटनाएं किस-किस थानांतर्गत घटित हुई? इन घटनाओं के कितने प्रकरण किन-किन धाराओं में किन-किन आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किए गए? कितने आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कितने गिरफ्तारी हेतु शेष है तथा गिरफ्तारी के क्या प्रयास शासन द्वारा किए जा रहे हैं? (ख) प्रदेश के आर.टी.आई. कार्यकर्ता एवं पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में शासन की क्या योजना है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विधि अनुसार प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। (ख) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 24 जून 2003 में सुरक्षा दिये जाने के संबंध में विनियम प्रकाशित किये गये हैं। तद्नुसार आर.टी.आई. कार्यकर्ता व पत्रकारों को विनियम 494 ख (चार) के अंतर्गत सुरक्षा के औचित्य का विनिश्चिय वास्तविक खतरे के आधार पर किया जाकर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

मन्दसौर, रतलाम, नीमच जिलों में हथकरघा विभाग की योजनायें

6. (क्र. 839) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर, रतलाम एवं नीमच जिले में हथकरघा विभाग द्वारा विगत 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन सी योजनाओं में किन-किन हितग्राहियों का चयन कर उन्हें कौन-कौन से उपकरण सीधे उपलब्ध कराए गए, तथा कौन-कौन से उपकरणों के क्रय हेतु सीधे उनके खाते में कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई? सम्पूर्ण जानकारी विकास खण्डवार दें? (ख) प्रश्नांश (क) के

संदर्भ में यह भी बताए कि हितग्राही का चयन किस आधार पर किया जाता है, तथा धनराशि बैंक खाते में अन्तरण व उपकरणों के क्रय किए जाने के क्या निर्देश हैं? नियम निर्देश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं? (ग) क्या उक्त जिलों में अधिकारी, कर्मचारी एवं एन.जी.ओ. की मिली भगत से हितग्राहियों को बहला फुसला कर उनकी राशि निकलवा कर उनके आहरण पत्र पर हस्ताक्षर करवा कर राशि का आहरण किया जाता है और अमानक एवं कम मूल्य के उपकरण प्रदान कर नियमों के विपरीत कार्य किया जा रहा है। क्या इस संबंध में शिकायत विभाग के पास लम्बित है? शिकायतकर्ता के नाम सहित जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिले में हाथकरघा संचालनालय द्वारा 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक "हाथकरघा उद्योग विकास योजना" एवं "कुटीर उद्योग विकास योजना" में हितग्राहियों को उपकरण क्रय करने हेतु राशि स्वीकृत कर सीधे उनके खाते में जमा कराई गई है। विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" अनुसार है।** (ख) हितग्राही का चयन व बैंक खातो में राशि जमा करने तथा उपकरण क्रय शासन नियमो/निर्देशो के आधार पर किया जाता है। नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" एवं "ई" अनुसार है**। (ग) जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृत्रिम गर्भाधान से पशुधान की हानि

7. (क्र. 996) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खण्डवा जिले में पशु चिकित्सा विभाग के कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालित हैं एवं विगत तीन वर्षों में केन्द्रवार कितने कृत्रिम गर्भाधान के प्रकरण किए गए है? (ख) क्या कृत्रिम गर्भाधान के कारण विधानसभा क्षेत्र में पशुपालकों को पशुधन की हानि हो रही है? क्योंकि इस प्रक्रिया से उत्पन्न बछड़े या तो अंधे पैदा हो रहे है या विकलांग? (ग) कृत्रिम गर्भाधान में हुई लापरवाही के कारण हुई पशुधन की हानि के लिए कौन-कौन पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार है? क्या इन अधिकारियों पर कोई विभागीय कार्यवाही/जाँच प्रस्तावित है यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या पशुधन की रक्षा के लिए कृत्रिम गर्भाधान में हुई लापरवाही को ठीक करने के लिए विभाग ठोस कदम उठायेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) खण्डवा जिले में 59 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं (ख) जी नहीं। मात्र एक पशुपालक के यहाँ कृत्रिम गर्भाधान से 3 वत्स अंधे पैदा हुए हैं। कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग हुए साडों के वीर्य का परीक्षण केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल से कराया गया जिसमें कोई खराबी नहीं पायी गई। अंधेपन का कारण आनुवंशकीय खराबी/पोषण में मिनरल्स की कमी हो सकती है। (ग) कोई नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) कोई लापरवाही नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खण्डवा जिले में अपराधों पर नियंत्रण में असफलता

8. (क्र. 998) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खण्डवा जिले में विगत तीन वर्षो में चोरी, हत्या लूट एवं अन्य गंभीर अपराध दिन दहाडे होने एवं अपराधी पुलिस गिरफ्त से दूर होने से जनता में पुलिस से विश्वास कम हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो पुलिस विभाग इन पर नियंत्रण की कार्य योजना बनाने पर ध्यान दे रहा है? क्या खंडवा पुलिस बल के पास

पर्याप्त आधुनिक वाहन एवं सुरक्षा के उपाय उपलब्ध है? यदि नहीं तो शासन से मांग की गई हैं? (ग) आपराधिक प्रकरणों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये है? क्या ये उपाय अपराधों की रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं? (घ) यदि नहीं तो खण्डवा जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्या गृह विभाग जिले में अतिगोपनीय एवं त्वरित कार्यबल जैसे विशेष पुलिस स्टाफ की नियुक्ति एवं नवीन संसाधन प्रदान करने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक प्रदान किये जायेंगे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। (ख) अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस के पास आधुनिक वाहन एवं सुरक्षा उपाय की उपलब्धता रहती है। (ग) पुलिस द्वारा ग्राम/नगर रक्षा समितियों का गठन किया गया है तथा बीट सिस्टम लागू किया गया है। पुलिस एवं ग्राम/नगर रक्षा समितियों के द्वारा सतत् भ्रमण कर एवं रात्रिगस्त कर अपराधों की रोक-थाम का प्रयास किया जा रहा है। (घ) खंडवा जिले में समय-समय पर आवश्यकता अनुसार बल उपलब्ध कराया जाता है। जिले में ए.टी.एस. की यूनिट कार्यरत है। सुरक्षा के संशाधन जिले में उपलब्ध है।

जुबली बोर्डिंग हाउस ट्रस्ट झाबुआ के संबंध में

9. (क्र. 1150) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुबली बोर्डिंग हाउस ट्रस्ट झाबुआ के अध्यक्ष ने भूमि ट्रस्ट के स्वामित्व को घोषित कर माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्र. एस; एफ 8/2012 में समझौता पेश करने हेतु थी श्री रामपाल जी माननीय राजस्व मंत्री को ट्रस्ट के सदस्यों के हस्ताक्षर से 8 जुलाई 2014 को जो आवेदन दिया था उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है? (ख) इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने माननीय मंत्री जी को 18.07.2014 को पत्र लिखा था? इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों की प्राप्त शिकायतों की जाँच

10. (क्र. 1258) श्री हर्ष यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर, नरसिंहपुर, भोपाल, रायसेन तथा दमोह जिले में राजस्व विभाग में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के संबंध में विगत तीन वर्षों में भ्रष्टाचार, अनियमितता, लापरवाही, कदाचरण, रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति आदि के मामलों में कितनी शिकायतें विभाग/शासन के संज्ञान में आई है? (ख) उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों में से कितने प्रकरणों में सक्षम अधिकारियों से जाँच//परीक्षण कराया गया है? कितने में नहीं और क्यों? विभाग/शासन को इस तरह से प्राप्त शिकायतों का कब तक विधि सम्मत निराकरण कर दोषियों को दंडित किया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिविल रिवीजन के लंबित प्रकरण

11. (क्र. 1454) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पारित अवार्ड के प्रकरणों को सिविल न्यायालय में प्रेषित किए जाने के आवेदनों पर बैतूल एवं छतरपुर जिले में प्रश्नांकित तिथि तक भी प्रकरण सिविल न्यायालय में प्रेषित नहीं किए जा सके हैं? (ख) बैतूल एवं छतपुर जिले में किस

दिनाँक को पारित अवार्ड के प्रकरण को सिविल न्यायालय में प्रेषित किए जाने के किस दिनाँक को प्रस्तुत आवेदन के बाद भी किन-किन कारणों से प्रकरण प्रश्नांकित तिथि तक भी सिविल न्यायालय नहीं भेजा जा सका है? (ग) अपर कलेक्टर एवं भू-अर्जन कार्यालय बैतूल के द्वारा किस-किस प्रकरण को सिविल रिवीजन हेतु सिविल न्यायालय प्रेषित किए जाने हेतु गत दो वर्षों में किस-किस भूअर्जन अधिकारी को किस-किस दिनाँक को पत्र लिखे प्रति सहित बतावें? (घ) सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रेषित न किए जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है पद व नाम सहित बतावें कि उसके विरूद्ध कार्यवाही कर कब तक प्रकरण सिविल न्यायालय में प्रेषित कर दिए जावेगें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रचलित अधिकार एवं प्रयोजनो को लेख बद्ध करना

12. (क्र. 1455) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अतां. प्रश्न क्रमांक 319 दिनाँक 02 जुलाई 2014 के प्रश्नांश के उत्तर में प्रश्नाधीन आदेश द्वारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, नारंगी क्षेत्र तथा वन की परिभाषित में दर्ज जमीनों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वनभूमि माना जाकर वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली भूमि माना है की जानकारी दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल एवं नारंगी वन भूमि राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में किन-किन अधिकारों एवं किन-किन प्रयोजनों के लिए राजस्व विभाग के द्वारा दर्ज किया जा रहा हैं? (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने बडे झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल एवं नारंगी वन भूमि को वर्किंग प्लान, पी.एफ.एरिया रजिस्टर, संरक्षित वन कक्ष मानचित्र एवं संरक्षित वन कक्ष इतिहास में संरक्षित वन मानकर भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों को लागू किए जाने का अधिकार या छुट किस आदेश दिनाँक को दिए हैं? (घ) न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमियों पर प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार लेखबद्ध किए जाने हेतु राजस्व विभाग क्या कार्यवाही कर रहा हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पेयजल सुलभता हेतु तालाब निर्माण

13. (क्र. 1588) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल सुलभता हेतु वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनाँक तक कितने और कौन-कौन से तालाब निर्माण स्वीकृत हुए? कितने निर्मित हुए? कितने अब तक अपूर्ण है? वर्षवार ग्रामवार ब्यौरा देवें? (ख) अधूरे तालाबों के कार्य किस कारण एवं कब से बंद है? इन्हें पूर्ण करने के लिए क्या प्रयास किये गये? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में स्वीकृत एवं निर्मित तालाबों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त तालाबों का भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों का तालाबवार ब्यौरा देवें? (घ) क्या उक्त अवधि में तालाब निर्माण में हुई अनियमितता अथवा फर्जी भुगतान की कोई शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी? तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश-''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश-''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश-''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हैण्डपंप एवं नल-जल योजनाए

14. (क्र. 1794) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत वर्ष 12-13 एवं 13-14 में तथा 14-15 में कितने हैण्डपंप खनन किये गये तथा कितनी राशि व्यय की गई? (ख) बुन्देलखण्ड पैकेज से प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि का व्यय किया गया? (ग) नल-जल योजनाएॅ कितनी संचालित है कितनी संचालित नहीं है विकासखण्ड राजनगर, लवकुशनगर क्षेत्र में आने वाली नल-जल योजनाओं के वर्ष 12-13, 13-14 के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की जानकारी उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 1142 नलकूप खनित तथा रूपये 1005.77 लाख व्यय। (ख) रूपये 884.89 लाख। (ग) 342 क्रियान्वित नलजल योजनाओं में से 281 चालू व 61 बंद। योजनावार उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते।

जाँच प्रमाणित पाई जाने पर कार्यवाही

15. (क्र. 1795) कुँवर विक्रम सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में गृह सचिव, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? (ख) छतरपुर जिलान्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों के कितने अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध जॉच प्रमाणित पाई गई? (ग) जॉच प्रमाणित पाई जाने के कारण कितनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? कितनों के नहीं उनकी सूची दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है।** (ख) एवं (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है।**

परिशिष्ट – "अट्ठाईस"

शासकीय भूमि पर कब्जा तथा निर्माण

16. (क्र. 1796) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में शासकीय भूमि में कब्जा तथा निर्माण के कितने प्रकरण प्रकाश में आये? (ख) प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने उक्त भूमि के संबंध में जाँच की? (ग) यदि हाँ, तो छतरपुर जिले में अब तक क्या परिणाम हासिल हुए शासकीय भूमि पर कब्जा तथा निर्माण करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वन विभाग से अभिलेख एवं दस्तावेज प्राप्त न करना

17. (क्र. 1834) श्रीमती रेखा यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सागर संभाग के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों की जिन जमीनों को वन विभाग द्वारा

संरक्षित वन भूमि मानकर सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी, सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट, ब्लॉक हिस्ट्री बनाई उनकी प्रतियां प्रश्नांकित तिथि तक भी राजस्व विभाग वन विभाग से प्राप्त नहीं कर पाया? (ख) यदि हाँ, तो संभाग के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कितनी जमीनों को संरक्षित वन भूमि मानकर वन विभाग ने सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी, सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट एवं कितने वनखण्डों की ब्लॉक हिस्ट्री बनाई इसमें से किस-किस अभिलेख की प्रतियां वन विभाग से राजस्व विभाग के द्वारा प्राप्त कर ली हैं? (ग) राजस्व भूमियों को संरक्षित वन मानकर वन विभाग के द्वारा तैयार किए गए अभिलेख, दस्तावेज आदि की प्रतियां प्रश्नांकित तिथि तक भी राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग से प्राप्त न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमियों को संरक्षित वन भूमि मानकर वन विभाग के द्वारा तैयार किए गए अभिलेख एवं दस्तावेजों की प्रतियां राजस्व विभाग वन विभाग से कब तक प्राप्त कर लेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>वन व्यवस्थापन की नस्तियां</u>

18. (क्र. 1835) श्रीमती रेखा यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छतरपुर जिले के अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, नौगांव, लौडी एवं बिजावर के समक्ष भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (1) में अधिसूचित जिन जमीनों की धारा 5 से 19 तक की जाँच लंबित बताई जा रही है, उनकी नस्तियां या प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है? (ख) किस अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कितने वनखण्डों में अधिसूचित कितनी भूमियों की धारा 5 से 19 तक की जाँच लंबित बताई जा रही है? इसमें से किस वनखण्ड की नस्ती या प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है किस वनखण्ड की नस्ती या प्रकरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है? (ग) जिन वनखण्डों की नस्तियां या प्रकरण अनुविभागीय कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है, उन वनखण्डों की धारा 5 से 19 तक की जाँच अनुविभागीय अधिकारी किन दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान में कर रहे हैं? (घ) धारा 5 से 19 तक की जाँच हेतु नस्ती या प्रकरण वन विभाग से प्राप्त किए जाने के संबंध में किस अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किस-किस दिनाँक को क्या-क्या कार्यवाही दिसंबर 2009 के बाद की है, कब तक नस्ती या प्रकरण वन विभाग से प्राप्त कर लिए जावेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृति</u>

19. (क्र. 1983) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में वर्ष 2014-15 में कहाँ-कहाँ मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं, सूची उपलब्ध करावें? (ख) कंडिका (क) अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष जनवरी 2013 से प्रश्नांश दिनाँक तक मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु सौंपे गये पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें तथा मांग अनुसार अभी तक केन्द्र क्यों नहीं खोले गये कारण बतायें? (ग) कंडिका (क) एवं (ख) अनुसार मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का कार्य कब तक कर लिया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) सिहोरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड सिहोरा के जोली (विनोवानगर) में एक तथा विकास खण्ड कुण्डम के ग्राम बिलगॉव, छीरपानी (ददराटोला) , काराघाट के मचनाटोला तथा सातिमझिर के मेनपठारी में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित थे। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है।विभागीय आदेश क्र.2286/1826/2014/50-2/भोपाल, दिनाँक 10.12.2014 अनुसार विकासखंड सिहोरा के जौली के पास विनोबा नगर तथा विकास खंड कुण्डम के ग्राम झिरिया बिलगॉव ग्राम कुवरहट छीरापानी (ददराटोला) ग्राम काराघाट का माचन टोला तथा सातमझिर का मैनपठारी में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के विधिवत संचालन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार।

परिशिष्ट – "उनतीस"

नल जल योजना एवं हैण्ड पंप खनन

20. (क्र. 1987) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत विकास खण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में वर्ष 2012-13 से प्रश्नांश दिनाँक तक कहाँ-कहाँ नलजल योजना एवं हैण्डपंप खनन स्वीकृत किये गये हैं? सूची उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नलजल योजना एवं हैण्डपंपों का खनन कब किया गया एवं कहाँ-कहाँ खनन कार्य शेष हैं, कब तक खनन कार्य करा लिया जावेगा एवं योजना कब आरंभ हो जावेगी? (ग) वर्ष 2014-15 में कौन-कौन सी नलजल योजना कहाँ-कहाँ प्रस्तावित हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र** - "1" **व "2" अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" व "2" अनुसार**। (ग) विकासखण्ड कुण्डम के ग्राम अमझर में नलजल योजना प्रस्तावित की गयी है।

नेशनल लैंड रिकार्ड या मार्डनाइजेशन प्रोग्राम

21. (क्र. 2054) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेशनल लेण्ड रिकार्ड मोर्डनाईजेशन प्रोग्राम N.L.R.M.P. के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2014 जनवरी तक वर्षवार विभाग को कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) प्राप्त राशि में से कितनी राशि का उपयोग न होने से राशि लेप्स हुई तथा क्यों कारण बतायें? (ग) फरवरी, 2015 की स्थिति में विभाग के पास कितनी राशि उपलब्ध है तथा उक्त राशि व्यय करने की क्या-क्या योजना है? (घ) उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कराये जाते हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) नेशनल लैण्ड रिकार्डस मार्डनाईजेशv प्रोग्राम (NLRMP) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से पूर्व में रूपये 16053.76 लाख, वर्ष 2011-12 में 2889.85 लाख, वर्ष 2012-2013 में रूपये 33.86 लाख की राशि प्राप्त हुई तथा वर्ष 2013-14 (जनवरी-14 तक) में प्राप्त राशि निरंक है। इस प्रकार कुल प्राप्त राशि रूपये 18977.47 लाख है। (ख) कोई भी राशि लैप्स नहीं हुई है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) फरवरी 2015 की स्थिति में विभाग के पास रूपये 10055.87 लाख उपलब्ध है जिसमें से रूपये 2500.00 लाख का उपयोग 31 मार्च 2015 तक होने की संभावना है, शेष राशि का उपयोग आगामी वित्तीय वर्ष में किया जायगा। (घ) तहसील स्थित अभिलेखागारो का आधुनिकीकरण तथा सर्वे कार्य कराया जा रहा है।

रिक्त पदों की पूर्ति

22. (क्र. 2056) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2015 की स्थिति में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी के कितने पद स्वीकृत हैं जिलेवार संख्या बतायें तथा कितने पद रिक्त है? (ख) आगामी 5 वर्षों में उक्त वर्ग के कितने अधिकारी कर्मचारी सेवा निवृत होगे वर्षवार संख्या बतायें? (ग) उक्त रिक्त पद तथा आगामी 5 वर्षों में रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति हेतु विभाग की क्या-क्या योजना है इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (घ) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग से अनुमति की क्या प्रक्रिया है? विभाग ने इस हेतु क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिलाओं के एन.जी.ओ. के लिऐ योजनाएं

23. (क्र. 2233) सुश्री उषा ठाकुर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के महिला एन.जी.ओ. के लिऐ विभाग ने कौन-कौन से प्रशिक्षण/ पर्यवेक्षण कार्यक्रम निर्धारित किये हैं? (ख) किन-किन महिला एन.जी.ओ. को विगत 5 वर्षों में प्रशिक्षण/ पर्यवेक्षण कार्य आवंटित किये हैं? (ग) जिन एन.जी.ओ. को विगत 5 वर्षों में प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण कार्य/प्रोजेक्ट आवंटित किये हैं, उन्हें अनुदान स्वरूप कितनी राशि स्वीकृत/आवंटित की गई, सूची देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) संचालनालय आईसीडीएस द्वारा महिला एन जी ओ के लिये पृथक से कोई प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में सव्यसांची सेंटर फार अर्बन एण्ड रूरल डेवलपमेंट जिला सीधी को प्रशिक्षण कार्य आवंटित किया गया है (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित एन जी ओ को जारी किये गये आवंटन का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "तीस"

गुना जिले के ग्राम चीतोडी वर्धा पांडोन की भूमि को शासकीय घोषित करना

24. (क्र. 2297) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले की तहसील बमोरी के ग्राम चीतोडी (वर्धा पांडोन) की भूमि सर्वे नं. 27 रकवा 42.134 कदीम वर्ष 1999 से पूर्व शासकीय कदीम थी यदि हाँ, तो जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भूमि को वर्ष 1999-2000 के खसरे के कॉलम नं. 16 में सर्वे नं. 27 मिन का रकवा 27.670 हेक्टर राजा गंगा सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पांडौन के नाम पर नामांतरण पंजी क्र. 15/27-5-2000 से वटा स्वीकृत एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गुना के प्र.क्र.2 अ 90वी (3) के तहत अमल किया शेष भूमि का वटा स्वीकृत की प्रविष्टि राजस्व के कौन से कर्मचारी ने की? उक्त आदेशों के प्रतियां दे एवं फर्जी हैं तो जाँच कराएंगे? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित राजस्व आदेश अनुविभागीय अधिकारी गुना के प्र.क्र.2 अ 90वी (3) का प्रकरण दायरा रजिस्ट्रर में दर्ज नहीं है, तो क्या उक्त आदेश फर्जी है? क्या गंगासिंह ने राजस्व पटवारी से मिलकर षडयंत्र रचकर शासकीय भूमि का अमल कराया है यदि हाँ, तो बतायें? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) (ग) में उल्लेखित प्रविष्टि राजस्व रिकार्ड में है या नहीं सही दर्ज है या फर्जी क्या इसकी जाँच करायेगें? यदि शासकीय भूमि को षडयंत्र

रचकर सर्वे नं. 27 ग्राम चीतोडी की भूमि हड़पी है तो क्या उसे पुन: शासकीय घोषित करेगें? दोषियों पर कार्यवाही करगें कब और कैसे कारण सहित विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गुना जिला स्थित स्वाइस पार्क संचालित न होना

25. (क्र. 2298) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले में गत 3 वर्षों से क्षेत्र के कृषकों एवं व्यापारियों को राज्य शासन की निर्धारित लक्ष्य होते हुये भी क्यों लाभान्वित नहीं किया गया? जिससे गत दो वर्षों से तैयार स्पाईस पार्क गुना में बंद पड़ा है कारण सहित विवरण दें? (ख) क्या खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में विभाग का गुना जिले में कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है? यदि है तो कौन को लाभ देने का विभाग ने प्रयास किया है? यदि नहीं तो कब और कैसे करेंगे ताकि स्पाईस पार्क का लाभ गुना जिले को मिले? (ग) क्या उद्यानिकी मिशन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मॉडल नर्सरी, मसाला विकास, पुष्प विकास, टिश्युकल्चर लैब, संरक्षित खेती, ऑर्गनिक फार्मिंग, फसलोत्तर प्रबंधन, औषधीय खेती के क्षेत्र में गुना जिले में विभाग के गत दो वर्षों में लक्ष्य अनुसार क्या कार्य किये है एवं क्या कार्ययोजना बनाई है? (घ) गुना जिले में विभाग के अधिकारियों द्वारा रूचि न लेने एवं कमजोरी और पक्षपात के कारण स्पाईस पार्क बन्द पड़ा है? शासन स्तर पर प्रयास क्यों नहीं किये? क्या स्पाईस पार्क को शासन द्वारा प्राईवेट ठेके पर दिया है? यदि हाँ, तो कौन से नियम से? उपरोक्त अनियमितता का जिम्मेदार और दोषी कौन है? क्या कार्यवाही करेंगे बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ग) जी नहीं। मसाला क्षेत्र विस्तार संबंधी योजनाओं से दिये गये लाभ की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है। खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते है। निजी उद्यमियों द्वारा प्रसंस्करण/विपणन इकाई स्थापित करने के लिए विभाग की योजनाओं में अनुदान एवं छूट का प्रावधान है। स्पाईस पार्क भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संस्था ''स्पाईस बोर्ड'' द्वारा स्थापित होकर उनके नियंत्रण में है। अतः शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' एवं 'ग' अनुसार** है।

परिशिष्ट – "इकतीस"

सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित गौशालाओं की जानकारी

26. (क्र. 2383) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी गौ शालाएॅ संचालित हैं? ग्राम का नाम एवं संचालनकर्ता के नाम की जानकारी दें? (ख) शासन से गौ शाला हेतु कौन-कौन से अनुदान/सहायता राशि गौ शालाओं को प्राप्त होती हैं? (ग) अखिल भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से क्या-क्या सहयोग प्राप्त होता है? (घ) उक्त सभी सहायताओं का सही उपयोग किया जाता है या नहीं, इसके लिए कोई जॉच दल आदि की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है? अनियमितताओं के मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के द्वारा पंजीकृत तथा क्रियाशील गौशालाओं को मुख्यतः उनमें

उपलब्ध गौवंश के भरण पोषण हेतु एवं सुदृढ़ीकरण, आवश्यक बुनियादी सुविधाओं हेतु आर्थिक सहायता जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से प्रदाय की जाती है। (ग) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा अपने स्तर से गौशालाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। (घ) जी हाँ। इसके लिए जिला उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, द्वारा जाँच कराई जाती है, जो जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के सचिव भी होते हैं। यदि शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

आंगनवाड़ी केन्द्रों के संबंध में

27. (क्र. 2424) डॉ. मोहन यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किस-किस स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र कब से संचालित हो रहे हैं? केन्द्रवार/स्थानवार जानकारी दें और ऐसे कितने स्थान हैं, जहाँ आगनवाड़ी केन्द्र खोलना अनिवार्य है, जो खोले नहीं गये? कारण सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित आंगनवाड़ी केन्द्र क्या शासकीय भवन में संचालित है? नहीं, तो क्या इनके भवन हेतु बजट उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो बतायें? नहीं, तो भवन निर्माण कब तक कर दिये जायेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित आंगनवाड़ी केन्द्रों में क्या-क्या गतिविधियां अनिवार्य है, तथा कितनी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? केन्द्रवार जानकारी दें और प्रत्येक केन्द्र को संचालित किये जाने में कुल कितना-कितना बजट किस-किस केन्द्र के लिए किस-किस कार्य हेतु खर्च किया गया? विगत पांच वर्ष की केन्द्रवार जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित केन्द्रों में किस नाम, पदनाम के पद कब से रिक्त हैं और उनकी पूर्ति नहीं करने के क्या करण हैं? केन्द्रवार जानकारी दें? (ड.) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित केन्द्रों में से कौन-कौन से केन्द्र बंद पड़े हैं और क्यों? किस-किस के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? स्थानवार, केन्द्रवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। जिले से प्राप्त नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जायेगे। जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ख) 53 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय शासकीय भवन में संचालित है तथा 12 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध है। शेष 181 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु वर्तमान में बजट उपलब्ध नहीं है। भवन निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -4 अनुसार** है। (घ) जानकारी उत्तरांश क के **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार** है। (ड.) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार** है।

नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन

28. (क्र. 2556) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला झाबुआ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में

शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई व इस राशि से विभाग ने कितनी-कितनी राशि किस विकासखण्ड में किस-किस मद में व्यय की बिन्दुवार मदवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) विधानसभा क्षेत्र पेटलावद में कितनी नल-जल योजनायें अभी तक स्वीकृत हुई है एवं उनमें से कितने का कार्य पूर्ण किया जाकर उक्त योजना अंतर्गत जल प्रदाय का कार्य चालू कर दिया गया है तथा कितनी योजनायें अपूर्ण है एवं कब तक पूर्ण कराई जावेगी, दिनाँक से अवगत करावें? (ग) जो नल-जल योजनायें विभागीय रूप से पूर्ण कराकर हस्तांतरित की जा चुकी हैं उनका सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? (घ) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र पेटलावद अंतर्गत कितनी नल-जल योजनाए किन-किन कारणों से बन्द हैं, एवं उनको चालू कराने के लिए विभागीय स्तर पर क्या प्रयास किये गये हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) 55 नलजल योजनाएं स्वीकृत, 52 योजनाओं का कार्य पूर्ण जलप्रदाय प्रारंभ, 03 योजनाओं के कार्य प्रगति पर। 30.9.2015 तक पूर्ण किये जाना संभावित। (ग) योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की जानी है। विभाग द्वारा केवल तकनीकी मार्गदर्शन आवश्यकतानुसार दिया जाता है। (घ) 03 योजनाएं। 02 योजनाएं पंचायत द्वारा नहीं चलाने से एवं 01 स्रोत में पावर पंप फंसने से बंद हैं। योजनाएं पंचायत द्वारा चालु की जाना हैं।

<u>परिशिष्ट – "तैंतीस"</u>

<u>पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिये जाना</u>

29. (क्र. 2674) श्री दिव्यराज सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिला अंतर्गत - थाना जनेह अंतर्गत ग्राम पनासी में आसादेवी केवट, पति रामजी केवट के साथ गम्भीर रूप से मारपीट की रिपोर्ट दिनाँक 02.01.15 को थाना जनेह में दर्ज करायी गई? यदि हाँ, तो क्या समय पर उसकी चिकित्सा पुलिस द्वारा करायी गई? यदि नहीं, तो पुलिस का यह कृत्य अपराधी को संरक्षण देना एवं अपराध को बढ़ावा देना क्या सिद्ध नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में क्या उपरोक्त महिला पीड़िता को पुलिस द्वारा घटना दिनाँक से चार दिन तक आरक्षक 693 बृजभान सिंह द्वारा चिकित्सालय में मेडिकल प्रस्तुत नहीं किया गया? मेडिकल प्रस्तुत न होने के कारण महिला को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी, जिसके कारण महिला की आंख खराब हो गई? क्या लापरवाह पुलिस आरक्षक के विरूद्ध व जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पर कोई कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में क्या उक्त महिला को पुन: समुचित मेडिकल परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजकर समुचित कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। दिनाँक 04.01.2015 को 10:30 बजे थाने में रिपोर्ट की गयी थी जिस पर अप.क्र. 02/15 धारा 294, 323, 506, 325, 34 भा.दवि. का पंजीबद्ध कर मजरूबा आशादेवी केवट पति रामजी केवट का मेडिकल परीक्षण दिनाँक 04.01.15 को सीएचसी त्योंथर में करवाया गया। सीएचसी त्योंथर के डॉ. के द्वारा मजरूबा की आँख का मेडिकल परीक्षण रीवा से कराने हेतु निर्देशित किया था, जिस पर दि. 05.01.15 को एसजीएमएच रीवा में परीक्षण कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) दिनाँक 05.01.15 को एसजीएमएच रीवा में उपचार हेतु भेजा गया था परंतु पीड़िता आशादेवी व उसका पति रामजी केवट आरक्षक के साथ न जाकर अलग से पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा गए, जहाँ से उन्हें 02 महिला आरक्षकों के साथ एस.जी.एम.एच.

भेजकर दि. 05.01.15 को ही उपचार कराया गया है। (ग) पुनः दि. 07.01.15 से 10.01.15 तक एसजीएमएच रीवा में पीडिता का समुचित उपचार पुलिस द्वारा कराया गया है।

नल जल योजनाओं का समुचित संचालन

30. (क्र. 2675) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत-डभौरा अतरैला, बडाछ, अन्दवा, जवा, सितलहा, पटेहरा, लूक, सिरमौर, बैकुण्ठपुर, क्योटी में क्या नल जल योजनाये स्थापित है, यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में सभी संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में - उक्त सभी नल जल योजनाओं से क्या समुचित रूप से आम जनता को जल प्रदाय हो रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन पंचायतों में यदि नहीं तो संचालन न होने का क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में - उक्त में से जो योजनायें चालू नहीं है, तो क्या पेयजल सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है? यदि हाँ, तो बंद पड़ी योजनाओं को कब तक चालू किया जायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) बड़ाछ एवं अंदवा को छोड़कर शेष सभी में नलजल योजनाएं स्थापित एवं वर्तमान में संचालित है। (ख) जी हाँ, ग्राम बड़ाछ एवं अंदवा को छोड़कर जहाँ कि नलजल योजना स्थापित ही नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अपात्र मछुआ कल्याण समितियों के गठन की जाँच

31. (क्र. 2778) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से तालाबों, बांधों एवं नदियों पर मछली पालन किया जाता है, तथा उक्त स्त्रोतों से मछली पकड़ने हेतु क्या सभी स्थानों पर मछुआ कल्याण समितियों का गठन कर दिया गया है? समितियों के नाम, पते सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या मत्स्य विभाग की नीति अनुसार मत्स्य कल्याण समितियां गठित करने व मछली पकड़ने हेतु मछुआ समुदाय को ही प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के कुछ तालाबों व बांधों पर गैर मछुआ समुदाय के लोगों की बीच समितियां गठित कर अपात्रों को लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने स्थान हैं, तथा क्या ऐसी अपात्र समितियों के गठन की जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक 13 तालाबों में मत्स्य पालन किया जा रहा है साथ ही नदियों में मत्स्यपालन नहीं किया जा रहा है। सभी स्त्रोतों में मछुआ सहकारी समिति गठित नहीं है केवल 8 सिंचाई जलाशयों पर 8 मछुआ सहकारी समिति गठित है। **"जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।"** (ख) जी हाँ। प्रश्नांश विधान सभा क्षेत्र के 6 जलाशयों पर स्थानीय वंशानुगत मछुआरे नहीं होने पर मत्स्यपालन नीति 2008 में निर्धारित प्राथमिकता क्रम में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जातियों की समिति गठित की गई है। गठित समितियॉ अपात्र नहीं है। अत: जॉच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "चौंतीस"

पशु चिकित्सालयों/औषधालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

32. (क्र. 2779) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत किन-किन पशु चिकित्सालय एवं औषधालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं, तथा विभाग द्वारा प्रश्न दिनाँक तक उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में पशु औषधालय खजूरिया की बाउण्ड्रीवाल तथा पशु औषधालय लखनवास का कोई शासकीय भवन नहीं है? यदि हाँ, तो इनके निर्माण हेतु क्या आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जावेगी? (ग) उपरोक्तानुसार पशु चिकित्सालय, ब्यावरा जिसके अंतर्गत लगभग 80-90 ग्राम आते हैं? उसमें गंभीर रूप से ग्रसित पशुओं को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से एम्बुलेंस तथा पशुओं में बीमारियों का परीक्षण करने हेतु सोनोग्राफी व एक्स-रे मशीन की अत्यंत आवश्यकता है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त चिकित्सालय में आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी हाँ। वर्तमान में किराये के भवन में संचालित है तथा 12 वी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के संचालित विभिन्न पशु चिकित्सा संस्था के भवन निर्माण का कार्य मापदण्ड अनुसार एवं उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार ही किया जाता है। (ग) विकासखण्ड स्तरीय चिकित्सालयों में ऐम्बूलेन्स, सोनोग्राफी, एवं एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "पैंतीस"</u>

लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रस्ताव

33. (क्र. 2804) श्री कमलेश शाह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिंदवाड़ा जिले में लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत कितने प्रस्ताव विभाग के पास आए, कितने स्वीकृत कब-कब हुए? विगत 3 वर्षों की जानकारी विधानसभावार देवें? (ख) अमरवाड़ा वि.स.क्षेत्र के हितग्राहियों की सूची उनके नाम, पते सहित देवें? विगत 3 वर्षों के विषय में देवें? (ग) वि.स. क्षेत्र अमरवाड़ा में विगत 3 वर्षों में चयनित/नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के नाम, चयन/नियुक्ति दिनाँक, उनकी शैक्षणिक योग्यता देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) छिंदवाडा जिले में लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। विगत 3 वर्षों की जानकारी विधानसभा वार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र १ अनुसार** है। (ख) अमरवाडा विधान सभा क्षेत्र के हितग्राहियों की सूची उनके नाम, पते सहित **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र २ अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ३ अनुसार** है।

स्वीकृत हैण्डपंपों का खनन

34. (क्र. 2806) श्री कमलेश शाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 के लिए कितने हैंडपंप स्वीकृत किए गए है? स्वीकृत हैंडपंपों की सूची ग्रामवार, स्थानवार देवें? (ख) इनमें कितने हैंडपंप विभाग द्वारा लगा दिये गये हैं कितने शेष हैं? पृथक-पृथक सूची देवें? (ग) जो हैंडपंप शेष हैं वे कब तक लगा दिए जाएगें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) अमरवाडा विधान सभा क्षेत्र हेतु 89 हैण्डपम्प

स्वीकृत। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) 53 हैण्डपंप स्थापित, 36 शेष। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार**। (ग) 31 मार्च 2015 तक लक्षित।

लंबित नामांतरण प्रकरण

35. (क्र. 2809) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसुरयाई में कृषि संकाय प्रांरभ करने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा 4 हेक्टेयर भूमि के नामांतरण/मांग का प्रकरण राजस्व विभाग सागर में विगत 6 माह से लंबित है? (ख) क्या विगत 2 वर्षो से हायर सेकण्डरी स्कूल मसुरयाई में कृषि संकाय प्रारंभ कराये जाने की मांग भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न किये जाने के कारण, विद्यालय में कृषि संकाय अब तक प्रारंभ नहीं हो सका है? (ग) यदि हाँ, तो इस हेतु कौन उत्तरदायी है और उसके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी, तथा हायर सेकण्डरी स्कूल मसुरयाई के नाम पर कब तक भूमि का नामांतरण कर कृषि संकाय प्रारंभ करा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) भूमि नामान्तरण का प्रस्ताव विधिवत विभागाध्यक्ष की ओर से प्राप्त न होने के कारण तदाशय का पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सागर के द्वारा दि. 27.8.2014 लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को भेजा गया है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

बुंदेलखण्ड में भू जल स्तर में गिरावट

36. (क्र. 2820) श्री मुकेश नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश के बुंदेलखण्ड अंचल के पन्ना, दतिया, सागर, दमोह, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में अधिकांश गांवों में भू-जल स्त्रोतों का अधिक दोहन होने के कारण जल संकट की स्थिति निर्मित हो रही है? इसे दूर करने के लिये और जनता को वर्ष पर्यन्त पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार की क्या योजना है? (ख) क्या सरकार को जानकारी है कि पन्ना जिले के अजयगढ़, बल्देवगढ़, टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी, टीकमगढ़, पलेरा, जतारा, सागर जिले के बंडा, सागर रेहली और दमोह जिले के पथरिया और हटा विकासखण्डों में 80 से 90 प्रतिशत तक भू जल का दोहन हो रहा है और इससे इन इलाकों में कभी भी गंभीर पेयजल संकट का खतरा पैदा हो सकता है? इस खतरे को टालने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) पन्ना जिले के अजयगढ़, टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़, पलेरा एवं दमोह जिले के पथरिया विकासखण्ड अद्‌र्धदोहित श्रेणी के विकास खण्ड हैं। शेष विकास खण्ड सुरक्षित श्रेणी के हैं। जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा गबन

37. (क्र. 2821) श्री मुकेश नायक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग दमोह में वर्ष 2008 से 2011 तक लगातार जलाशयों के निर्माण कार्यों में अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से मिलकर सुनियोजित आपराधिक षड़यत्र करके करोड़ो रूपयों के सरकारी धन का

गबन किया गया और धन बर्बाद किया गया? इस संबंध में संतोष भारती ने 16 अगस्त 2011 को जिला पुलिस अधीक्षक दमोह को लिखित शिकायत की तथा दिनाँक 30.08.2011 को पुलिस थाने में एफ.आई.आर. मय दस्तावेजी सबूतों सहित दर्ज कराई इस पर अब तक हुई पुलिस कार्यवाही के संबंध में जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत मामले में लगभग दो करोड़ 80 लाख रूपये के घपले की शिकायत है और जल संसाधन विभाग के कई यंत्रियों, कर्मचारियों के अलावा तत्कालीन दमोह के जिला कलेक्टर एस.पी.एस. सलूजा, शासन के जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव तथा तत्कालीन जल संसाधन मंत्री सहित 15 व्यक्तियों को सरकारी धन के गबन, दुरूपयोग, अपव्यय के लिए दोषी बताया गया है और उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही न होने के क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) प्राप्त शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 745/11 धारा 420, 467, 468 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में है, साक्ष्य प्राप्त होने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

पुलिस द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिया जाकर कार्यवाही

38. (क्र. 2842) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनाँक 08 दिसम्बर 2014 के परि. अतारांकित प्रश्न (क्रमांक 8) के उत्तर में आरोपी प्रदीपसिंह पुत्र हरिमोहन सिंह की गिरफ्तारी हेतु अनेक बार दबिश दी गई? यदि हाँ, तो विगत 06 माह में पुलिस द्वारा कब-कब, कहाँ-कहाँ दबिश दी गई? रोजनामचे के आधार पर विवरण दें? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या लहार पुलिस एवं राजस्व विभाग अधिकारी द्वारा जप्त की गई जे.सी.बी. मशीन श्री प्रदीपसिंह द्वारा खुर्द-बुर्द करने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) उपरोक्त प्रश्न क्रमांक 08 के उत्तर में पुलिस द्वारा संरक्षण देना स्वीकार नहीं किया है तो फिर अभी तक पुलिस द्वारा प्रदीपसिंह की सम्पत्ति राजसात करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (घ) दिनाँक 25.11.2014 को अपराध क्रमांक 193 धारा 308 में प्रदीपसिंह द्वारा न्यायालय लहार में उपस्थित होकर पुलिस की जानकारी में जमानत कराने के बाद भी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार नहीं किया जाने से यह प्रमाणित नहीं होता कि पुलिस का प्रदीपसिंह को संरक्षण प्राप्त है? यदि हाँ, तो जानबूझकर अभियुक्त को गिरफ्तार न करने वाले जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) जे.सी.बी. मशीन दिनाँक 18.12.2011 को राजस्व विभाग द्वारा जप्त कर प्रदीप सिंह पुत्र हरिमोहन को सुपुर्द की गई थी। मशीन के मालिक श्री जगन्नाथ की रिपोर्ट पर थाना रिफायनरी जिला मथुरा (उ.प्र.) में प्रदीप सिंह के विरूद्ध अपराध क्रमांक 141/12 धारा 420, 406, 468, 471, 504, 506, 120-बी भा.द.वि. का पंजीबद्ध किया गया है। (ग) नियमानुसार धारा 82 द.प्र.सं. एवं धारा 83 द.प्र.सं. के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जी नहीं। थाना प्रभारी लहार श्री शिवसिंह यादव को आरोपी को मौके पर गिरफ्तार न करने पर दण्डित किया गया है।

परिशिष्ट – "छत्तीस"

अपराध क्रमांक 212/14 के अभियुक्त को गिरफ्तार करने के संबंध में

39. (क्र. 2850) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के थाना रौन में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 212/14 धारा 302, 147, 148, 149 एवं 294 में अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार न करने के क्या कारण है? (ख) क्या सभी अभियुक्त स्वंय के निवास पर ही रहकर गवाहों को धमका रहे हैं? यदि हाँ, तो अभी तक अभियुक्तों की सम्पत्ति राजसात करने हेतु क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उपरोक्त अपराधों के अभियुक्तों को कब तक गिरफ्तार किया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) आरोपीगण घटना दिनाँक से फरार होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। (ख) आरोपियों द्वारा गवाहों को धमकाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आरोपियों की संपत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त की जा रही है। तदुपरांत न्यायालय के आदेश अनुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। समय अवधि बताना संभव नहीं है।

अन्य खसरों में दर्ज भूमि वापस मूल खसरों में दर्ज की जाना

40. (क्र. 2955) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जबलपुर जिले के मौजा-लक्ष्मीपुर ख.नं.223, 225 प.ह.25 न.ब.643, शास. शिक्षक कर्मचारी सह.गृह निर्माण समिति मर्या. जबलपुर के स्वामित्व की भूमि जो कि अन्य लोगों के नाम नामांतरण के द्वारा दर्ज हो गयी थी लगभग 2-3 वर्ष पूर्व वापस शास. शिक्षक कर्म.सह.गृह. नि. समि. के नाम दर्ज की गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त भूमि कितनी है? वापस दर्ज की गयी कितनी-कितनी भूमि किन-किन लोगों के किन-किन ख.न. से दर्ज की गयी है? उक्त वापस दर्ज की गयी भूमि अन्य खसरों से हटाई गयी है या नहीं? वापस 223, 225 ख.नं. में दर्ज की गयी भूमि का पूर्ण विवरण दें कि किन-किन नामों से वापस हुयी है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गौ-शाला संवर्धन योजनांतर्गत गौ-शालाओं को अनुदान

41. (क्र. 2959) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गौ-शाला संवर्धन योजनांतर्गत जबलपुर जिले में कितनी एवं कौन-कौन सी गौ-शालाएं पंजीकृत एवं संचालित हैं? स्थानवार जानकारी दें? (ख) जिले की पंजीकृत गौ-शालाओं को वर्ष 2012-13 से अब तक वर्षवार कितना-कितना अनुदान जारी किया गया है? (ग) जिले की अनुदान प्राप्त गौ-शालाओं में गायों की संख्या का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया? विगत दो वर्षों की जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार।** (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार।** (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार।**

परिशिष्ट – "सैंतीस"

जबलपुर जिले में नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन

42. (क्र. 2960) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर जिले में वर्तमान में कितनी एवं कौन-कौन सी नल-जल योजनायें क्रियान्वत है? (ख) वर्ष 2013-14 में कौन सी नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गयी? स्वीकृत की गयी नल-जल योजनाओं का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? कितना शेष है? (ग) (ख) अनुसार योजनाओं हेतु स्वीकृत राशि में से मदवार, कार्यवार कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है? अपूर्ण नल-जल योजनाएं कब तक पूर्ण होगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 345 नलजल योजनाएं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**।

नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना

43. (क्र. 2985) श्री प्रहलाद भारती : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिलें में पोहरी विधानसभा क्षेत्र में नवीन पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग में लंबित है, यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्या नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा झिरी, माता का बीलवरा, बेहरदा (महोदव घाटी), झिरना मंदिर के पास सतनबाड़ा-नरवर रोड पर, कैमई में नवीन पुलिस चौकी प्रस्तावित की गई है? यदि हाँ, तो किस स्तर पर प्रक्रिया प्रचलित है? यदि नहीं, तो क्या उक्त स्थानों पर कानून व्यवस्था, अपहरण एवं मवेशी चोरी पर अंकुश लगाये जाने के लिये यहाँ नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त स्थानों पर नवीन पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के औचित्य पर विभागीय दृष्टिकोण से अवगत करावें? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कौन-कौन से स्थान नवीन पुलिस चौकी खोले जाने के मापदण्ड/मानक के अनुरूप है? यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार पुलिस चौकी कब तक प्रारंभ कर दी जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। (ख) ग्राम झिरी, कैमई एवं बेहरदा (महादेवघाटी) में नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना के प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने से प्रस्ताव अमान्य किये गये है। नरवर रोड पर झिरना मंदिर के पास नवीन पुलिस चौकी का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रस्तावित पुलिस चौकी क्षेत्र में विगत 5 वर्षो में घटित भादवि अपराधों का वार्षिक औसत शासन द्वारा नवीन पुलिस चौकी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने से प्रस्ताव का औचित्य नहीं है। (घ) उत्तरांश 'क' तथा 'ख' के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गृह निर्माण संस्थाओं के विरूद्ध अनियमितता की शिकायतें

44. (क्र. 2994) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-2013-2014 में इंदौर जिले के विभिन्न थानों में गृह निर्माण संस्थाओं के विरूद्ध अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? थानेवार संख्यावार जानकरी उपलब्ध कराये? (ख) प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्राप्त शिकायतों में

से कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये? (घ) कितने व्यक्तियों को उपरोक्त प्रकरणों में जेल भेजा गया तथा आज उक्त प्रकरणों की स्थिति क्या है? नाम, संस्था सहित जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) थानेवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) 15 शिकायतों की जाँच पूर्ण की गई जिसमें से 04 शिकायतों में अपराध पंजीबद्ध हुये एवं 11 में अपराध होना नहीं पाया गया। शेष 06 शिकायतों की जाँच प्रक्रियाधीन है। (ग) पंजीबद्ध प्रकरण विवेचनाधीन है। (घ) थाना एरोड्रम के अपराध क्रमांक 352/13 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, भा.द.वि. गाँधीनगर गृह निर्माण संस्था में एक आरोपी नरेन्द्र बक्शी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी फूलचंद पाण्डेय एवं विक्रम सिंह की गिरफ्तारी पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। अपराध क्रमांक 415/14 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि गाँधीनगर गृह निर्माण संस्था आरोपी विजय चंद्रवत एवं फूलचंद पाण्डेय की गिरफ्तारी हो चुकी हैं। थाना आजाद नगर के अपराध क्रमांक 55/15 धारा 420 भा.द.वि. मयूर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित में अभी आरोपी मुश्ताक की गिरफ्तारी शेष है। थाना सराफा के अपराध क्रमांक 91/14 धारा 420, 406, 409, 120-बी इंदौर क्लाथ मार्केट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर में एक आरोपी सीताराम व्यास गिरफ्तार हो चुका है तथा एक आरोपी मदनलाल जैन फरार है।

परिशिष्ट – "अड़तीस"

इन्दौर जिले में पदस्थ पुलिस बल

45. (क्र. 2995) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के मान से कितने पुलिस बल की आवश्यकता है? श्रेणीवार जानकारी दी जावे? (ख) इन्दौर जिले में श्रेणीवार पदस्थ पुलिसबल की जानकारी उपलब्ध कराये? (ग) इन्दौर जिले में पुलिस बल की कमी पूर्ति के लिए शासन स्तर से क्या प्रयास किये जा रहे हैं और पुलिस बल की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) इन्दौर जिले में बी.पी.आर.एण्ड.डी द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार श्रेणीवार पुलिस बल की निम्नानुसार आवश्यकता हैः-

क्र.	श्रेणी	बी.पी.आर.एण्ड.डी के अनुसार आवश्यक बल	अतिरिक्त बल की आवश्यकता
1	प्रथम	07	00
2	द्वितीय	41	09
3	तृतीय	12972	8242

(ख)

क्र.	श्रेणी	पदस्थ बल	रिमार्क
1	प्रथम	07	उमनि/पुअ/अपुअ
2	द्वितीय	32	अपुअ/नपुअ/उपुअ/एसडीओपी
3	तृतीय	4730	आरक्षक से निरीक्षक स्तर

(ग) इकाई में प्र.आ. एवं स.उ.नि. के रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर चयन/पदोन्नति प्रकिया पूर्ण करके की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

इन्दौर जिले में उद्यानों, नर्सरियों को आवंटन

46. (क्र. 3062) श्री राजेश सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर जिले की नर्सरियों, उद्यानों व कृषकों को फलोद्यान हेतु वित्त वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक वर्षवार आवंटन बतावें? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? (ख) क्या बीज व सामग्री वितरण में विधायकों की भागीदारी (समक्ष) भी रखी गई अथवा नहीं? इससे नर्सरियों और उद्यान अधीक्षकों की मनमानी की शिकायतें प्राप्त हुई है क्या? (ग) वितरण में राशि का दुरूपयोग 2011-12 से 2014-15 के बीच हुआ है तो किस-किस कर्मचारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? 31.01.15 तक कार्यवाही की स्थिति बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। (ग) प्रश्नांश **'क'** एवं **'ख'** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट – "उनतालीस"

ग्राम ऊंचिया में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण

47. (क्र. 3091) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दतिया जिले की इंदरगढ़ तहसील के ग्राम ऊंचिया में आंगनवाड़ी भवन है या नहीं? यदि हाँ, तो उसकी विज्ञप्ति कब निकाली गई, कितने टेण्डर आये, कितनी राशि इस भवन के निर्माण में खर्च की गई, किस दिनाँक को इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, तथा किस दिनाँक को इसे विभाग को सौंपा गया, कौन इसकी निर्माण ऐजेंसी रही? नाम/पता सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे? (ख) क्या वर्तमान में उक्त भवन में आंगनवाड़ी संचालित हो रही है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे? (ग) क्या उक्त भवन इस योग्य है कि उसमें आंगनवाड़ी को चलाया जा सके? यदि नहीं, तो निर्माणकर्ता के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई और क्या उच्च स्तरीय जाँच कराई जावेगी, तथा संबंधित दोषी के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। टेण्डर नहीं किया गया बल्कि दिनाँक -11.01.2011 के द्वारा निर्माण ऐजेन्सी ग्राम पंचायत ऊंचिया को बनाया गया। 2.40 लाख की राशि खर्च की गई। इस भवन का कार्य दिनाँक 18.06.2013 को पूर्ण किया गया एवं विभाग को नवम्बर, 2014 को सौपा गया। (ख) जी हाँ। वर्तमान में उक्त भवन में आंगनवाड़ी संचालित हो रही है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्थानांतरण प्रक्रिया का पालन

48. (क्र. 3092) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा गृह विभाग में पदस्थ विभिन्न कैडर के अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु क्या निर्धारित प्रक्रिया है? विवरण प्रदाय किया जावे? (ख) दतिया जिले में क्या कंडिका (क) में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार ही अधिकारी/कर्मचारी के स्थानांतरण किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? 1 जनवरी 2013 से आज दिनाँक तक स्थानांतरित अधिकारी, कर्मचारियों की सूची प्रदान की जावे एवं उनके स्थानांतरण किये जाने का कारण भी अंकित किया जावे? (ग) जिन अधिकारी, कर्मचारियों के

स्थानांतरण तय समय सीमा में नहीं किये गये उनका विवरण कारण सहित उनके नाम एवं पद तथा पदस्थी स्थल सहित उपलब्ध कराया जावे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के निर्देशों के अंतर्गत। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक, दो, तीन एवं चार अनुसार**। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग, भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की गई शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसानों की आत्महत्या के प्रकरण

49. (क्र. 3103) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कितने किसानों ने आत्महत्या की? (ख) प्रशासन ने पीड़ित किसान के परिवार को कितनी राहत राशि प्रदान की? (ग) क्या किसानों की आत्महत्या के लिये क्या किसी अधिकारी या किसी अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है? (घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण देवे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ख) जानकारी निरंक है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

परिशिष्ट - "चालीस"

राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलेट प्रोजेक्ट के संबंध में

50. (क्र. 3131) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पिपलौदा विकासखण्ड में भूजल स्तर को ऊपर लाने एवं नागरिकों की स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु देश के 14 एवं प्रदेश के दो विकासखंडों का चयन केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अतिदोहित जल क्षेत्र होने से किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या रतलाम जिला अंतर्गत पिपलौदा विकासखंड को इस योजना में सम्मिलित कर कार्य किया जा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र/प्रदेश शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं क्षेत्र के अतिदोहन के कारण खतरनाक डार्क एरिया मे पहुंच जाने जैसी गंभीर स्थितियों के बावजूद क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जा रही है? (घ) योजना के क्षेत्र में सर्वे दिनाँक से लेकर योजना की स्वीकृति दिनाँक तक एवं प्रश्न दिनाँक तक किये गये समस्त विभिन्न विभागीय कार्यों की वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर अवगत करायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

जावरा नगर स्थित धार्मिक/सांस्कृतिक भूमियां

51. (क्र. 3132) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर अंतर्गत गीता भवन ट्रस्ट एवं सीताराम बाग के नाम से धार्मिक कार्यों एवं सांस्कृतिक कार्यों को किये जाने हेतु काफी पुराने स्थान होकर स्थापित हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त स्थानों पर विगत कई वर्षों से अनेक धार्मिक आयोजन होकर सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यों में आमजन की आस्थाएं जुड़ी होकर अनेक कार्य किये जाते हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त दोनों स्थान

से संलग्न काफी भूमियां भी इनके अधीन होकर उन भूमियों पर विभिन्न कार्यक्रम किये जाते हैं? (घ) क्या प्रश्न दिनाँक तक शासन/विभाग तथा संस्थाओं की भूमियां सुरक्षित हैं अथवा इन भूमियों पर अतिक्रमण, कूटरचित तथ्यों के माध्यम से कब्जे किये जा रहे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मृत्यु की जाँच

52. (क्र. 3135) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सुमित साहू आत्मज शरमनलाल साहू निवासी छुई खदान, टिफी टोला, गढ़ा तह. व जिला जबलपुर की मृत्यु दिनाँक 17.06.2014 को ग्राम पिपरिया थाना निवास, जिला मंडला में हुई थी? (ख) पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ज्ञात हुआ है या नहीं? (ग) क्या मृतक परिवार द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। दिनाँक 18.06.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना निवास जिला मंडला में हुई थी। (ख) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मौत के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी गई। विसरा जाँच रिपोर्ट में रसायनिक कीटनाशक विष होना बताया गया है। (ग) जी हाँ। डॉक्टर की सूचना पर थाना निवास पर मर्ग क्रमांक 17/14 धारा 174 जा.फौ. का दिनाँक 18.06.2014 को कायम कर जाँच में लिया गया। वर्तमान में मर्ग जाँच जारी है।

उपयंत्री के विरूद्ध कार्यवाही

53. (क्र. 3150) श्री तरूण भनोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल खण्ड में पदस्थ उपयंत्री मोहनलाल सोनी द्वारा कार्यालय की सामग्री एवं अन्य चोरी कर कबाड़ी को विक्रय करने की शिकायत चौकीदार द्वारा दिनाँक 23.12.14 को करने पर पुलिस थाना कुठला में अपराध क्रमांक 428/14 भा.द.वि. की धारा 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है? (ख) प्रश्नांक (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रकरण की विवेचना कर प्रश्न दिनाँक तक माननीय न्यायालय में चालान पेश करते हुए उपंयत्री को गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भिजवाया गया? पूर्ण जानकारी दी जावें? (ग) प्रश्नांक (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में विवचेना/जाँच कार्य प्रभावित न हो तो विभागीय स्तर पर संबंधित उपयंत्री को विभाग द्वारा निलंबित/स्थानांतरण अभी तक क्यों नहीं किया गया और कब तक कर दिया जायेगा समय बतायें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण विवेचना में है। विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।(ग) आरोपी की विभागीय जाँच की जा रही है।

भू-राजस्व संहिता में कोटवार पद है या जाति

54. (क्र. 3166) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भू राजस्व संहिता 1959 धारा 230 में कोटवार को पद माना गया है की जाति? (ख) राजस्व अधिनियम 1959 धारा 230 में क्या कोटवार की उत्पत्ति तथा परिभाषा दी गई है, तो कोटवार की उत्पत्ति एवं परिभाषा लिखित में बतावें? (ग) डबल बेंच उच्च न्यायालय हीरा बनाम स्टेट के राजस्व प्रकरण आर.एन 307 सन् 1965 के निर्णय में कोटवार को क्या मान किया है जाति या पद? क्या कोटवार पद

एवं जाति, राजस्व विभाग में दोनों है तो कैसे? (घ) धारा 230 के तहत कोटवार की सेवा शर्तें कौन-कौन सी है? क्या कोटवार में संविधान का अनुच्छेद 311 लागू होता है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सभापति एवं सदस्य की जानकारी</u>

55. (क्र. 3177) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बाल कल्याण समिति अध्यक्ष/सभापति एवं सदस्य की नियुक्ति हेतु क्या अर्हताएं/अनर्हताएं रखी गई है? (ख) बाल कल्याण समिति जिला सागर में नियुक्त अध्यक्ष/सभापति एवं सदस्य के नाम, पता एवं अर्हताए/अनर्हताएं की जानकारी देवें? (ग) क्या उक्त पदों पर नियुक्त व्यक्ति बच्चों/बाल से संबंधित संस्था का संचालन करते हैं एवं क्या विभाग को उक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) नियुक्ति की अर्हताए / अनर्हताएं है:- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, 2. सामाजिक कार्य, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, समाज शास्त्र या गृह विज्ञान के विशेष ज्ञान पृष्ठभूमि वाला प्रतिष्ठित, शिक्षित नागरिक, 3. कोई शिक्षक या चिकित्सक अथवा वरिष्ठ सेवानिवृत्त लोकसेवक, बाल कल्याण से सम्बंधित कार्य में लगा हो, या 4. कोई ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, जो बाल अधिकारों के कार्य में प्रत्यक्ष लगा हो। अनर्हताएं निम्नानुसार है 5. कोई विधि व्यवसायी वकील नियुक्त नहीं किया जाएगा। (ख) 1. श्री दिनेश नामदेव (अध्यक्ष), एम.ए., नन्द किशोर होटल के पास लक्ष्मी भवन शनिचरी, सागर, 2. श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (सदस्य), एम.ए. (समाजशास्त्र), पता- मरघटा श्री राम कॉलोनी गोपालगंज, सागर, 3. श्री मनीष शर्मा (सदस्य), एम. ए. (समाजशास्त्र), सामाजिक कार्यकर्ता, पता-जे- 8 पद्माकर नगर मकरोनिया, सागर, 4. श्रीमती मंजूमाला सिंह (सदस्य), एम.ए. (हिन्दी), पता- यादव कालोनी बादल बिल्डिंग के पास, सागर, 5. श्री साजू देव्यास, (सदस्य) एम. ए. (अंग्रेजी एवं समाज शास्त्र) पता – मानव विकास सेवा संस्था, पटकुई रोड, सागर, (ग) जी हाँ। श्री साजू देव्यास, सदस्य बाल कल्याण समिति, संस्था मानव सेवा संघ के डायरेक्टर है। प्राप्त शिकायतों की जाँच मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत सागर द्वारा की जा रही है।

<u>शा. विद्यालय बरवासिन में हैण्डपम्प खनन</u>

56. (क्र. 3190) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि सुमावली विधान सभा क्षेत्र मुरैना के ग्राम-बरवासिन पंचायत खाडौली के शा. विद्यालय पर हैण्डपम्प खनन करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पैसा पी.एच.ई. को भेजा जा चुका है? कब दिया गया दिनाँक सहित पूर्ण जानकारी दी जावें? (ख) क्या भी सही है शिक्षा विभाग द्वारा राशि जमा करने के बावजूद खनन नहीं होने का क्या कारण है? (ग) क्या यह भी सही है कि सभी शासकीय विद्यालयों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प खनन न होने से? ऐसी स्थिति में विद्यालय के छात्र पानी पीने अध्यापन समय में अपने-अपने घरों जाते हैं? (घ) विभाग उक्त विद्यालय में हैण्डपम्प कब तक खनन करायेगा समय-सीमा बताई जावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) शिक्षा विभाग द्वारा राशि जमा नहीं की गई।अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। ग्राम

पंचायत खाण्डोली के 09 शासकीय विद्यालयों में से 08 में पेयजल व्यवस्था हैं। केवल एक प्राथमिक विद्यालय ग्राम बरवासिन में हैण्ड पम्प नहीं लगा है। छात्र विद्यालय के नजदीक अन्य हैण्ड पम्प से पेयजल प्राप्त करते हैं। (घ) इस वित्तीय वर्ष में हैण्ड पम्प खनन कराया जावेगा।

भोपाल पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण

57. (क्र. 3273) श्री रामसिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि 01.04.2012 से 31.03.2014 तक की अवधि के मध्य कभी भी भोपाल पुलिस द्वारा संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी नामक व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालयीन आदेश पर भोपाल के कारागार में भेजा था? (ख) यदि हाँ, तो भोपाल के किस थाने में दर्ज किस प्रकरण एवं अपराध में किन धाराओं के अंतर्गत कारागार भेजा गया था? (ग) उक्त पंजीबद्ध प्रकरण/अपराध की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या भोपाल पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश कर दिया है? यदि हाँ, तो कब? अथवा क्या प्रकरण में विवेचना जारी है? यदि हाँ, तो प्रकरण में विवेचना कब तक पूर्ण होगी? (घ) क्या न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपना फैसला सुना दिया है? यदि हाँ, तो न्यायालय द्वारा क्या फैसला दिया गया?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) थाना एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल के अपराध क्रमांक 06/13 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी भा.द.वि. एवं 3 घ (1-2) -4 म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के अन्तर्गत कारागार भेजा गया है। (ग) प्रकरण की विवेचना धारा 173 (8) द.प्र.सं. में जारी है। प्रकरण में 04 आरोपियों के विरूद्ध दिनाँक 06.11.2013 में चालान क्रमांक 08/13 पेश किया गया, जिसका आर.टी. न. 10032/13 है एवं दिनाँक 28.10.14 को 109 आरोपियों के विरूद्ध चालान क्रमांक 8 (अ) /14 पेश किया गया है। समय सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केन्द्रीय/जिला कारागार भोपाल में हवालाती बंदी की जानकारी

58. (क्र. 3274) श्री रामसिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि 01/04/2012 से 31/03/2014 तक की अवधि के मध्य कभी भी जिला/केन्द्रीय कारागार भोपाल में संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी को हवालाती बंदी के तहत बंद किया गया था? यदि हाँ, तो किस प्रकरण/अपराध में कब से कब तक बंद किया गया था? कारागार भेजने के न्यायालय आदेश की जानकारी दें? (ख) क्या यह सही है कि उक्त हवालाती बंदी को भोपाल के जिला/केन्द्रीय कारागार से जमानत पर रिहा किया गया था? यदि हाँ, तो जमानत आदेश की जानकारी दें कि कारागार से कब रिहा किया गया था?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी, आयु-23 वर्ष, जाति-जोशी, निवासी-पुलिस थाने के पास, ए.बी. रोड, बदरवास, थाना बदरवास, जिला शिवपुरी को थाना-एसटीएफ, भोपाल के अपराध क्रमांक-06/13, धारा-420, 120बी, 465, 468, 471 भादवि 3 (घ) 1, 2/4 मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल द्वारा जारी वारंट दिनाँक 14.12.2013 के तहत दिनाँक 14.12.2013 को जेल में प्रविष्ट किया गया था और दिनाँक 19.12.2013 तक जेल में परिरूद्ध रहा। (ख) जी हाँ। हवालाती बंदी संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी को माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल के रिहाई आदेश दिनाँक 19.12.2013 के

पालन में दिनाँक 19.12.2013 को जमानत पर केन्द्रीय जेल भोपाल से रिहा किया गया, रिहाई आदेश **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "बयालीस"

मुरैना जिले फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण

59. (क्र. 3288) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि मुरैना जिले में मत्स्य पालन को विकसित करने हेतु फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? यदि हाँ, तो कब से वर्ष 2013 एवं 2014 तक की जानकारी दी जावे? (ख) जिले में कितने मत्स्य ठेकेदार, सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराया गया? उनके नाम, मत्स्य सहकारी समितियों के नाम, राशि सहित जानकारी दी जावे? (ग) उक्त अवधि में मत्स्य पालन हेतु कब-कब प्रशिक्षण दिया? प्रशिक्षण में कितने लोग सम्मिलित रहे? यह प्रशिक्षण किस स्थान पर हुआ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। वर्ष 2009-10 से योजना प्रारंभ है। वर्ष 2012-13 में 96 मत्स्य पालकों को राशि 5.20 लाख एवं वर्ष 2013-14 में 93 मत्स्य पालकों को रू. 5.58 लाख का ऋण राशि क्रेडिट कार्ड बनाये गये। **''जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है।''** (ख) जिले में किसी मत्स्य ठेकेदार को ऋण नहीं दिया गया केवल एक सहकारी समिति किशनपुर को ऋण उपलब्ध कराया गया। उनके नाम, मत्स्य सहकारी संस्था का नाम तथा राशि की **''जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।''** (ग) प्रश्नांश अवधि में मत्स्य पालन प्रशिक्षण की **''जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है।''

नल जल योजना की स्वीकृति

60. (क्र. 3303) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि आष्टा विधान सभा क्षेत्र में नल जल योजना की स्वीकृति दी थी, परन्तु दो वर्ष में भी योजना पूरी नहीं हुई? (ख) यदि हाँ, तो कब तक नल जल योजना पूर्ण होकर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी जायेगी समय बताये? (ग) क्या यह सही है कि नल जल योजना के घटिया निर्माण होने की अनेकों शिकायते विभाग को की है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है? (घ) क्या शासन अपने स्तर से इन नल जल योजनाओं की जाँच करवायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ, मात्र 01 योजना मालीखेड़ा बजाप्त पूर्ण नहीं हो सकी है। (ख) मार्च 2016। (ग) जी नहीं (घ) उत्तरांश-''ग'' के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण

61. (क्र. 3304) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आष्टा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विगत पाँच वर्ष में कौन-कौन सी योजना में किस-किस वर्ष में आंगनवाड़ी भवन निर्माणों की स्वीकृति दी गई? (ख) उक्त स्वीकृति के फल स्वरूप अभी तक कितने आंगनवाड़ी भवन पूर्ण निर्मित होकर विभाग को हस्तांतरित हो गये है तथा कितने अपूर्ण है एवं कब से? (ग) क्या यह सही है कि अभी तक अनेकों भवन पूर्ण नहीं हुये हैं, इसका क्या कारण है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (घ) क्या शासन उच्च स्तर पर इसकी जाँच करवायेगा तथा कब तक स्वीकृत भवनों में आंगनवाडी केंद्र संचालित हो जायेंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) एवं (ख) आष्टा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विगत पांच वर्ष मे विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों एवं उनके निर्माण की स्थिति **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** हैं। (ग) आष्टा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 94 आंगनवाड़ी भवन निर्माणधीन हैं। कुछ भवनों में राशि कम पडने (शेडयूल रेट बढ़ने से), भूमि अनपलब्धता तथा स्थल चयन एवं विभिन्न चुनावों के आचार संहिता लागू रहने के कारण विलम्ब हुआ है। शेष का प्रश्न नहीं। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

अनुदान वितरण के मापदण्ड

62. (क्र. 3318) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा टपक सिंचाई योजना, टिशुकल्चर, फल व औषधी हेतु अनुदान दिया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो धार जिले में विगत 3 वर्षों में उपरोक्त मदों में कितना-कितना अनुदान वितरित किया गया, अनुदान वितरण के क्या मापदण्ड है, तथा कितने कृषकों के प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितनों को वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार अनुदान दिया गया? (ग) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के कृषकों की संख्या एवं रकबा कम होने का कारण बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) वर्षवार अनुदान वितरण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। मापदण्ड कि **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) विधानसभा क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते है। विभाग द्वारा जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते है और सूक्ष्म सिंचाई समिति स्थानीय परिस्थितियों को संज्ञान में लेकर विकासखंडवार लक्ष्य नियत करती है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग में उद्यानिकी सब्सिड़ी

63. (क्र. 3338) श्री मुकेश नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्य उद्यानिकी मिशन द्वारा किसानों को किन मदों में, किन कार्यों के लिए अनुदान सहायता (सब्सिडी) दी जाती है? (ख) यदि किसान अपने द्वारा उत्पादित फल, सब्जी, फूल और अन्य कृषि उत्पादों के संरक्षित भण्डार हेतु राज्य उद्यानिकी मिशन के मार्गदर्शन व अनुदान प्राप्त कर शीतगृह निर्मित करता है, तो उक्त गतिविधि कृषि/ उद्यानिकी कर्म की श्रेणी मानी जायेगी अथवा नहीं, कारण सहित जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) मानी जायेगी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा निर्देश के संगत होने के कारण।

मुआवजा वितरण में विलंब

64. (क्र. 3343) श्री अनिल फिरोजिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ महापर्व 2016 के आयोजन हेतु अब तक कितनी भूमि अधिग्रहित की गई? (ख) क्या अधिग्रहित भूमि के एवज में मुआवजा राशि दिये जाने का प्रावधान है? (ग) अब तक किन-किन भू-स्वामियों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं, तो अब तक मुआवजा वितरण न

करने का क्या कारण है? (घ) क्या मुआवजा वितरण के विलंब अवधि का ब्याज भू-स्वामियों को दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कितना एवं अतिरिक्त भुगतान में कितनी राशि व्यय होगी? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कुल 2550.495 है. निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी हाँ। (ग) किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है। अस्थाई अर्जन हो जाने पर मुआवजे का प्रावधान है। (घ) अभी तक अस्थाई अधिग्रहण नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता।

पशुपालन के लिये कृषकों को अनुदान

65. (क्र. 3362) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या देवास जिले में पशुपालन गाय पालने के लिए शासन द्वारा कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो योजना क्या है? (ख) इस योजना के अन्तर्गत कृषक को अनुदान की कोई सीमा निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो क्या? (ग) विगत तीन वर्षों में इस योजनान्तर्गत विकासखण्ड एवं ग्रामवार कितने व्यक्तियों को लाभ दिया गया है? वर्षवार सूची उपलब्ध कराएं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) जी हाँ। सामान्य वर्ग हेतु इकाई लागत का 25 प्रतिशत अनुदान है तथा अ.जा./अ.ज.जा./ हेतु इकाई लागत का 33 प्रतिशत अनुदान (आचार्य विद्धासागर योजनांतर्गत 33.33प्रतिशत) है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है।

दुध में हो रही मिलावट व कीमतों में कमी

66. (क्र. 3368) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विगत कुछ माह में दुध के भावों में कमी आयी है यदि आयी है तो कितनी? (ख) क्या कारण है कि दुध के भावों में कमी आने पर भी सोनकच्छ नगर सहित कई क्षेत्रों में दुध व्यापारियों द्वारा दुध के दामों में कमी नहीं की गई है? (ग) क्या खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा नगर में दुध के दामों में कमी करने हेतु प्रयास किये गये है? यदि नहीं किये गये है तो क्यों नहीं? (घ) दुध व्यापारियों द्वारा वर्तमान में दुध उत्पादक किसानों से किस भाव में खरीदा जाता है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) दुग्ध संघों द्वारा माह जून 2014 से फरवरी2015 तक दुग्ध सहकारी समितियों से क्रय किये जाने वाले दुध में 40रू. से लेकर 70रू. प्रति फैट तक दुध क्रय दरों में कमी की गई है। (ख) सोनकच्छ नगर में दुध व्यापारियों द्वारा परम्परागत असंगठित विपणन के माध्यम से दुध का विक्रय किया जाता है। (ग) खाद्ध विभाग द्वारा दुध के दामों का नियंत्रण करने का कार्य नहीं किया जाता है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में भोपाल, इंदौर, व उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादक किसानों से 500रू. प्रति कि.ग्रा.फैट, ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा 470रू. प्रति कि.ग्रा.फैट तथा जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा 460रू. प्रति कि.ग्रा.फैट की दर से दुध क्रय किया जा रहा है।

पट्टे की जमीनों के नामांतरण

67. (क्र. 3369) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा प्रदत्त पट्टें की जमीन को हितग्राही बेच सकता है या नहीं? क्या विगत पांच वर्षों में सोनकच्छ तहसील अंतर्गत किसी ने पट्टे की जमीन को बेचा है? यदि बेचा है, तो क्या क्रेता के नाम पर नामांतरण हुआ है? यदि हुआ है तो किस दिनाँक व किस प्रकरण क्रमांक से हुआ है? खसरा नंबर सहित जानकारी देवें? (ख) पट्टे की जमीन के नामांतरण के समय तहसीलदार कौन था, तथा उस हल्के का पटवारी कौन था? उनके नाम बतावें? क्यों दोषियों पर कार्यवाही हुई या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जेलों में कैदियों की अधिक संख्या</u>

68. (क्र. 3376) डॉ. मोहन यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में किन-किन स्थानों पर जेल/उपजेल हैं? क्या उनमें से कोई जेल/उपजेल बंद हैं यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जेलों/उपजेलों को कितने-कितने कैदियों की संख्या को ध्यान में रखकर बनाया गया हैं? जेल/उपजेल वार स्थान एवं कैदियों की संख्या सहित जानकारी प्रदान करें? (ग) वर्तमान में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जेलों में कितने-कितने कैदी सजा काट रहें हैं, जेल/उपजेल वार स्थान एवं कैदियों की संख्या की जानकारी प्रदान करें? (घ) क्या यह सही हैं कि वर्तमान में संख्या के मान से अधिक कैदी जेल/उपजेल में बंद हैं जो कि मानवाधिकार एवं विधान के विपरीत हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी हैं और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) उज्जैन शहर में केन्द्रीय जेल उज्जैन, तहसील तराना में उप जेल तराना, तहसील महिदपुर में उप जेल महिदपुर, तहसील खाचरौद में उप जेल खाचरौद है। तहसील बड़नगर में 50 बंदी क्षमता के उप जेल भवन का निर्माण हुआ है, जो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें एप्रोच रोड एवं पेयजल की व्यवस्था नहीं है, अन्य आवश्यक निर्माण कार्य अपूर्ण है, साथ ही इस जेल के लिए आवश्यक अमला भी स्वीकृत नहीं हुआ है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -क अनुसार** है। **(ग)** वर्तमान में प्रश्नांश-''क'' के उत्तर में उल्लेखित जेलों में न्यायालय द्वारा दी गई सजा काट रहे बंदियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -ख अनुसार** है। **(घ)** किसी भी उप जेल में क्षमता से अधिक बंदी बंद नहीं है। केन्द्रीय जेल उज्जैन में 1, 650 की बंदी आवास क्षमता के विरूद्ध 1, 761 दण्डित बंदी एवं 437 विचाराधीन बंदी कुल 2, 188 बंदी परिरूद्ध है, जिन्हें माननीय न्यायालयों के आदेश के पालन में जेल में परिरूद्ध रखा जा रहा है। बंदी संख्या में वृद्धि होने से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। अत: दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "पैंतालीस"</u>

<u>तहसीलदार/नायब तहसीलदार की ई.ओ.डब्लू/लोकायुक्त जाँच</u>

69. (क्र. 3392) श्री हर्ष यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर एवं दमोह जिले में पदस्थ कितने तहसीलदार, नायब तहसीलदार के खिलाफ ई.ओ.डब्लू एवं लोकायुक्त में जाँच प्रचलित है नाम, पद सहित बतायें? (ख) वर्ष 2010-11 से 14-15 तक कितने

प्रश्नांश (क) वर्णित अधिकारियों के खिलाफ ई.ओ.डब्लू एवं लोकायुक्त में मामला पंजीबद्ध किया गया है, तथा न्यायालय में चालान पेश करने की अनुमति शासन से मांगी है? नाम, पद, अनुमति मांगने का दिनाँक, वर्ष तथा किस विभाग/अधिकारी से अनुमति मांगी है बतायें? (ग) शासन/विभाग ने अनुमति क्यों नहीं दी? जाँच एजेंसी द्वारा दोषी पाये गये उक्त शासकीय सेवकों को फील्ड से क्यों नहीं हटाया गया है? (घ) क्या यह सही है कि नरसिंहपुर जिले में पदस्थ तहसीलदार को गृह जिला नरसिंहपुर में पदस्थ रखने के लिये उनका मूल गृह जिला भी बदल दिया गया है? यदि हाँ, तो नाम, पद बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसानों के निजी जल स्त्रोत अभिलेखों में दर्ज

70. (क्र. 3393) श्री हर्ष यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिला की देवरी, राहतगढ़, जैसी नगर एवं सागर तहसील के सभी ग्राम के किसानों के स्वयं के जलस्त्रोत कुंआ, नलकूप, राजस्व अभिलेख में दर्ज किये गये है? यदि हाँ, तो पटवारी हल्का, ग्रामवार, कूप-नलकूप की संख्या बतायें? (ख) क्या अप्रैल 2014 की स्थिति में उक्त तहसीलों के किसानों के कूप नलकूप राजस्व अभिलेखों में पूरे दर्ज नहीं किये गये है? यदि हाँ, तो किस सक्षम अधिकारी ने मौका पर सत्यापन कर प्रतिवेदित किया है? नाम पद बतायें? (ग) कब तक शतप्रतिशत कूप-नलकूप किसानों के अभिलेख एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिये जावेंगे? (घ) शतप्रतिशत निजी जल स्त्रोत किसानों के एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं करने के लिये कौन दोषी है? क्या शासन इन्हें चिन्हित कर कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हैंडपंप संचारण/संधारण का कार्य ठेके पर देना

71. (क्र. 3441) श्री गिरीश भंडारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा म.प्र. के कुछ जिलों में हैण्डपंप संचारण संधारण कार्य निविदा निकाल कर ठेके पर दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो ठेके के माध्यम से जो हैण्डपंप संचारण संधारण कार्य दिया गया, उस ठेकेदार के श्रमिक प्रशिक्षित है, या नहीं? क्या हैण्डपंप संचारण संधारण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों से कराया जाना आवश्यक है? जानकारी दें? ठेकेदार को दिया जाने वाले भुगतान किस मद से दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार यदि हैण्डपंप संचारण संधारण का कार्य ठेके पर दिया जाता है तो विभागीय संविदा/दैनिक वेतन हैण्डपंप मेकेनिक व हेल्पर व नियमित तकनीकी कर्मचारियों की क्या भूमिका रहेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। प्रशिक्षित हैं। जी हाँ। हैण्डपंपों के संचालन/संधारण मद से। (ख) जिन विकासखण्डों में पर्याप्त विभागीय अमला उपलब्ध है, उनमें हैण्डपंपों का संधारण विभागीय अमले से किया जावेगा।

भूमि विक्रेताओं द्वारा भूमि का विक्रय

72. (क्र. 3490) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिला की तहसील मझौली अन्तर्गत पटवारी हल्का बड़काडोल नम्बर-13 के ग्राम सेमरिहा में

(पुरानी) आराजी नम्बर 226 रकबा 057, आराजी नं. 229 रकबा 0287, आराजी नं. 233 रकबा 283 कुल रकबा 0627 एकड़ भूमि विक्रेताओं द्वारा कब और किस व्यक्ति को बिक्री की गई है? (ख) क्या उक्त भूमियों की रजिस्ट्री क्रेता द्वारा कब करवाई गई है? यदि हाँ, तो विक्रेताओं/साक्षियों के नाम/पते सहित जानकारी दें? (ग) क्या शासन/प्रशासन द्वारा खसरा रोस्टर अवधि विनष्ट करने का आदेश जारी किया गया? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराये? उक्त भूमि के साथ-साथ अन्य भूमि भी बिक्री की गई है? यदि हाँ, तो भूमि नम्बर एवं रकबा सहित जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जिला भिण्ड में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने बाबत्</u>

73. (क्र. 3504) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अन्तर्गत कहाँ-कहाँ पर कितना यातायात बल स्वीकृत है? कौन-कौन कहाँ पर किस पद पर कार्यरत हैं? कितने पद रिक्त है? रिक्त होने के क्या कारण है? यातायात बल के लिए किस स्थान पर चौकी स्थापित की है? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी दें? (ख) नगर पालिका भिण्ड सीमा के अन्तर्गत यातायात बल के रूप में पुलिस लाइन भिण्ड या थानों में पदस्थ बल से कार्य लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? यातायात व्यवस्था खराब क्यों है इसके लिए कौन उत्तरदायी है जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अन्तर्गत कितने हाथ ठेलों को मार्ग कारोबार या व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई? यदि अनुमति नहीं दी गई तो मार्ग पर कारोबार किस अनुज्ञप्ति के आधार पर कर रहे हैं? यातायात पुलिस बल ने किस दिनाँक को क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या भिण्ड जिले में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ न होने के कारण प्रतिदिन दुर्घटनायें हो रही है? यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2012 से प्रश्नांश दिनाँक तक कौन-कौन सी दुर्घटनायें हुई? माहवार जानकारी दें? नगर पालिका भिण्ड क्षेत्र में जाम की स्थिति का क्या कारण है? क्या अनियंत्रित यातायात व्यवस्था? यदि हाँ, तो कब तक निदान हो जायेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) भिण्ड जिले में 01-सूबेदार, 02-उनि, 03-सउनि, 06-प्र.आ., 17-आर0, 01-आर0 चालक का यातायात बल स्वीकृत है। वर्तमान में 02 सउनि, 03-प्र.आर., 04-आर0 थाना यातायात मे कार्यरत है। भिण्ड जिले में 01-सूबेदार, 02-उनि, 01-सउनि, 03-प्र.आर., 13-आर0 के पद यातायात बल के रिक्त है। आरक्षक (चालक) के स्थान पर सउनि (चालक) कार्यरत है। जिला भिण्ड में 16-सउनि, 58-प्रआर., एवं 32-आर. के पद रिक्त है तथा जिले में 121-नवआरक्षक पुलिस लाईन में अप्रशिक्षित एवं 22-नव आरक्षक वर्तमान में पीटीएस इन्दौर में प्रशिक्षणरत् है। इस कारण से जिले की यातायात शाखा सिटी कोतवाली परिसर में स्थित भवन में स्थापित है। (ख) नगर पालिका भिण्ड की सीमा के अंतर्गत यातायात व्यवस्था के लिए समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस लाईन भिण्ड से अतिरिक्त बल एवं होमगार्ड का बल भी यातायात व्यवस्था हेतु लगाया जाता है। यातायात व्यवस्था पुलिस बल की कमी के कारण खराब नहीं है, बल्कि भिण्ड शहर में वाहन पार्किंग जोन स्थापित न होना व शहर में ऑटो एवं टैक्सी स्टैण्ड घोषित न होना एवं आवागमन के लिए वन-वे मार्ग घोषित न होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। उक्त सभी कार्य नगर पालिका भिण्ड द्वारा किया जाना है। (ग) शहर के ठेला कारोबारियों के लिए हॉकर्स जोन का निर्माण नगर पालिका द्वारा किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत है। पुलिस द्वारा ठेला वालों के विरूद्ध धारा-34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2014 में 161 चालान किये गये जिसमें रूपये 8050 का जुर्माना न्यायालय

द्‍वारा किया गया है। (घ) भिण्ड जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चेतावनी बोर्ड लगाये गये है एवं दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने हेतु प्रचार सामग्री वितरण कर लोगो को जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट न लगाने वालो के विरूद्‍ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। भिण्ड नगर पालिका क्षेत्र में शहर के दोनो ओर वन-वे मार्ग निर्मित न होने से दिन के समय सभी मार्गो पर यातायात अधिक रहता है। सड़क दुर्घटनाओं की वर्ष 2012, 2013, 2014 एवं 2015 प्रश्न दिनाँक की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

फल विकास कार्यक्रम की उपेक्षा

74. (क्र. 3505) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले के अन्तर्गत फलदार फसले आम, आवला, संतरा नींबू, अमरूद को बढ़ावा देने हेतु कितने हेक्टेयर में पैदावार की जा रही है? कितने कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया गया है? विगत पांच वर्षो की संख्या दें? (ख) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत कितने कृषको को बैंक ऋण कितना उपलब्ध करवाया गया है? विगत पांच वर्षो की जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) की फसलों के साथ-साथ पपीता और केला पर बैंक द्‍वारा ऋण दिया गया? यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षो में किस-किस बैंक द्‍वारा कितने कृषक को ऋण उपलब्ध करवाया गया जानकारी दें? (घ) भिण्ड जिले के अन्तर्गत उन्नत/संकरी सब्जी एवं मसाला फसल के लिए अनुदान देने के लिए क्या मापदण्ड है, तथा कंदवाली फसल (आलू, अरबी, लहसुन, अदरक) के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं? भिण्ड में विगत पांच वर्षो में कितने कृषको को लाभ प्राप्त हुआ है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : क) भिंड जिले में आम 41 हैक्टर, आंवला 131 हैक्टर, नींबू 110 हैक्टर तथा अमरूद 130 हैक्टर क्षेत्र में आच्छादित है। जिले में संतरा नहीं होता है। विगत पांच वर्षो में 1506 कृषको को लाभान्वित किया गया है। (ख) निरंक। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) मापदण्ड **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में योजना संचालित नहीं थी। विगत तीन वर्षो में 249 कृषकों को लाभ प्राप्त हुआ है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

नल-जल योजनाएं प्रारंभ की जाना

75. (क्र. 3513) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में नल जल योजना कब से प्रारंभ की गई? क्या उक्त योजना अभी भी चालू है? यदि हाँ, तो अनूपपुर जिले में कहाँ-कहाँ नल जल योजना प्रारंभ है? ग्रामीण क्षेत्र की अलग-अलग सूची प्रस्तुत करें? (ख) जिले में कितनी नल जल योजनायें वर्तमान में चालू हैं तथा कितनी बंद पड़ी हैं, जो नल जल योजनायें बंद पड़ी हैं क्या शासन उन्हें चालू कराने का प्रयास करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) ग्रामीण क्षेत्र में जिन स्थानों पर नल जल योजनायें प्रारंभ की थीं उनमें कहाँ-कहाँ बंद पड़ी हुई हैं, बंद क्यों पड़ी हैं कारण सहित स्पष्ट करें, तथा उनको प्रारंभ क्यों नहीं कराया गया? इस संबंध में शासन द्‍वारा किसी एजेंसी की जबावदेही सुनिश्चित की गई है? यदि हाँ, तो किसकी तथा उसके विरूद्‍ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) बदं नल जल योजनायें कब तक प्रारंभ करा दी जायेंगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभाग की स्थापना से ही नलजल योजना क्रियान्वयन के कार्य किये जा रहे हैं। जी हाँ, शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

के प्रपत्र-'1' **अनुसार**। (ख) 133 चालू व 26 बंद हैं। स्रोत सूखने से बंद योजनाओं को विभाग द्वारा चालू किया जायेगा। शेष अन्य कारणों से बंद योजनाओं को पंचायत द्वारा चालू किया जाना है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार**। कोई भी विभागीय अधिकारी दोषी नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश-'ख' के अनुसार।

<u>अनूपपुर जिले में नलजल योजनाओं का निर्माण</u>

76. (क्र. 3518) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनाँक तक अलग-अलग वित्तीय वर्षों में अनूपपुर जिले में किन-किन नई नलजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) 1 अप्रैल 2012 से स्वीकृत किन-किन नलजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, तथा किन-किन योजनाओं का निर्माण कार्य किन कारणों से अधूरा है अथवा प्रारंभ ही नहीं हुआ है? (ग) अनूपपुर जिले में कितनी नई नलजल योजनायें स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लंबित है? योजनाओं की पूर्ण जानकारी दें तथा इन योजनाओं को कब तक पूर्ण किया जायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ग) कोई भी योजना स्वीकृति हेतु लंबित नहीं हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>अनूपपुर जिला अंतर्गत चरनोई भूमि</u>

77. (क्र. 3519) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने ग्रामों में कुल कितने हेक्टेयर चरनोई भूमि दर्ज है? उसमें से कितने ग्रामों की कितनी भूमि पर आबादी/बसाहट हो गई है? (ख) उपरोक्त में से कहाँ-कहाँ पर कितनी भूमि को आबादी भूमि घोषित कर दिया गया है एवं कितनी में कार्यवाही प्रचलन में है? (ग) क्या उपरोक्त बसाहट की भूमि पर शासकीय योजना क्रियांवित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर उपरोक्त समस्त आबादी की बसाहटों का एक साथ सर्वेक्षण कर आबादी क्षेत्र घोषित किया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कुल 305 ग्रामों में कुल 6282.377 है. इनमें से 08 ग्रामों की 1.055 है. भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण है। (ख) निरंक (ग) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

<u>शिवपुरी जिले में धर्मान्तरण के प्रकरणों पर कार्यवाही</u>

78. (क्र. 3561) श्री प्रहलाद भारती : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिलें में धर्मान्तरण के संबंध में शिकायतें जिला पुलिस को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो ऐसे मामलों का पृथक-पृथक पूर्ण विवरण दें? (ख) क्या इन मामलों की जाँच पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिवपुरी द्वारा कराई गयी है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या इन मामलों की जाँच पूर्ण कर ली गयी है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदनों का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करावें? (घ) क्या जाँच में दोषी पाए गए व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) विवरण **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ख) जी हाँ।

प्रकरण की जाँच की जाकर अपराध पंजीबद्व करते हुए चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विवरण **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ग) जी हाँ। कार्यवाही संबंधी विवरण **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (घ) दोषी व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत एन.जी.ओ.

79. (क्र. 3563) श्री प्रहलाद भारती : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शिवपुरी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महिला सशक्तिकरण विभाग में कौन-कौन से गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) पंजीकृत हैं? (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस एन.जी.ओ. को क्या-क्या कार्य आवंटित किये गये हैं? कार्यवार पूर्ण विवरण दें? (ग) क्या इन सभी एन.जी.ओ. को कार्य आवंटन से पूर्व क्या अर्हता निर्धारित की गयी थी? विवरण दें व क्या उक्त सभी एन.जी.ओ. निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं? (घ) कार्य आवंटन के लिये क्या प्रक्रिया संस्थित की गयी थी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) शिवपुरी जिले में पंजीक़त गैर सरकारी संगठनों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर** है। (ख) शकुन्तला परमार्थ समिति शिवपुरी को विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक बाल गृह संचालन हेतु कार्य आबंटित किया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर** है। (ग) जी हाँ किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000द्वारा , निर्धारित आर्हता पूर्ण करने पर ही कार्य आवंटन किया जाता है सभी एन जी ओ को उक्त नियम के तहत निर्धारित अर्हता पूर्ण करते है। (घ) उत्तरांश 'ख' में अंकित संस्थाओ को कार्य आवंटन हेतु उनसे प्रस्ताव प्राप्त कर, संस्थाओं का निरीक्षण कर, बाल ग्रह संचालन की स्वीक़ति किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

व्यक्तिगत शस्त्र लाईसेन्स से कमर्शियल कार्य

80. (क्र. 3597) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम, मन्दसौर, नीमच जिले में शासकीय तथा अद्र्धशासकीय कार्यालयों, उद्योग, रोड़ टोल टैक्स तथा अन्य स्थानों पर कितने सुरक्षा कर्मी कार्यरत है जिनके पास बन्दूक (शस्त्र) हैं? (ख) क्या प्रश्नांक (क) में कार्यरत सुरक्षा कर्मी के लायसेंस व्यक्तिगत या कमर्शियल है? तो क्या सुरक्षाकर्मी व्यापारिक (कमर्शियल) स्थानों पर अपनी सेवाएं दे सकता है? यदि हाँ, तो नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (ग) उक्त जिलों में 1 जनवरी 2010 के पश्चात् ऐसे कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें उक्त सुरक्षाकर्मियों द्वारा व्यक्तिगत शस्त्र (बन्दूक) का उपयोग कमर्शियल स्थान पर किया, स्थानवार जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। जिलेवार संख्या निम्नानुसार है-1. रतलाम -70 (2) मंदसौर-50 (3) नीमच-55 (ख) सभी व्यक्तिगत है। आत्मरक्षार्थ कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। (1) जिला रतलाम में 10 लायसेंस बैंक मैनेजरों के नाम से जारी होकर सुरक्षाकर्मी के नाम रिटेनर के

रूप में दर्ज हैं बाकी 60 सुरक्षाकर्मी के पास निजी शस्त्र लायसेंस हैं। (2) जिला मंदसौर में 6 लायसेंस बैंक मैनेजरों के नाम से जारी होकर सुरक्षाकर्मी के नाम रिटेनर के रूप में दर्ज हैं बाकी 44 सुरक्षाकर्मी के पास निजी शस्त्र लायसेंस हैं। (3) जिला नीमच में 55 सुरक्षाकर्मियों के पास निजी शस्त्र लायसेंस हैं। आयुध अधिनियम की धारा - 13 ''अनुज्ञप्तियों के बारे में उपलब्ध '' अनुसार शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये जाते है। अधिनियम की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं।

परिशिष्ट – "अड़तालीस"

इंदौर उज्जैन संभाग में सब्सिडी वितरण में भारी अनियमितता

81. (क्र. 3636) श्री बाला बच्चन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर संभाग में वर्ष 2012 से उत्तर दिनाँक तक किस-किस कृषक को किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी सब्सिडी किस दिनाँक को प्रदान की गई वर्ष अनुसार जिले अनुसार सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सूची के आवेदन सब्सिडी के लिये किस दिनाँक को प्राप्त हुये, कार्य किस दिनाँक को प्रारंभ हुआ, किस दिनाँक को पूर्ण हुआ तथा सब्सिडी किस दिनाँक को दी गई? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्य जिसे सब्सिडी दी गई उसकी लागत का मूल्याकंन किस आधार पर किस अधिकारी द्वारा किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों के संदर्भ में अनियमितता, भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार** है। (घ) इन्दौर जिलें में सूक्ष्म सिंचाई योजना में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों को निंलबित किया जाकर उनके विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है।

आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी को बेचने की जाँच

82. (क्र. 3637) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर उज्जैन संभाग में पिछले 5 वर्षों में धारा 165 (6) के तहत स्वीकृत किये गये आवेदन की क्रेता, विक्रेता जमीन की विस्तृत जानकारी सहित जिलेवार, वर्षवार सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जमीनों में नियमों की अवहेलना करने की कितनी-कितनी शिकायतें आईं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित के अनुसार क्या-क्या कार्यवाही की गई, तथा उक्त जमीनों के विक्रय की जाँच किस-किस अधिकारी द्वारा की गई? (घ) प्रश्नांश (ख) तथा (ग) में उल्लेखित जाँच की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी को विक्रय की अनुमति की जाँच

83. (क्र. 3650) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के किस-किस जिले में पिछले तीन वर्षों में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को विक्रय करने के आवेदन में कितनों को स्वीकृति प्रदान की गई? (ख) क्या संभागायुक्त उज्जैन

द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में से कुछ प्रकरणों की जाँच की गई है यदि हाँ, तो उनकी सूची तथा जाँच रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) पिछले पांच वर्षों में उज्जैन संभाग में ऐसे कितने प्रकरण हुये जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को विक्रय करने के आवेदन को निरस्त कर दिया और उन प्रकरणों को संभागायुक्त उज्जैन द्वारा स्वीकृत कर अनुमति दे दी गई क्रेत-विक्रेता गांव, रकवा सहित जानकारी दे एवं स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपियां देवे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मुख्यमंत्री पेयजल योजना</u>

84. (क्र. 3666) श्री अशोक रोहाणी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (सिविल) खण्ड जबलपुर को मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति दी गई एवं कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा कितने स्वीकृत कार्यों को क्यों नहीं कराया गया है? उपखण्डवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में जनपद पंचायतवार कितने गांव पेयजल समस्या से ग्रसित है? इन गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु कितनी राशि की कार्ययोजना कब, क्या बनाई गई है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) में किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब, किसने, किस एजेंसी से कराये हैं? इन कार्यों का मूल्यांकन व भौतिक सत्यापन कब-कब, किसने किया है एवं किन-किन कार्यों से संबंधित कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब, किस-किस एजेंसी को किया गया है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। उपखण्ड जबलपुर में स्वीकृत 05 मुख्यमंत्री पेयजल योजनाओं के कार्य सफल स्रोत न मिलने के कारण नहीं कराये गये। (ग) कोई भी गांव पेयजल समस्याग्रस्त नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**।

<u>भ्रष्टाचार से संबंधित निर्णीत प्रकरणों में कार्यवाही</u>

85. (क्र. 3668) श्री अशोक रोहाणी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में लोकायुक्त संगठन, विशेष पुलिस स्थापना, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म.प्र. द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार के पंजीकृत कितने प्रकरणें में मा. न्यायालय, विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त द्वारा पारित निर्णय में कारावास/अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई एवं कितने प्रकरण दोषमुक्त हुये? वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की जिलावार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दोषमुक्त हुये किन-किन प्रकरणों में निलंबित कर्मचारी/अधिकारी को कब बहाल किया गया एवं कितने प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की गई? इनमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं? पदनाम सहित सूची दें? (ग) प्रश्नांश (ख) में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल का परिपत्र क्रं./सी6-10-89-3-एफ, दिनाँक 30/9/99 के प्रावधानों के तहत किन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति

पश्चात के समस्त देय स्वत्वों की राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं किन प्रकरणों में नहीं एवं क्यों? सूची दें? (घ) कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर का आदेश क्रं.604/पांच-1/7/12/विजां./2014 जबलपुर, दिनाँक 24/9/2014 पर कब क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ऑगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी

86. (क्र. 3675) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी ऑगनवाड़ी संचालित हो रही हैं, तथा कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, तथा इनको क्या-क्या सुविधा प्राप्त हो रही है? (ख) आंगनवाड़ी में अधिक बच्चे जोड़ने हेतु बड़नगर क्षेत्र में क्या-क्या कदम उठाये गये? क्या-क्या कार्यक्रम किये गये? इस कार्यक्रम में कौन-कौन अधिकारी ने क्या सार्थक प्रयास किये? कार्यक्रमों का विवरण दिनाँक एवं उन पर किये गये व्ययों की जानकारी देवें? (ग) वर्ष 2012-13, 2013-14 में शासन की योजनान्तर्गत इन केन्द्रों पर कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी खर्च हुई मदवार जानकारी प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 303 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रतिमाह औसतन 21577 बच्चे लाभान्वित हो रहे है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार** है।। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार** है।

उज्जैन बदनावर मार्ग पर सड़क दुर्घटना

87. (क्र. 3676) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन बदनावर मार्ग पर कितने थानों का क्षेत्र लगता है? (ख) उज्जैन बदनावर मार्ग पर 2010 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, तथा उसमें कितने लोगों की मौत हुई हैं? थाना एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या इन दुर्घटनाओं का कारण सड़क की चौड़ाई कम होना है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) उज्जैन बदनावर मार्ग जिले के 4 थानों क्रमशः थाना महाकाल, भैरूगढ़, इंगोरिया एवं बड़नगर के क्षेत्र में लगता हैं। (ख) थाना एवं वर्षवार संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं।** (ग) उज्जैन बदनावर मार्ग पर यातायात का दबाव अत्यधिक हैं व टू-लेन मार्ग हैं।

परिशिष्ट – "उन्चास"

आंगनवाड़ी भवन

88. (क्र. 3705) श्री जितू पटवारी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में ऐसी कितनी आंगनवाड़ियां हैं जिनके अपने स्वयं के भवन है एवं ऐसी कितनी आंगनवाड़ियां हैं जो किराये के भवन में संचालित हैं? (ख) जो आंगनवाड़ियां किराये के भवन में संचालित हैं उसके लिये विगत 3 वर्षों में कितना किराया भुगतान किया गया है? प्रतिवर्षानुसार

व्यय राशि का विवरण देवें? (ग) विभाग द्वारा सत्र 2011-12से 2013-2014 में प्रदेश की कितनी आंगनवाड़ियों को अपने भवन बनाने की अनुमति प्रदान की जाकर आवंटन जारी किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें? (घ) उपरोक्त वर्षों में जारी की गई राशि से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अधूरे हैं? क्या अधूरे निर्माण की दशा में भवन निर्माण लागत में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो कितनी? (ड.) यदि लागत में वृद्धि हुई है तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं इन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एम.पी. एग्रो द्वारा दलिया एवं अन्य पौष्टिक आहार वितरण

89. (क्र. 3786) श्री उमंग सिंघार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एम.पी. एग्रों द्वारा महिला एवं बाल विकास को पौष्टिक आहार किस-किस कंपनियों के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है? पिछले 3 सालों में पौष्टिक आहार वितरण करने वाली कंपनियों को कितना भुगतान किया गया? पौष्टिक आहार की कितनी मात्रा निर्धारित की गई? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) क्या यह सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाईडलाइन अनुसार पोषण आहार का वितरण स्वसहायता समूहों द्वारा किया जाना तय किया गया था? साथ ही ठेकेदारी या निजी कंपनियों के द्वारा पौष्टिक आहार प्रदाय करने की व्यवस्था पर रोक लगाई थी? (ग) सुप्रीम कोर्ट द्वारा पौष्टिक आहार वितरण हेतु क्या-क्या नियम/निर्देश जारी किये गये थे? उक्त नियम/निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) एम.पी.एग्रो द्वारा स्वयं के बाडी जिला रायसेन स्थित पोषण आहार संयंत्र के अतिरिक्त 03 संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है। (1) एम.पी.एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज लिमि, 72-73, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मण्डीदीप जिला-रायसेन (2) एम.पी.एग्रो टॉनिक्स लिमिटेड, बी-13, इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-2 मण्डीदीप जिला-रायसेन (3) एम.पी.एग्रो न्यूट्रीफूड्स लिमि.95-96, सेक्टर-ई औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड- इन्दौर विभाग से कंपनियों को सीधे भुगतान नहीं किया जाता। पिछले 03 सालों में विभाग द्वारा एम.पी.एग्रो को भुगतान की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01** एवं प्रतिहितग्राही पौष्टिक आहार की मात्रा एवं कम्पोजिशन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02** तथा एम.पी.एग्रो के 04 संयंत्रों से प्रदाय पोषण आहार के जिलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार** है। (ख) जी हाँ। (ग) माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए निर्देशों एवं उसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार** है।

विभाग द्वारा कराये गये कार्य

90. (क्र. 3816) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले में लोक स्वा.यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से कहाँ-कहाँ कराये गये? विकासखण्डवार, मदवार, वर्षवार बतायें? (ख) उक्त कार्यों का मापन मूल्यांकन एवं सत्यापन किस-किस अधि./कर्मचारी के द्वारा किया गया नाम पदनाम सहित बताये?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

अधिकारी/कर्मचारियों का संलग्नीकरण

91. (क्र. 3824) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को कहाँ से कहाँ और कब-कब संलग्नीकरण किया गया? नाम, पदनाम सहित बतायें? (ख) यह भी बताये कि संलग्न अधिकारी/कर्मचारी के रिक्त पदों का कार्य संपादन की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गयी और काम कैसे चल रहा है? (ग) क्या यह सही है कि संलग्नीकरण शासन स्तर से पूर्णत: बंद हैं और संलग्न करने पर संलग्न कर्मचारी का वेतन आदेशित करने वाले अधिकारी के वेतन से देने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो संलग्नीकरण का आदेश देने वाले अधिकारी पर शासन कब तक और क्या कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रीवा अंतर्गत सीमांकन कार्य

92. (क्र. 3832) श्रीमती शीला त्यागी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के पत्र क्र. 198 दिनाँक 26.06.13 के द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त लालगांव को आराजी खसरा नं. 18/3 ग्राम क्योटा, 3/2, 4/3, 7/2 एवं ग्राम चियार के 40/11, 63/3, 64/2, 75/2, 76/5 के सीमांकन हेतु पत्र दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो आज दिनाँक तक सीमांकन क्यों नहीं किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) मोके पर कृषकों के द्वारा सीमांकन पर विवाद किये जाने के कारण सीमांकन नहीं हो सका। सीमांकन हेतु तिथि दिनाँक 18-3-2015 नियत की गई है उक्त तिथि को सीमांकन कर दिया जायेगा।

जेल कैदियों के लाभ की जाँच

93. (क्र. 3839) श्रीमती शीला त्यागी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय जेल रीवा उपजेल ब्यौहारी एवं शहडोल के जेलों को 2012 से 2014 तक किन-किन मदों में कितना आवंटन प्रदान किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त जेलों में सजायाफ्त अपराधियों को क्या-क्या सुविधाएं खाने की डाइट, कपड़े एवं अन्य लाभ जेलरों, जेल अधीक्षकों के द्वारा न देने हेतु क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्राप्त आवंटन के खर्च की जानकारी मदवार वर्षवार कैदी संख्यावार उपलब्ध कराएँ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है।

पुलिस पैटोलिंग पर व्यय राशि

94. (क्र. 3851) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में पुलिस विभाग के पास पैटोलिंग हेतु क्या पर्याप्त स्टाफ है? यदि नहीं तो वर्तमान में पैट्रोलिंग हेतु कितने पुलिस अधिकारी/सिपाही एवं वाहन उपलब्ध हैं और कितने पुलिस अधिकारी, सिपाही एवं वाहन की आवश्यकता हैं? (ख) पुलिस पैट्रोलिंग पर औसतन प्रतिमाह कितना व्यय किया जाता है? माह दिसम्बर 2014 में हुये पैट्रोलिंग व्यय की जानकारी दी जावें? (ग) क्या यह सही है कि अनेक पुलिस अधिकारी एवं सिपाही शासकीय सेवा में अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में स्वयं अपने ही वाहन का उपयोग करते हैं, और उन्हें ड्यूटी पर अपने ही वाहन का उपयोग करने के एवज में कोई वाहन भत्ता अथवा वाहन व्यय आदि नहीं दिया जाता है? (घ) यदि हाँ, तो इन पुलिस अधिकारियों एवं सिपाहियों को जो ड्यूटी के लिये स्वयं के वाहन का उपयोग करते है उनके वाहनों के शासकीय कार्य में उपयोग करने के लिये स्वीकृति दी जाकर क्या उनके वाहन नम्बर शासकीय अभिलेखों में दर्ज किये जाते है? ऐसे शासकीय सेवकों को निजी वाहन के उपयोग करने के एवज में कब तक वहन भत्ता अथवा वाहन क्षतिपूर्ति व्यय दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पुलिस विभाग के उत्तर-दायित्वों में पुलिस पेट्रोलिंग भी शामिल है। अत: पेट्रोलिंग पर हुआ व्यय पृथक से बताना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शासन आदेश दिनाँक 28.06.1993 द्वारा निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को रूपये 230/- प्रतिमाह मोटर साईकिल भत्ता दिया जाता है। (घ) उत्तराशं (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>प्रेषित पत्र पर कार्यवाही</u>

95. (क्र. 3891) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रं. 360 दिनाँक 13.11.2014 को पहुंचविहीन ग्रामों में सौर ऊर्जा पर आधारित मोटर पंप/सोलर पंप स्थापित किये जाने के संबंध में पत्राचार किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत मोटर पंप एवं सोलर पंप लगाये जाने के संबंध में विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड कटनी से पत्राचार किया गया था। (ख) सौर उर्जा आधारित पंप स्थापित करने हेतु योजनाएं बनाने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

<u>दर्ज प्रकरणों का निराकरण</u>

96. (क्र. 3892) श्री संजय पाठक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के परिवार परामर्श केन्द्र के किस-किस स्वभाव के कितने प्रकरण किन-किन के कब-कब विगत 2 वर्षों में दर्ज हुए? थानावार एवं स्वभाववार, प्रकरणवार संख्या बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) दर्ज प्रकरणों में वर्षवार किस-किस स्वभाव के कितने प्रकरण निराकृत किये गये? लंबित प्रकरणों के निराकरण में किस तरह का व्यवधान आया जैसे कानूनी एवं पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति से अवगत करायें? (ग) क्या इनके निराकरण में आने वाले व्यवधान को शासन अपने स्तर से पूर्ण कर निराकरण कराने में सहयोग करेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) पंजीबद्ध

प्रकरणों की विवेचना पूर्ण की जाकर समयावधि में चालान न्यायालय प्रस्तुत कर निराकरण किया गया है।

परिशिष्ट – "पचास"

विकास खण्ड सांईखेड़ा को तहसील बनाया जाना

97. (क्र. 3921) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गाडरवारा क्षेत्र के विकासखण्ड सांईखेड़ा को तहसील बनाये जाने हेतु शासन स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है? (ख) क्या सांईखेड़ा को तहसील का दर्जा दिये जाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी यदि हाँ, तो सांईखेड़ा को कब तक तहसील का दर्जा दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

गाडरवारा क्षेत्र में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या

98. (क्र. 3922) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है सूची प्रदान करें? (ख) ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र है जो स्वयं के भवन में संचालित है एवं कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन नहीं है अलग-अलग सूची दें? (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के अपने स्वयं के भवन बनाये जाने पर विभाग कब तक विचार करेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 151 केन्द्र संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार** है। (ख) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विभागीय भवन में कुल 29 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार** है। 122 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '3' अनुसार** है। (ग) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति

99. (क्र. 3956) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनवरी 2015 में राजस्व निरीक्षक के पद से नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी? यदि हाँ, तो कब? (ख) पदोन्नति हेतु रिक्त नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के रिक्त पदों की गणना का क्या आधार था? अर्थात् गणना की क्या प्रक्रिया थी? (ग) नायब तहसीलदार एवं भू-अभिलेख के कितने रिक्त पदों पर पदोन्नति की जानी है?यदि हाँ, तो कब तक? (घ) उक्त डी.पी.सी. में परिभ्रमण एवं प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति सूची कब तक जारी की जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। दिनाँक 20.01.2015 को (ख) पदोन्नति हेतु पदों की गणना नायब तहसीलदार के लिये विभागीय भरती नियम दिनाँक 19 अक्टूबर 2011 में निहित प्रावधान अनुसार पदोन्नति 25 प्रतिशत राजस्व निरीक्षकों से की जाती है, तथा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर पदोन्नति विभागीय भरती नियम 4 मई 2012 में निहित प्रावधान अनुसार पदोन्नति 75 प्रतिशत राजस्व निरीक्षकों से की जाती है। (ग) 186 पदों पर पदोन्नति की जाना है।

समय-सीमा बताना संभव नहीं। (घ) परिभ्रमण एवं प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति सूची जारी किये जाने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

भोपाल संभाग में ऑनलाईन एफ.आई.आर. के संदर्भ में

100. (क्र. 3957) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत भोपाल संभाग के कितने थानों में ऑनलाईन एफ.आई.आर. (Online F.I.R.) दर्ज हो रही है? प्रश्न दिनाँक तक ऐसी कितनी एफ.आई.आर. दर्ज की गई और किन-किन थानों में की गई? (ख) भोपाल संभाग में वर्ष 2013 एवं 2014 में कितने और कहाँ सायबर अपराध (Cyber Crime) दर्ज किए गए? (ग) सायबर क्राईम (Cyber Crime) रोकथाम के लिए कितने एवं कौन से थानों में क्या-क्या व्यवस्था की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत भोपाल संभाग में केवल सीहोर जिले में दिनाँक 01.01.2015 से सी.सी.टी.एन.एस के तहत 13 थानों में आनलाईन एफ.आई.आर (Online F.I.R) दर्ज हो रही है। प्रश्न दिनाँक तक सीहोर जिले में कुल 635 एफ.आई.आर. दर्ज की गई। उक्त एफ.आई.आर सीहोर जिले के थाना-कोतवाली, मंडी, दोराहा, अहमदपुर, बिलकीसगंज, इछावर, आष्टा, जावर, सिद्दीकगंज, नसरूल्लागंज, रेहटी, बुदनी एवं शाहगंज में दर्ज की गई। (ख) भोपाल संभाग में वर्ष 2013 में जिला भोपाल में 201, जिला सीहोर में 07, जिला विदिशा में 02 कुल-210 एवं 2014 में जिला भोपाल में 45, जिला सीहोर में 28, जिला विदिशा में 03, जिला राजगढ़ में 03 कुल-79 सायबर अपराध (Cyber Crime) दर्ज किए गए। (ग) सायबर क्राईम (Cyber Crime) रोकथाम के लिए भोपाल संभाग के समस्त थानों में सायबर कैफे, ए.टी.एम बैंक आदि पर कडी नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सायबर पुलिस द्वारा प्रदेश के पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक स्तर के कुल 124 अधिकारियों को तथा 18 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों व 180 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों एवं 20 प्रशिक्षु भारतीय प्रशांसनिक सेवा व 120 सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों को सायबर संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही समय-समय पर राज्य सायबर पुलिस द्वारा स्कूल/कालेज में छात्र-छात्राओं को व्याख्यान द्वारा व आमजन को समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सायबर अपराध संबंधी आवश्यक जानकारियाँ प्रदाय की जाती है।

आंगनबाड़ी भवनों का समय सीमा में निर्माण

101. (क्र. 4007) श्री विश्वास सारंग : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल जिले में प्रश्न दिनाँक तक कुल कितनी आंगनवाड़ी संचालित की जा रही हैं? कितनी आंगनवाड़ियों के पास स्वयं के भवन हैं? कितनी आंगनवाड़ी किराये के भवन में संचालित की जा रही हैं? आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए किराए पर लिए भवन का कितना किराया दिया जाता है? ग्रामीण/शहरी की अलग-अलग जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 में केन्द्र/राज्य/अन्य से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत एजेंसियों से आवंटित बजट से विभाग ने कितनी-कितनी आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण करा लिया है? कितने अधूरे हैं? नरेला विधानसभा क्षेत्र में कितने भवनों का निर्माण कार्य क्यों शुरू नहीं हुआ है? कारण दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) भोपाल जिले मे कुल 1618 आंगनवाड़ी

केन्द्र संचालित है। 1618 संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 398 आंगनवाड़ी केन्द्रो के पास स्वयं के (विभागीय) भवन है एवं 1060 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों मे संचालित की जा रही है। 160 आंगनवाडी केन्द्र अन्य विभागीय भवनों में संचालित है। शहरी क्षेत्र मे आंगनवाड़ी केन्द्रो के लिए 625 वर्गफिट पर बने भवन के लिए अधिकतम राशि रू. 3000/- प्रति माह के मान से किराया निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्र मे 625 वर्गफिट पर बने भवन के लिए अधिकतम किराया राशि रू. 750/- प्रतिमाह के मान से निर्धारित है। (ख) भोपाल जिले मे वित्तीय वर्ष 2013-14 मे 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि रूपये 40, 000/- प्रदाय की गई एवं वित्तीय राशि 2014 -15 मे 13 वे वित्त योजना अन्तर्गत राशि रूपये 39.00 करोड़ आगंनवाड़ी भवन निर्माण के लिए स्वीकृत की गई। (ग) भोपाल जिले में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्थिति **संलग्न परिशिष्ट पर** है।

परिशिष्ट – "इक्यावन"

राजगढ़ जिले में हेण्डपम्प मैकेनिकों के स्वीकृत पद

102. (क्र. 4018) श्री गिरीश भंडारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले में कुल कितने हेण्डपम्प मैकेनिकों के पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कुल कितने नियमित व संविदा हेण्डपम्प मैकेनिक पदस्थ हैं? रिक्त पदों पर कब तक हैण्डपम्प मैकेनिक पदस्थ किये जायेगें? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार जिले में पदस्थ संविदा हेण्डपम्प मैकेनिकों को नियमित किये जाने की शासन की क्या योजना है? अगर नियमित किये जाने की योजना नहीं है? तो कारण बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) राजगढ़ जिले में हैण्डपंप तकनीशियन के कुल 67 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थ हैण्डपंप तकनीशियन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं हैं। (ख) कोई योजना नहीं हैं। संविदा हैंण्डपंप तकनीशियनो के साथ किये गए अनुबंध में नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट – "बावन"

हैण्डपंपों में पाइप लाइन बढ़ाई जाना

103. (क्र. 4037) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज का अधिकांश हिस्सा पठारी एवं जंगली क्षेत्र होने के कारण जल स्तर काफी नीचे चला गया है? जिसकी वजह से हैण्डपंपों से पानी मिलना बंद हो गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के सदंर्भ में आम जन को पेयजल मुहैया कराने हेतु क्या हैण्डपंपों में पाइप बढ़ाकर पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान

104. (क्र. 4071) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत कितने मजदूर कार्यरत थे? (ख) वाटर सप्लाई स्कीम अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को वर्ष 1990-91 में

एच.आर. से वेतन भुगतान किया जा रहा था? यदि हाँ, तो 25 वर्षों से निरंतर सेवारत मजदूरों का वर्तमान में वेतन भुगतान रोकने का क्या कारण है? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) मजदूरों को विभाग द्वारा भुगतान ना करते हुए ठेकेदारी प्रथा से भुगतान किये जाने का दबाव बनाया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक विभागीय नियमित मद से मजदूरी भुगतान प्रारंभ किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) सीधी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत 27 दैनिक वेतन भोगी /मजदूर कार्यरत है एवं सिंगरौली जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत कोई भी दैनिक वेतन भोगी/मजदूर कार्यरत नहीं है। (ख) जी हाँ (सीधी जिले के लिये)। जी नहीं (सिंगरौली जिले के लिये)। निरन्तर सेवारत मजदूरो का वेतन भुगतान नहीं रोका गया है। अतः कारण बताने का प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

105. (क्र. 4084) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में पंचायतवार पटवारी हल्के बनाये गये है? यदि हाँ, तो कुल कितने पटवारी हल्के है? कुल कितने पद स्वीकृत है तथा कितने पटवारी पदस्थ है? (ख) क्या वर्तमान में एक पटवारी के पास एक से अधिक हल्को का प्रभार है? यदि हाँ, तो क्या और पटवारियों के पदों को सृजित किये जावेंगे? (ग) पटवारी हल्के में क्या पटवारियों के लिये कार्यालय एवं निवास की व्यवस्था है? यदि नहीं तो क्या प्रत्येक पटवारी हल्के मुख्यालय पर कार्यालय एवं निवास के निर्माण कराये जावेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। 6128 नवीन पटवारी हल्कों का सृजन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) वर्तमान में भू-अभिलेख जिला प्रशासन के स्तरो में सुधार योजनान्तर्गत राजस्व <u>निरीक्षक/पटवारी</u> सह-आवासी भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2014-15 तक कुल 1689 भवन स्वीकृत किये गये है , जिसमें से 1092 भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है। तथा शेष 597 भवन निर्माणधीन है।

<u>आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में हो रही अनियमिततायें</u>

106. (क्र. 4090) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास के द्वारा सीहोर जिले में भ्रमण के दौरान नावार्ड के द्वारा निर्माणाधीन प्री फेव तकनीकी की 14 लाख 80 हजार रूपये की लागत से बनने वाली आंगनबाड़ी के कार्य को सही पाया? अगर नहीं तो क्या गड़बड़ी उक्त आंगनबाड़ी के निर्माण में पाई गई? (ख) भोपाल संभाग में किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी लागत वाली आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रश्नतिथि तक चल रहा है? स्थानवार/ जिलेवार दें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में अनियमितताओं की क्या-क्या शिकायतें जिला प्रशासन / सी ई ओ जिला पंचायत/ राज्य शासन के समक्ष आई? (घ) उक्त शिकायतों पर किस दिनांकों एवं क्रमांकों से किस सक्षम कार्यालयों ने कब व क्या कार्यवाही की? प्रकरणवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पोषक आहार प्रदायकर्ताओं की जानकारी

107. (क्र. 4091) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में क्या एम.पी. एग्रों के माध्यम से पोषक आहार प्रदाय किया जा रहा है? (ख) एम.पी. एग्रो के द्वारा 01.04.2011 से प्रश्नतिथि तक मध्य प्रदेश में किस-किस नाम पते वाले पोषक आहार प्रदायकर्ता को कार्य दिया? जिलेवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संभाग में एवं वर्णित समयानुसार पोषक आहार प्रदायकर्ताओं के द्वारा किस-किस प्रकार का कितने प्रतिशत विटामिन /प्रोटीन/कैलोरी/अन्य वाला क्या-क्या आहार प्रदाय किया जा रहा है? (घ) क्या पोषक आहार सप्लाई करने का कार्य स्व सहायता समूहों में नहीं दिया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। वर्तमान में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था एम.पी.एग्रो के माध्यम से की जा रही है। (ख) एम.पी.एग्रो द्वारा स्वयं के बाडी जिला रायसेन स्थित पोषण आहार संयंत्र के अतिरिक्त 03 संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है , (1) एम.पी.एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज लिमि, 72-73, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मण्डीदीप जिला-रायसेन (2) एम.पी.एग्रो टानिक्स लिमिटेड, बी 13, इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-2 मण्डीदीप जिला-रायसेन (3) एम.पी.एग्रो न्यूट्रीफूड्स लिमिटेड .95-96, सेक्टर-ई औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड- इन्दौर (ग) एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदायित विभिन्न पूरक पोषण आहार में विटामिन/प्रोटीन /कैलोरी एवं आहार की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। (घ) वर्तमान में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूह एवं महिला मण्डल के माध्यम से जिला स्तर से संचालित किया जा रहा हैं।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

दैवी प्रकोप से क्षतिग्रस्त फसलों का आंकलन

108. (क्र. 4108) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 दिसम्बर-जनवरी में विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला मुरैना में अतिवृष्टीय, ओला आदि दैवी प्रकोप से हुई क्षतिग्रस्त फसल गेहूँ, सरसों, चना आदि खड़ी फसलों की क्षति के आंकलन सर्वे हेतु किन-किन ग्राम/मजरें/टोलों में अधिकारी कर्मचारी, स्थानीय सदस्य जैसे सरपंच, पटेल, चौकीदार, कृषक आदि व्यक्ति सम्मिलित थे, की जानकारी प्रमाण सहित उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सर्वेक्षण दल द्वारा किन-किन फसलों का आंकलन कर नुकसान पाया गया, ग्राम वाइज जानकारी दी जावे? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित क्षतिग्रस्त फसलों को आर.बी.सी. (6-4) के तहत कितनी सहायता राशि निर्धारित दर से देने की अनुशंसा की थी, क्या यह राशि कृषकों को प्रदाय कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों व कब तक कर दी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) वर्ष 2013-14 दिसम्बर-जनवरी में विधान सभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला-मुरैना में अतिवृष्टि, ओला आदि आपदा से गेहूं, सरसों, चना आदि फसलों में कोई क्षति नहीं हुई।

शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश "क" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उदभूत नहीं होता।

मुख्यमंत्री आवास पुस्तिका का प्रदाय

109. (क्र. 4109) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की नीति अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर निवासरत परिवारों का सर्वे कर नक्शा व अभिलेखों को तैयार कर आबादी भूमि धारकों को मुख्यमंत्री आवास पुस्तिका देने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला मुरैना के आबादी भूमि धारकों को आवास पुस्तिकाएं उपलब्ध करा दी गई हैं यदि नहीं तो क्यों? व उन्हें कब तक आवास पुस्तिका प्रदाय कर दी जावेंगी, जिससे आवास पुस्तिका के होने वाले हित लाभ मिल सकें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मजरे टोलो को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

110. (क्र. 4145) श्री दुर्गालाल विजय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले के किन-किन मजरो टोलो को राजस्व ग्राम हेतु चिन्हित कर इन्हें राजस्व ग्राम बनाने हेतु आदेश कर जारी किये गये की प्रति उपलब्ध कराये? (ख) उक्त आदेश जारी होने के दिनाँक से वर्तमान तक उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या उक्त मजरो टोलो के नक्शे व अभिलेख विभाग द्वारा तैयार करा लिये गये हैं तत्पश्चात क्या प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया हैं यदि हाँ, तो कब भेजा बतावे प्रस्ताव वर्तमान में किस स्तर पर लंबित पडा है इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? (घ) यदि नहीं तो प्रस्ताव भेजने में विलम्ब का कारण बतावे इस हेतु उत्तरदायीयों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी प्रस्ताव कब तक भेज दिया जावेगा? (ड.) क्या ये सच हैं, कि उक्त मजरे टोले राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण मूल भूत सुविधाओं से मूल ग्राम पर आश्रित होने के कारण वंचित बने हुए हैं इनमें निवासरत ग्रामीणों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा हैं यदि हाँ, तो क्या शासन शीघ्र प्रस्ताव मंगवाकर स्वीकृति प्रदान करेगा यदि नहीं तो क्यो?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्थल जल योजनाओं की स्थिति

111. (क्र. 4146) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले में वर्ष 2012 से वर्तमान तक की अवधि में कौन-कौन सी स्थल जल योजनाएं स्वीकृत की गई इनकी वर्तमान भौतिक धरातलीय स्थिति क्या हैं जानकारी वर्षवार/योजनावार बतावें? (ख) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से ही स्वीकृत ग्राम इन्द्रपुरा, कुण्डहवेली, भिलवाडिया, रामगावड़ी सहित कितनी स्थल जल योजनाएं ऐसी हैं जिनका कार्य वर्तमान तक पूर्ण नहीं हो पाया है इसके क्या कारण है इस हेतु कौन उत्तरदायी है के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उक्त योजनाओं को कब तक पूर्ण कराकर प्रारंभ करा दिया जावेगा? (घ) वर्ष 2014-15 में कौन-कौन स्थल जल योजनाएं प्रस्तावित/स्वीकृत की गई इन्हें कब तक पूर्ण कराया जावेगा इनकी लागत व पूर्ण करने की अवधि भी बतावें? (ड.) उक्त अवधि में ही स्वीकृत ऐसी कौन-कौन सी

योजनाएं हैं जो पूर्ण तो हो गई है लेकिन बंद पड़ी है इसके क्या कारण है इस हेतु कौन उत्तरदायी है के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए इन्हें कब तक प्रारंभ करा दिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"1" अनुसार**। (ख) 14 योजनाएं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "2" अनुसार**। उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "2" अनुसार**। (घ) कोई भी योजना प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ड़) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1" अनुसार**। योजनाओं के संचालन एवं संधारण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों की है, अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व पंचायतों का है। निश्चित समय सीमा बताया जाना सम्भव नहीं।

पीडितो के परिजनों को आर्थिक सहायता

112. (क्र. 4158) श्री आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राजस्व संहिता आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधान के अनुसार प्राकृतिक आपदा जैसे अचानक जलने, करंट लगने, नदी-तालाब-कुंए-बावड़ी में डूबने या अन्य प्रकार से पीड़ितों/मृतकों के परीजनों को 15 दिवस में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो यह अवगत करावें कि वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में भोपाल संभाग में प्राकृतिक आपदा के तहत कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा उनके परिजनों को कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की गई तथा कितने लोगों को किन-किन कारणों से सहायता नहीं दी गई उन्हें कब तक सहायता प्रदान की जावेगी जिलेवार, वर्षवार बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

113. (क्र. 4159) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि श्री प्रेमशंकर शर्मा, अर्चना शर्मा व अन्य के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के चैना पुत्र श्री कोका की पट्टे की जमीन नियम विरूद्ध औने-पौने दामों में जबरिया क्रय करने के संबंध में श्री युनूस खान पत्रकार एवं संपादक दैनिक नीर सिंधु द्वारा बाईट लेने पर श्री शर्मा द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई थी इसलिए श्री युनूस खान ने घटना घटित होते ही दिनाँक 7 जनवरी 2015 को विदिशा थाना देहात में धारा 294, 323, 506/34 का अपराध दर्ज कराया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि पुलिस द्वारा श्री युनूस खान पुलिस द्वारा गंभीर हालात में अस्पताल भेजा गया? क्या दिनाँक 28 जनवरी 2015 को श्री युनूस खान की ह्दयघात से शासकीय अस्पताल विदिशा में मृत्यु हो गई? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि श्री युनूस खान की अचानक मृत्यु होने के कारण प्रेस क्लब व अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा श्री प्रेम शंकर शर्मा के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध पंजीबद्ध किए जाने की मांग की गई है? यदि हाँ, तो प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए क्या शासन द्वारा श्री शर्मा व अन्य के विरूद्ध गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज किया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क-ग) क परिप्रेक्ष्य में मृतक श्री युनूस खान के परिवार में पत्नी, पुत्र 12 वर्ष, पुत्री 9 वर्ष 3 बहनें शिक्षित अविवाहित के भरण पोषण शिक्षा दिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए

क्या शासन द्वारा मृतक के परिवार को 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता व एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) दिनाँक 07.01.2015 को श्री युनुस खान को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय, विदिशा में भर्ती कराया गया था। दिनाँक 09.01.2015 को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया था। दिनाँक 28.01.2015 को श्री युनुस खान को सीने में दर्द होने की वजह से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। (ग) जी हाँ। मेडिकल रिपोर्ट की क्वेरी रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा युनुस खान की मृत्यु का पूर्व में आई चोटों से कोई संबंध नहीं होना लेख किया है। अतः गैर इरादतन हत्या का अपराध घटित होना नहीं पाया गया। (घ) शासन के प्रावधानों के अनुसार हार्ट अटैक होने की परिस्थितियों में परिवार के सदस्य को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता एवं शासकीय सेवा में नौकरी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

जलाशयों, कूपों (डग बेल) एवं जलप्रदाय/जल आवर्धन कार्यों की स्थिति

114. (क्र. 4173) श्री रामलाल रौतेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनूपपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न जलाशयों, कूपों (डगबेल) एवं जलप्रदाय/जल आवर्धन कार्यों के लिये प्राप्त आवंटन व्यय एवं बचत राशि की जानकारी प्रदान की जायें? (ख) प्रश्नाधीन कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अभी अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण रहने का क्या कारण हैं? (ग) वर्णित कार्य का एजेन्सी कौन-कौन है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। जलाशयों, कूपों (डगवेल) हेतु कोई आवंटन जारी नहीं किया गया। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। सभी कार्य प्रगतिरत हैं, कार्यों को पूर्ण करने हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**।

परिशिष्ट – "चउवन"

संशोधन अधिनियम 2011 अनुरूप पट्टा प्रदान करना

115. (क्र. 4176) श्री रामलाल रौतेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग में विगत तीन वर्षों में जिलेवार गोंड एवं कोल जनजाति के कितने व्यक्तियों को वास स्थान इखल कार्य (भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम 2011 के अनुरूप पट्टा प्रदान किया गया है? (ख) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह भी बताये कितने व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुरूप अभी पट्टा देना शेष है तथा ऐसे वंचित व्यक्तियों को कब तक में पट्टा प्रदान किया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उद्यानिकी मिशन एवं प्रशिक्षण

116. (क्र. 4197) श्री नीलेश अवस्थी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उप संचालक उद्यानिकी मिशन जबलपुर के तहत कितनी नर्सरी कहाँ पर संचालित है? इन संचालित नर्सरियों को वित्त वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि, बीज, पौधे आदान सामग्री प्रदान की गई तथा कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में

व्यय हुई? इसकी जाँच कब किसने की? (ख) उप संचालक उद्यानिकी मिशन जबलपुर को अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम व कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम के तहत कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वित्त वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक की सूची देवें? (ग) प्रश्नाक (ख) में कितने दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्र कब कहाँ-कहाँ पर आयोजित किये गये? इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कितने-कितने कृषकों एवं किन-किन अधिकारियों ने भ्रमण किया तथा किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इसका प्रमाणीकरण कब किसके द्वारा किया गया? (घ) उप संचालक उद्यानिकी मिशन द्वारा कितने दिवसीय कृषक भ्रमण कार्यक्रम राज्य के अंदर/राज्य के बाहर कब-कब कहाँ-कहाँ पर आयोजित किये गये? इन भ्रमण कार्यक्रम में कितने कृषकों व अधिकारियों ने भाग लिया? वाहन व रेल किराये पर कितनी-कितनी राशि एवं इन प्रशिक्षण व भ्रमण कार्यक्रम पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई वित्त वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक की वर्षवार सूची देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) पांच नर्सरी संचालित है। 1. शास. संजय निकुंज तेवर, शाहपुरा 2. शास. संजय निकुंज लखनवाडा, पनागर 3. शास. संजय निकुंज खितौला, सिहोरा 4. शास. रजगवां, कुंण्डम 5. शास. पौध शाला आधारताल जबलपुर। वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 1, 50, 000 तथा वर्ष 2014-15 में रूपये 70, 000 केवल शास. संजय निकुंज लखनवाड़ा को सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रदाय की गई थी, जिसका निरीक्षण समय-समय पर उप संचालक उद्यान जिला जबलपुर तथा संयुक्त संचालक उद्यान जबलपुर संभाग द्वारा किया गया। (ख) मिशन योजना अन्तर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण हेतु वर्ष 2012-13 में रूपये 3, 66, 000 वर्ष 2013-14 में रूपये 2, 10, 000 तथा वर्ष 2014-15 में रूपये 6, 75000 राशि व्यय हुई है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। अधिकारी कर्मचारी एवं प्रशिक्षण हेतु विगत वर्षो में जिले को आवंटन नहीं दिया गया है। (ग) एवं (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "पचपन"

जबलपुर जिलान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

117. (क्र. 4198) श्री नीलेश अवस्थी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु प्रदेश शासन एवं केन्द्रीय शासन ने कौन-कौन मापदण्ड निर्धारित किये है तथा अन्य कौन-कौन सी बुनियादी सुविधायें होना आवश्यक है? (ख) जबलपुर जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनावार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है? इनमें से कितने आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है तथा इन परियोजनावार संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए कौन-कौन सी बुनियादी सुविधायें हैं? ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र है जिनमें बच्चों के मनोरंजन, खेलकूद की व्यवस्था शौचालय व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की तहसीलवार/ परियोजनावार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित सुविधा विहीन ऐसी कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र है जहाँ पर बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त जगह /कमरे/शौचालय नहीं है? केन्द्रवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांक (ग) में उल्लेखित सुविधा विहीन /भवन विहीन /शौचालय विहीन केन्द्रों को सुविधा सम्पन्न करने हेतु क्या कार्ययोजना बनाई गई एवं इस हेतु विगत तीन वर्षो में किस-किस कार्य हेतु, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये, नवीन भवन का निर्माण कितनी राशि से कराया गया तथा इन भवनों में क्या-क्या बुनियादी सुविधायें है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नरसिंहपुर जिलान्तर्गत अतिक्रमण</u>

118. (क्र. 4205) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहपुर जिला अंतर्गत मौजा केदेली न.व. 36 प.ह.न.41 खसरा नं. 189 में 0.717 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण की शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जिला प्रशासन को की गई है? (ख) यदि हाँ, तो इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई विवरण देवें? (ग) यदि उपरोक्त भूमि में अतिक्रमण है तो अतिक्रमण कब तक शासन द्वारा मुक्त करा लिया जाएगा और दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जू एण्ड रेसस्क्यू सेंटर के आस पास जिला बदर एवं गुंडालिस्ट की लोगों का आतंक</u>

119. (क्र. 4213) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सतना जिले के ग्राम मुकुन्दपुर में वन विभाग द्वारा स्थापित किए जा रहे जू एण्ड रेसस्क्यू सेंटर के वन अधिकारियों एवं आस-पास से आने वाले पर्यटकों के साथ आए दिन लूट पाट एवं मारपीट होती रहती है? जिनकी रिपोर्ट भी पुलिस चौकी द्वारा नहीं लिखी जाती क्योंकि ये आतंकी पुलिस बल के साथ भी मारपीट एवं अभद्रता व दविश करते रहते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आज दिनाँक तक मुकुन्दपुर पुलिस चौकी में कितनी रिपोर्ट लिखी गई है तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई? साथ ही क्या यह भी सही है कि दिनाँक 10-02-2015 को क्षेत्र के कुख्यात आतंकियों द्वारा पुलिस बल एवं ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ मारपीट एवं अभद्रता की गई है? (ग) क्या आतंक के पर्याय बने इन जिलाबदर, गुंडा लिस्ट एवं उनके सहयोगियों जो आये दिन पर्यटकों, वन अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस एवं ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ रिवाल्वर, कट्टे व लाठी डंडे का भय पैदा कर मारपीट करते रहते हैं और जबरन लोगों के परिवार वालो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराते हैं? क्या ऐसे प्रकरणों का स्थल परीक्षण कराकर उन्हें समाप्त कराने एवं ऐसे आतंकियों को शीघ्रतिशीघ्र गिरफ्तार कराकर क्षेत्र की जनता एवं अधिकारियों को भयमुक्त कराने की दिशा में कारगर कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न दिनाँक तक उक्त प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई हैं। (ग) जी नहीं। पुलिस द्वारा नियमित तौर पर चेकिंग, दबिश एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

<u>छिन्दवाड़ा जिले में पाईप लाईन बिछाने में अनियमितता</u>

120. (क्र. 4238) पं. रमेश दुबे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छिन्दवाड़ा के लिए कितनी लम्बाई एवं गोलाई की कौन-कौन सी पाईप, किस-किस गुणवत्ता के कितनी संख्या में कितनी राशि से वर्ष 2012 से 2014 तक, किस स्तर से, किन नियम निर्देशों के पालन में किस प्रक्रिया को अपनाते हुए, किससे कब खरीदी गयी? यह पाईप

लाईन लोक स्वास्थ्य विभाग छिन्दवाड़ा को कब उपलब्ध हुआ? नियम निर्देश, खरीदी की अपनाई गयी प्रक्रिया की जानकारी दें? (ख) क्या पाईप लाईन खरीदी के समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है? यदि हाँ, आमंत्रित निविदा, प्रस्तुत किये गये निविदा तथा स्वीकृत निविदाओं का विवरण दें। निविदा किस प्रकार से किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी हैं? विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उप संभाग चौरई को वर्ष 2012 से 2014 के मध्य कितनी फुट की लम्बाई और गोलाई की कौन-कौन सी पाईप कितने नग कब-कब किसे उपलब्ध कराया गया? जानकारी वर्षवार देते हुए प्राप्त पाईपों को कहाँ-कहाँ पर किनकी स्वीकृत से बिछायी गयी है? पाईपों को बिछाये जाने का पर्याप्त औचित्य भी बतावें? (घ) क्या यह सही है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उप संभाग चौरई को उपलब्ध कराये गये पाईप का आवश्यकता अनुसार सदुपयोग नहीं किया जाकर दुरूपयोग होने से क्या शासन उक्त वर्षों में प्राप्त पाईपों एवं बिछाये गये पाईपों की प्रश्नकर्ता के उपस्थिति में जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? यदि नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार** है। म.प्र. भंडार क्रय नियम के अनुसार पाईप का क्रय विभाग द्वारा म.प्र.लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया गया। पाईप की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक अनुसार है तथा प्राप्त सभी पाइप आई.एस.आई. मार्क है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड चौरई के ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु प्राप्त विभिन्न स्वीकृतियों के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल समस्या समाधान हेतु पाईप बिछाये गए हैं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उज्जैन जिलों में अनुदान योजनाएं</u>

121. (क्र. 4272) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में 01-01-12 से 10-02-15 तक विभाग की विभिन्न योजनाओं में कितना अनुदान कब-कब स्वीकृत किया गया? तहसीलवार बतावें? (ख) यह भी बताए कि कितने प्रकरणों में अनुदान पूरा नहीं दिया गया? स्थान नाम, शेष अनुदान सहित बतावें? कारण भी बतावें? (ग) अनुदान पूरा कब तक संबंधितों को कर दिया जावेगा? (घ) इस ओर ध्यान न देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) से (ग) निरंक (घ) शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

<u>सामुदायिक वनाधिकार पत्र के संबंध में</u>

122. (क्र. 4290) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बैतूल जिले के राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों की अनुविभागीय अधिकारी बैतूल, मुलताई एवं भैसदेही द्वारा वर्तमान में भी भा.वन अधिनियम 1927 की धारा (5 से 19) तक की जाँच की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो बैतूल जिले के निरस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किन-किन मदों में दर्ज

जमीनों को वर्तमान में संरक्षित वन भूमि, नारंगी भूमि, परिभाषित वन अधिकार पत्र के संबंध में वन अधिकार कानून 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 में क्या प्रावधान है? (ग) वन अधिकार कानून 2006 में परिभाषित वन भूमियों में से निस्तार पत्रक में दर्ज कितनी भूमियों के सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रश्नांकित तिथि तक वितरित कर दिए गए है? कितनी भूमि के प्रकरण वर्तमान में लंबित है? (घ) ऐसी भूमियों पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिऐ जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पान की खेती करने वाले कृषकों हेतु राहत नीति

123. (क्र. 4307) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रमुख रूप से पान की खेती की जाती है? प्राकृतिक आपदा जैसे तुषार, पाला आदि से पान की खेती नष्ट होने, क्षति होने की स्थिति में कृषकों को राहत देने हेतु वर्तमान में क्या नीति-नियम-निर्देश लागू है? किन प्रावधानों के अंतर्गत पान उत्पादक कृषकों को राहत दी जाती है? (ख) क्या यह सही है कि अब तक पान उत्पादक कृषकों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसी प्रकार की राहत/क्षतिपूर्ति व मुआवजा आदि देने की व्यवस्था/प्रावधान नहीं किये गये? क्यों? कब तक इस दिशा में समुचित प्रयास विभाग द्वारा किये जावेंगे? (ग) वर्ष 2014-15 में मैहर विधान सभा क्षेत्र में पान की फसल नष्ट होने व कृषकों को भारी आर्थिक बर्बादी के मामले में कब तक सर्वे आदि कराया जाकर कृषकों को राहत दी जावेगी? नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभाग द्वारा NGO को दिये गये अनुदान

124. (क्र. 4308) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में ऐसे कौन-कौन से NGO कार्यरत हैं जिन्हें किसी योजना में गत पांच वर्षों के दौरान पांच लाख से अधिक का अनुदान/सहयोग किसी योजना के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में दिया गया हो? (ख) प्रश्नांश (क) दर्शित NGO के जिलावार नाम बतावें व यह भी बतावें कि ऐसे NGO द्वारा किस योजनान्तर्गत कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कार्यक्रम संचालित किये गये है अथवा किये जा रहे हैं? इन संगठनों/संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण/सत्यापन कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा किये गये? अधिकारियों के नाम, पदनाम बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) वर्णित संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय कर लक्षित कार्यक्रम चलाये? किन संस्थाओं द्वारा अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किया अथवा किन-किन ने विभागीय मापदण्डों का पूर्णरूपेण पालन नहीं किया? विवरण व की गई कार्यवाही की जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में दर्शित एन.जी.ओ. के जिलावार, योजनावार संचालित कार्यक्रम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। संगठनों/संस्थाओं द्‍वारा किये जा रहे कार्यों का समय समय पर निरीक्षण /सत्यापन करने वाले अधिकारियों का नाम व पदनाम की **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। (ग) व्यय की गयी राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। 03 संस्थाओं द्‍वारा विभागीय मापदंडों का पालन नहीं किया गया है जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है।